GOVERNMENT P.G. COLLEGE, HINDAUN CITY

TIME TABLE 2018-19

w.e.f. 02/07/2018

CLASS	10-11	11-12	12-1	1-2	2-3	3-4	4-5
B.A.PART 1 A*	GE/ECA / (1-2)/ (3-4) R-2	HINDI R-2 (1-6) GSM	SOCIO R-2(1-6)	POL .SC . R-2 (1-6)	GH /EVS (1-2) mr.X / mr.X (5-6) R-2		
B.A. PART 1 B*	HINDI MR-X R-3(1-6)	GH /EVS R-3 Mr X / 1-2/3-4	POL .SC . R-3 (1-6) SLM	HIST. MKG R-3 (1-6)	GE/ECA R-3 3-4/1-2		
B. A. PART 1 C*	GE 3-4 R-4	SAN/COMP/ECO SCM/X/BM R-4/R-1/R-5 (1-6)	HINDI MR-X R-4 (1-6)	SOCIO SJM R-4(1-6)	POL.SC R-4 (1-6)	GH/ECA/EVS Mr X/ / 1-2 / 3-4/5-6 R-4	
B. A. PART 1 D*	POL R-5 (1-6)	SAN/PHIL /MCY R-4/R-14	HINDI MR X R-4 (1-6)	SOCIO SJM R-4 (1-6)	GH /EVS R-5 1-2/3-4 Mr Y/	GE /ECA / 3-4/1-2 R-5	
B. A .PART ii A	SOCIO R-22 (1-6)	POL .SC . *R-22 (1-6)* *SLM*		HINDI SKG 1-6 R-22			
B . A.PART ii B	POL .SC . *R-32 (1-6)*	HIST./SOCI MKG/MRx R-23/ R-24 (1-6)		HINDI MR X 1-6 R-23			
B . A.PART ii C	POL .SC . R-24 (1-6)	*SOCIO* *SJM* *R-24 (1-6)*	ECO/PHIL/CA BM/MCY/X 1-6 R-22 R-24/25		HINDI 1-6 MR-X R-24	SANS Mr SCM (1-6) R-2	
B . A.PART iii A				HINDI 1-6 R-25 AA	*SOCIO / HIST .* *SJM , / MKG* (1-6) *R-25 R-26*	POL .SC . SLM R-25 (1-6)	
B . A.PART iii B		*POL .SC* *R-25 (1-6)*	*HINDI* *R-26 (1-6)* *GSM*	SANS SCM 1-6 R-26	*SOCIO / HIST .* *SJM , / MKG* (1-6) *R-25 / R-26*	ECO/PHIL/COMP.APP BM /MCY/X 1-6 R-22/23/24	

Scanned with OKEN Scanner

CLASS	10-11	11-12	12-1	1-2	2-3	3-4	4-5
B . A.PART iii C		*POL .SC* *R-25 (1-6)*	*HINDI* *R-26 (1-6)* *GSM*	SANS SCM 1-6 R-26	*SOCIO / HIST .* *SJM / MKG* (1-6) *R-14 / R-26*	ECO/PHIL/COMP.APP BM /MCY/X 1-6 R-22/23/24	
M.A. (PREV.) HINDI		*PAPER I* *MR-X* (1-4) R-06	*PAPER II* *Mr.X* (1-4) R-6	*PAPER III* *GSM* (1-4) R-6	*PAPER IV* *SKG* (1-4) R-22		
M.A. (FINAL.) HINDI		*PAPER-I* *SKG* (3-6) R-26	*PAPER -II* *Mr.Y* (1-4) R-23	*PAPER -III* *Mr.X* (3-4)/(5-6) R-5 MRX/GSM	*PAPER- IV* *AA* (3-6) R-23	*PAPER- V* *PREM CHAND* *SKG* (1-4) R-26 TULSI DAS (3-4) AA R-3	
B.COM.PART i	GE/ECA /ssk 5-6/3-4 R-7	EAFM/COM.APP. RC/X R-7 / R-01(1-6)	ABST R-7 (1-6) BSS	BUS.ADM MR.X R-7 1-6	GH /EVS Mr.Y/ 1-2 3-4 R-13		
B.COM.PART ii		BUS.ADM MR.X R-15 (1-6)	COM.APP./E AFM X/RCM (1-6) R-10		ABST BSS R-7 (1-6)		
B. COM.PART iii		ABST BSS R- 13 (1-6)	BUS . ADM . R-13 (1-6)		EAFM /RCM R-10(1-6)	COM-APP MR.X R-24(1-6)	
B.SC.PART I	BOTANY/MATH /DS R- 9 1-6/ R-10 1-6	CHEMISTRY R- 9 1-6	PHYSICS/ZOO LOGY KV/MR.X R- 9 1-6/ R- 10 1-62		GE/ECA/GH /ssk/mr.Y 1-2/3-4/5-6 R-9	EVS MR.X 3-4 R-9	
B.SC.PART I I	PHYSICS/ZOOLOGY KV/MR.X R- 10 1-6/ R-9 1-6		BOTANY/MA TH /DS R- 14 1-6/ R- 10 1-6	CHEMISTRY R- 14 / 1-6			

प्राचार्य
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
हिण्डौन सिटी

Scanned with OKEN Scanner

GOVT. P.G. COLLEGE , HINDAUN CITY TIME TABLE 2019-2020 w.e.f.1.11.2019

CLASS	10.00-11.00	11.00-12.00	12.00-1.00	1.00-2.00	2.00-3.00	3.00-4.00	4.00-5.00
B.A.I A	GE 1-2 R-25Mr.X ECA 3-4 R-25 Mr.X	HLIT 1-6R-26	SOCL 1-6 R-25 Mr.X	POLS 1-6 R-25 Mr.X	GH 1-2 R-25 Mr.X EVS 5-6 R-25 Mr.X		
B.A.I B	HLIT 1-6 R-3 Mr.X	GH 1-2 R-3 Mr.X EVS 3-4 R-3 Mr.X	POLS 1-6 R-3 Mr.Y	HIST 1-6 R-3 MKG	GE 3-4 R-3 Mr.X ECA 1-2 R-3 Mr.X		
B.A.I C	SANS 1-6 R-4 SC	COMP 1-6 R-1 Mr.X ECO 1-6 R-5 BM PHIL 1-6 R-23	HLIT 1-6 R-4 Mr.X	SOCL 1-6 R-4 SJM	POLS 1-6 R-4 Mr.X	GH 1-2 R-4 Mr.X ECA 3=4R-4 Mr.X EVS 5-6 R-4 Mr.X	GE 3-4 R-24 Mr.X
B.A.I D	SANS 1-6 R-4 SC	COMP 1-6 R-1 Mr.X ECO 1-6 R-5 BM PHIL 1-6 R-23	HLIT 1-6 R-4 Mr.Y	SOCL 1-6 R-4 Mr.X	POLS 1-6 R-5 Mr.X	GE 3-2 R-5 ECA 1-4 R-5 Mr.X	GH 1-2 R-25 EVS 3-4 R-25 Mr.X
B.A.II A	SOCL 1-6 R-22 SJM	POLS 1-6 R-22 Mr.X		HLIT 1-6 R-22			
B.A.II B	POLS 1-6 R-23 Mr.X	HIST 1-6 R-23 MKG SOCL 1-6 R-24		HLIT 1-6 R-23 Mr.X			
B.A.II C	POLS 1-6 R-24 Mr.Y	SOCL 1-6 R-24 Mr.X	PHIL 1-6 R-24 Mr.X COMP 1-6 R-2 Mr.X ECO 1-6 R-22BM		SANS 1-6 R-24 SCM	HLIT 1-6 R-26	
B.A.III A				HLIT 1-6 R-5 AA	HIST 1-6 R-26MKG SOCL 1-6 R-22 SJM	POLS 1-6 R-25 Mr.X	
B.A.III B		POLS 1-6 R-25 Mr.X	HLIT 1-6 R-26 Mr.X	SANS 1-6R-26 SCM	HIST 1-6 R-26 SOCL 1-6 R-22 Mr.X	PHIL 1-6 R-23 Mr.X COMP 1-6 R-24 Mr.X ECO 1-6 R-22BM	
B.A.III C		POLS 1-6 R-25 Mr.Y	HLIT 1-6 R-26 Mr.X	SANS 1-6 R-26 Mr.X	HIST 1-6 R-26 SOCL 1-6 R-22 Mr.X	PHIL 1-6 R-23 Mr.X COMP 1-6 R-24 Mr.X ECO 1-6 R-22BM	

Scanned with OKEN Scanner

GOVT. P.G. COLLEGE, HINDAUN CITY TIME TABLE 2019-2020 w.e.f.1.11.2019

CLASS	10.00-11.00	11.00-12.00	12.00-1.00	1.00-2.00	2.00-3.00	3.00-4.00	4.00-5.00
M.A.Pre. HINDI		PAPER-I 1-4 R-6 AA	PAPER-II1-4R-6 Mr.Y	PAPER-III1-4 R-6 Mr.Y	PAPER-IV1-4 R-6 Mr.X		
M.A.Final HINDI		PAPER-II 3-6 R-4 Mr.Y	PAPER-I 1-4R-23AA	PAPER-III3-6 R-10 Mr.X	PAPER-IV3-6R-23 Mr.Y	PAPER-VA 1-4 R-3 PAPER-VB 1-4 R-6 AA	
B.Com. I							
B.Com. II			EAFM 1-6 R-10VB COMP 1-6 R-1 Mr.X	BADM 1-6 R-9 RRM	ABST 1-6 R-7		
B.Com. III			BADM 1-6 R-10 RRM	ABST 1-6 R-10	EAFM1-6 R-10VB	COMP 1-6 R-1 Mr.X	
B.Sc. I	MATH 3-4 R-15DS BOTN 3-4 R-7AB CHEM 5-6 R-5SN PHY 1-2 R-7KV ZOO 1-2 R-5MM	MATH 5-6 R16DS BOTN 5-6 R-7AB CHEM1-2 R-7SN PHY 3-4R-7KV ZOO3-4 R-15 MM	BOTN 1-2 R-7X CHEM 3-4 R-7X PHY 5-6 R-7X ZOO 5-6 R-5X	MATH 1-2 R-5DS LAB BOTN 1-2 LAB CHEM 3-4 LAB PHY 5-6 LAB ZOO 5-6	LAB BOTN 1-2 LAB CHEM 3-4 LAB PHY 5-6 LAB ZOO 5-6		
B.Sc. II	MATH 5-6 R-7DS BOTN 5-6 R-9AB CHEM 1-2 R-9SN PHY 3-4 R-9KV ZOO 3-4 R- 5MM	MATH1-2 R-26DS BOTN1-2 R-9AB CHEM3-4 R-9 SN PHY 5-6 R-9 KV ZOO 5-6 R-15MM	BOTN 3-4 R-9X CHEM 5-6 R-9X PHY 1-2 R-9X ZOO 1-2 R-5X	MAHT 3-4R-13DS LAB BOTN 3-4 LAB CHEM 5-6 LAB PHY 1-2 LAB ZOO 1-2	LAB BOTN 3-4 LAB CHEM 5-6 LAB PHY 1-2 LAB ZOO 1-2		
B.Sc. III	MATH 1-2 R-16DS BOTN 1-2 R-10AB CHEM 3-4 R-10SN PHY 5-6 R-10KV ZOO 5-6 R-26MM	MATH3-4 R-10DS BOTN 3-4 R-15AB CHEM5̧6 R-10SN PHY1-2 R-10KV ZOO1-2 R- 15MM	BOTN 5-6 R-10X CHEM 1-2 R-10X PHY 3-4 R-10X ZOO 3-4 R-5X	MATH 5-6 R-13DS LAB BOTN 5-6 LAB CHEM 1-2 LAB PHY 3-4 LAB ZOO 3-4	LAB BOTN 5-6 LAB CHEM 1-2 LAB PHY 3-4 LAB ZOO 3-4		

प्राचार्य
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
हिण्डौन सिटी

Scanned with OKEN Scanner

GOVT. P.G. COLLEGE, HINDAUN CITY TIME TABLE 2019-2020 w.e.f.1.11.2019

CLASS	10.00-11.00	11.00-12.00	12.00-1.00	1.00-2.00	2.00-3.00	3.00-4.00	4.00-5.00
B.A.I A	GE 1-2 R-25Mr.X ECA 3-4 R-25 Mr.X	HLIT 1-6R-26 [illegible]	SOCL 1-6 R-25 Mr.X	POLS 1-6 R- 25 Mr.X	GH 1-2 R-25 Mr.X EVS 5-6 R-25 Mr.X		
B.A.I B	HLIT 1-6 R-3 Mr.X	GH 1-2 R-3 Mr.X EVS 3-4 R-3 Mr.X	POLS 1-6 R-3 Mr.Y	HIST 1-6 R-3 MKG	GE 3-4 R-3 Mr.X ECA 1-2 R-3 Mr.X		
B.A.I C	SANS 1-6 R-4 SC	COMP 1-6 R-1 Mr.X ECO 1-6 R-5 BM PHIL 1-6 R-23	HLIT 1-6 R-4 Mr.X	SOCL 1-6 R-4 SJM	POLS 1-6 R-4 Mr.X	GH 1-2 R-4 Mr.X ECA 3=4R-4 Mr.X EVS 5-6 R-4 Mr.X	GE 3-4 R-24 Mr.X
B.A.I D	SANS 1-6 R-4 SC	COMP 1-6 R-1 Mr.X ECO 1-6 R-5 BM PHIL 1-6 R-23	HLIT 1-6 R-4 Mr.Y	SOCL 1-6 R-4 Mr.X	POLS 1-6 R-5 Mr.X	GE 3-2 R-5 ECA 1-4 R-5 Mr.X	GH 1-2 R-25 EVS 3-4 R-25 Mr.X
B.A.II A	SOCL 1-6 R-22 SJM	POLS 1-6 R-22 Mr.X		HLIT 1-6 R-22			
B.A.II B	POLS 1-6 R-23 Mr.X	HIST 1-6 R-23 MKG SOCL 1-6 R-24		HLIT 1-6 R-23 Mr.X			
B.A.II C	POLS 1-6 R-24 Mr.Y	SOCL 1-6 R-24 Mr.X	PHIL 1-6 R-24 Mr.X COMP 1-6 R-2 Mr.X ECO 1-6 R-22BM		SANS 1-6 R-24 SCM	HLIT 1-6 R-26	
B.A.III A				HLIT 1-6 R-5 AA	HIST 1-6 R-26MKG SOCL 1-6 R-22 SJM	POLS 1-6 R-25 Mr.X	
B.A.III B		POLS 1-6 R-25 Mr.X	HLIT 1-6 R-26 Mr.X	SANS 1-6R-26 SCM	HIST 1-6 R-26 SOCL 1-6 R-22 Mr.X	PHIL 1-6 R-23 Mr.X COMP 1-6 R-24 Mr.X ECO 1-6 R-22BM	
B.A.III C		POLS 1-6 R-25 Mr.Y	HLIT 1-6 R-26 Mr.X	SANS 1-6 R-26 Mr.X	HIST 1-6 R-26 SOCL 1-6 R-22 Mr.X	PHIL 1-6 R-23 Mr.X COMP 1-6 R-24 Mr.X ECO 1-6 R-22BM	

प्राचार्य
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
हिण्डौन सिटी

(SJM) (BM) 16/10/19 (SCM) 16/10/19

Scanned with OKEN Scanner

GOVT. P.G. COLLEGE , HINDAUN CITY TIME TABLE 2020-2021 w.e.f. 22.11.2021

CLASS	10.00-11.00	11.00 - 12.00	12.00 - 1.00	1.00 - 2.00	2.00-3.00	3.00-4.00	4.00-5.00
B.A. I A	HLIT 1-6 R-5 Mr.X	GE 1-2 R-24 UM ECA 1-2 R-24 Mr.X	POLS 1-6 R-4 RJ	SOCL 1-6 R-4 SJM	GH 1-2 R-24 Mr.X EVS 3-4 R-24 Mr.X		
B.A. I B		HLIT 1-6 R-4 AA	POLS 1-6 R-4 RJ	HIST 1-6 R-22 Mr. X	GE 5-6 R-4 UM ECA 3-4 R-4 Mr.X	GH 1-2 R-12 Mr.X EVS 5-6 R-12 Mr.X	
B.A. I C	POLS 1-6 R-4 SS	COMP 1-6 R-1 Mr.X ECO 1-6 R-22 BM PHIL 1-6 R-26 Mr.X	SANS 1-6 R-22 SCM	HLIT 1-6 R-5 RR	SOCL 1-6 R- 10 Mr. X	GE 3-4 R-4 UM	GH 1-2 R-23 Mr.X ECA 3-4 R-23Mr.X EVS 5-6 R-23 Mr.X
B.A. I D	POLS 1-6 R-4 SS	COMP 1-6 R-1 Mr.X ECO 1-6 R-22BM PHIL 1-6 R-26 X	SANS 1-6 R-22 SCM	HLIT 1-6 R-5 RR	SOCL 1-6 R-10 Mr.X	GE 5-6 R-5 ECA 1-4 R-5	GH 1-2 R-5 EVS 3-4 R-5 Mr.X
B.A. II A		POLS 1-6 R-5 RJ		HLIT 1-6 R-26 Mr.Y	HIST 1-6 R-11 Mr. X		
B.A. II B		POLS 1-6 R-5 RJ	HLIT 1-6 R-25 R.R.		SOCL 1-6 R-25 SJM		
B.A. II C		SOCL 1-6 R-3 Mr. X	PHIL 1-6 R-24 Mr.X COMP 1-6 R-1 Mr.X ECO 1-6 R-5 BM	POLS 1-6 R-24 SS	SANS 1-6 R-5 SCM	HLIT 1-6 R-26 Mr.X	
B.A. II D		SOCL 1-6 R-3 Mr.X	PHIL 1-6 R-24 Mr.X COMP 1-6 R-1 Mr.X ECO 1-6 R-5 BM	POLS 1-6 R-24 SS	SANS 1-6 R-5 SCM	HLIT 1-6 R-26 Mr. Y	
B.A. III A		SOCL 1-6 R-25 SJM		HLIT 1-6 R-25 Mr. X	POLS 1-6 R-26 RJ		
B.A. III B		POLS 1-6 R-23 SS	HLIT 1-6 R-23 A.A.	SANS 1-6 R-23 SCM	PHIL 1-6 R-23 Mr.X COMP 1-6 R-1 Mr.X ECO 1-6 R-22BM	HIST 1-6 R-22Mr.X SOCL 1-6 R-25 Mr.X	
B.A. III C		POLS 1-6 R-23 SS	HLIT 1-6 R-26 Mr.X	SANS 1-6 R-23 Mr .SCM	PHIL 1-6 R-23 Mr.X COMP 1-6 R-1 Mr.X ECO 1-6 R-22BM	HIST 1-6 R-22Mr.X SOCL 1-6 R-25 Mr.X	

Scanned with OKEN Scanner

GOVT. P.G. COLLEGE , HINDAUN CITY TIME TABLE 2020-2021 w.e.f. 22.11.2021

CLASS	10.00-11.00	11.00-12.00	12.00-1.00	1.00-2.00	2.00-3.00	3.00-4.00	4.00-5.00
M.A.Pre. HINDI		PAPER-I 1-4 R-12 Mr.X	PAPER-II1-4R-7 Mr.Y	PAPER-III1-4 R-12 Mr.Y		PAPER-IV 1-4 R 4 RR	
M.A.Final. HINDI		PAPER-II 3-6 R-11 Mr.Y	PAPER-IV 1-4R-6 Nr.Y	PAPER-III3-6 R-6 Mr.X	PAPER-I 3-6 R-24 AA	PAPER-VA 1-4 R-12 Mr.x PAPER-VB 1-4 R-8 Mr.Y	
B.Com. I		GE 3-4 R-1 UM	ABST 1-6 R-3 Mr.Y	EAFM 1-6 R-7Mr.Y	BADM 1-6 R-12 RRM		
B.Com. II			EAFM 1-6 R-10 Mr.X COMP 1-6 R-11 Mr.X	BADM 1-6 R-26 RRM	ABST 1-6 R-3 Mr.Y		
B.Com. III			BADM 1-6 R-12 RRM	ABST 1-6 R-11	EAFM 1-6 R-11 X	COMP 1-6 R-11 Mr.X	
B.Sc. I		MATH 3-4 R-16 DS BOT 3-4 R-13 Y CHEM 5-6 R-14 SN PHY 1-2 R-SR Z ZOO 1-2 R-15 MM	MATH 5-6 R16 DS BOT 5-6 R-SR Y CHEM 1-2 R-14 SN PHY 3-4 R-SR KV ZOO 3-4 R-15 MM	BOT 1-2 R-SR X CHEM 3-4 R-14 X PHY 5-6 R-SR X ZOO 5-6 R-15 X GE 1-2 R-3 UM GE 3-4 R-3 UM	MATH 1-2 R-16 DS LAB BOT 1-2 Y LAB CHEM 3-4 SN LAB PHY 5-6 Z LAB ZOO 5-6 MM	LAB BOT 1-2 Y LAB CHEM 3-4 SN LAB PHY 5-6 Z LAB ZOO 5-6 MM	
B.Sc. II		MATH 5-6 R-16 DS BOTN 5-6 R-13 CHEM 1-2 R-14 SN PHY 3-4 R-SR Z ZOO 3-4 R-15 MM	MATH 1-2 R-16 DS BOT 1-2 R-SR Y CHEM 3-4 R-14 SN PHY 5-6 R-UT KV ZOO 5-6 R-15 MM	BOT 3-4 R-15 Y CHEM 5-6 R-14 X PHY 1-2 R-UT X ZOO 1-2 R-15 X	MAHT 3-4 R-16 DS LAB BOT 3-4 Y LAB CHEM 5-6 SN LAB PHY 1-2 Z LAB ZOO 1-2 MM	LAB BOT 3-4 Y LAB CHEM 5-6 SN LAB PHY 1-2 Z LAB ZOO 1-2 MM	
B.Sc. III		MATH 1-2 R-16 DS BOT 1-2 R-ST Y CHEM 3-4 R-14 SN PHY 5-6 R-ST Z ZOO 5-6 R-15 MM	MATH 3-4 R-16 DS BOT 3-4 R-ST AB CHEM 5-6 R-14 SN PHY 1-2 R-ST Z ZOO 1-2 R- 15 MM	BOTN 5-6 R-ST X CHEM 1-2 R-14 X PHY 3-4 R-SR X ZOO 3-4 R-15 X	MATH 5-6 R-16 DS LAB BOT 5-6 Y LAB CHEM 1-2 SN LAB PHY 3-4 Z LAB ZOO 3-4 MM	LAB BOT 5-6 Y LAB CHEM 1-2 SN LAB PHY 3-4 Z LAB ZOO 3-4 MM	

(Pro. Ramraj Meena)
Principal
Govt. P.G. College, Hindaucity

Scanned with OKEN Scanner

GOVT. P.G. COLLEGE , HINDAUN CITY TIME TABLE 2021-2022 w.e.f.11.10.2022

CLASS	10.00 -11.00	11.00 - 12.00	12.00 - 1.00	1.00 - 2.00	2.00-3.00	3.00-4.00	4.00-5.00
B.A. I A	HIS 1-6 R-3 Mr.Suresh Meena	GE 1-2 R-3 UM EVS 3-4 R-3 Mr.X	POLS 1-6 R-3 RJ	HLIT 1-6 R-25 Mr. X	GH 1-2 R-3 Mr.X ECA 1-2 R-3 Mr.X		
B.A. I B		HLIT 1-6R-26 Mr.Y	POLS 1-6 R-25 RJ	SOCL 1-6 R-3 DR.MAHESH GARG	GH 1-2 R-25 Mr.X EVS 5-6 R-25 Mr.X	GE 1-2 R-25 XX ECA 3-4 R-25 Mr.X	
B.A. I C	POLS 1-6 R-4 Mr. X	COMP 1-6 R-1 Mr.X ECO 1-6 R-4 BM PHIL 1-6 R-23 PREETI SINGH	HLIT 1-6 R-4 Mr.X	ENG 1-6 R-4 UPMA MEENA SANS1-6 R-26 SM	SOCL 1-6 R-4 MrX GEO-1-6 R-5 Mr.X	GH 1-2 R-4 Mr.X ECA 3=4R-4 Mr.X EVS 5-6 R-4 Mr.X	GE 3- 4 R-4 Mr.X
B.A. I D	POLS 1-6 R-5 Mr.X	COMP 1-6 R-1 Mr.X ECO 1-6 R-4 BM PHIL 1-6 R-23PREETI SINGH	HLIT 1-6 R-4 Mr.X	ENG 1-6 R-4 UPMA MEENA SANS1-6 R-26 SM	SOCL 1-6 R-4 MrX GEO-1-6 R-5 Mr.X	GE 1-6 R-5 UM ECA 1-4 R-5	GH 1-2 R-5 EVS 3-4 R-5 Mr.X
B.A. II A		POLS 1-6 R-UT RJ	SOCL 1-6 R-11Dr.MAHESH GARG		HLIT 1-6 R-23 Mr. X		
B.A. II B		POLS 1-6 R-23 RJ	HIST 1-6 R-25 SURESH MEENA		HLIT 1-6 R-22 Mr.Y		
B.A. II C		SOCL 1-6 R-24 Mr.X	PHIL 1-6 R-24 PREETI SINGH COMP 1-6 R-1 Mr.X ECO 1-6 R-22 BM	POLS 1-6 R-24 X	SANS 1-3 R-24 SCM	HLIT 1-6 R-26 Y	
B.A. II D		SOCL 1-6 R-24 Mr.X	PHIL 1-6 R-24 Mr.X COMP 1-6 R-1 Mr.X ECO 1-6 R-22 BM	POLS 1-6 R-24 SS	SANS 1-3 R-24 SCM	HLIT 1-6 R-26 Mr. Y	
B.A. III A		HIS 1-6 R-26 SM		HLIT 1-6 R-5 X	POLS 1-6 R-UT RJ		
B.A. III B		SOCL 1-6 R-22 Dr MG		PHIL 1-6 R-26 PS	SANS 4-6 R-23 SCM COMP 1-6 R-1 Mr.X ECO 1-6 R-22BM	HLIT 1-6 R-26Mr.X SOCL 1-6 R-22 Mr.X	
B.A. III C		POLS 1-6 R-25 X		PHIL 1-6 R-26 PS	SANS 4-6 R-23 SCM COMP 1-6 R-1 Mr.X ECO 1-6 R-22BM	HLIT 1-6 R-26 Mr.X SOCL 1-6 R-22 Mr.X	

Scanned with CamScanner

GOVT. P.G. COLLEGE, HINDAUNCITY
TIME TABLE SESSION 2021-2022

w.e.f. 11.10.22

CLASS	10.00 -11.00	11.00-12.00	12.00-1.00	1.00-2.00	2.00-3.00	3.00-4.00	4.00-5.00
B.Com. II			EAFM 1-6 Mr. AK R- UT	BADM 1-6 R-UT- Y	ABST 1-6 SA R-13		
B.Sc. I		MATH 3-4 R-16 RK BOT 3-4 R-13 GG CHEM 5-6 R-14 SG PHY 1-2 R-SR MG ZOO 1-2 R-15 X	MATH 5-6 R16 RK BOT 5-6 R-SR GG CHEM 1-2 R-14 SG PHY 3-4 R-SR MG ZOO 3-4 R-15 X	BOT 1-2 R-SR GG CHEM 3-4 R-14 SG PHY 5-6 R-SR MG ZOO 5-6 R-15 X	MATH 1-2 R-16 RK LAB BOT 1-2 GG LAB CHEM 3-4 SG LAB PHY 5-6 MG LAB ZOO 5-6 X	LAB BOT 1-2 GG LAB CHEM 3-4 SG LAB PHY 5-6 MG LAB ZOO 5-6 X	
B.Sc. II		MATH 5-6 R-16 RK BOTN 5-6 R-13 GG CHEM 1-2 R-14 SG PHY 3-4 R-SR MG ZOO 3-4 R-15 X	MATH 1-2 R-16 RK BOT 1-2 R-SR GG CHEM 3-4 R-14 SG PHY 5-6 R-13 MG ZOO 5-6 R-15 X	BOT 3-4 R-15 GG CHEM 5-6 R-14 SG PHY 1-2 R-13 MG ZOO 1-2 R-15 X	MAHT 3-4 R-16 RK LAB BOT 3-4 GG LAB CHEM 5-6 SG LAB PHY 1-2 MG LAB ZOO 1-2 X	LAB BOT 3-4 GG LAB CHEM 5-6 SG LAB PHY 1-2 MG LAB ZOO 1-2 X	
B.Sc. III		MATH 1-2 R-16 RK BOT 1-2 R-ST GG CHEM 3-4 R-14 SG PHY 5-6 R-ST MG ZOO 5-6 R-15 X	MATH 3-4 R-16 RK BOT 3-4 R-ST GG CHEM 5-6 R-14 SG PHY 1-2 R-ST MG ZOO 1-2 R- 15 X	BOTN 5-6 R-ST GG CHEM 1-2 R-14 SG PHY 3-4 R-SR MG ZOO 3-4 R-15 X	MATH 5-6 R-16 RK LAB BOT 5-6 GG LAB CHEM 1-2 SG LAB PHY 3-4 MG LAB ZOO 3-4 X	LAB BOT 5-6 GG LAB CHEM 1-2 SG LAB PHY 3-4 MG LAB ZOO 3-4 X	

SG: Shriniwas Gurjar, RK: Rajkumai, GG: Gunjan Goyal, MG: Manish Gupta, AK: Abhishek Kumawat, SA: Sameeksha Agrawal

(Mr Suresh Chand Meena)
Principal
Govt. P.G. College, Hindaucity

Scanned with CamScanner

GOVT. P.G. COLLEGE , HINDAUN CITY TIME TABLE 2022-2023 w.e.f.11.10.2022

CLASS	10.00 -11.00	11.00 - 12.00	12.00 - 1.00	1.00 - 2.00	2.00-3.00	3.00-4.00	4.00-5.00
B.A. I A	HIS 1-6 R-3 Mr.Suresh Meena	GE 1-2 R-3 UM EVS 3-4 R-3 Mr.X	POLS 1-6 R-3 RJ	HLIT 1-6 R-25 Mr. X	GH 1-2 R-3 Mr.X ECA 1-2 R-3 Mr.X		
B.A. I B		HLIT 1-6R-26 Mr.Y	POLS 1-6 R-25 RJ	SOCL 1-6 R-3 DR.MAHESH GARG	GH 1-2 R-25 Mr.X EVS 5-6 R-25 Mr.X	GE 1-2 R-25 XX ECA 3-4 R-25 Mr.X	
B.A. I C	POLS 1-6 R-4 Mr. X	COMP 1-6 R-1 Mr.X ECO 1-6 R-4 BM PHIL 1-6 R-23 PREETI SINGH	HLIT 1-6 R-4 Mr.X	ENG 1-6 R-4 UPMA MEENA SANS1-6 R-26 SM	SOCL 1-6 R-4 MrX GEO-1-6 R-5 Mr.X	GH 1-2 R-4 Mr.X ECA 3=4R-4 Mr.X EVS 5-6 R-4 Mr.X	GE 3- 4 R-4 Mr.X
B.A. I D	POLS 1-6 R-5 Mr.X	COMP 1-6 R-1 Mr.X ECO 1-6 R-4 BM PHIL 1-6 R- 23PREETI SINGH	HLIT 1-6 R-4 Mr.X	ENG 1-6 R-4 UPMA MEENA SANS1-6 R-26 SM	SOCL 1-6 R-4 MrX GEO-1-6 R-5 Mr.X	GE 1-6 R-5 UM ECA 1-4 R-5	GH 1-2 R-5 EVS 3-4 R-5 Mr.X
B.A. II A		POLS 1-6 R-UT RJ	SOCL 1-6 R- 11Dr.MAHESH GARG		HLIT 1-6 R-23 Mr. X		
B.A. II B		POLS 1-6 R-23 RJ	HIST 1-6 R-25 SURESH MEENA		HLIT 1-6 R-22 Mr.Y		
B.A. II C		SOCL 1-6 R-24 Mr.X	PHIL 1-6 R-24 PREETI SINGH COMP 1-6 R-1 Mr.X ECO 1-6 R-22 BM	POLS 1-6 R-24 X	SANS 1-3 R-24 SCM	HLIT 1-6 R-26 Y	
B.A. II D		SOCL 1-6 R-24 Mr.X	PHIL 1-6 R-24 Mr.X COMP 1-6 R-1 Mr.X ECO 1-6 R-22 BM	POLS 1-6 R-24 SS	SANS 1-3 R-24 SCM	HLIT 1-6 R-26 Mr. Y	
B.A. III A		HIS 1-6 R-26 SM		HLIT 1-6 R-5 X	POLS 1-6 R-UT RJ		
B.A. III B		SOCL 1-6 R-22 Dr MG		PHIL 1-6 R-26 PS	SANS 4-6 R-23 SCM COMP 1-6 R-1 Mr.X ECO 1-6 R-22BM	HLIT 1-6 R-26Mr.X SOCL 1-6 R-22 Mr.X	
B.A. III C		POLS 1-6 R-25 X		PHIL 1-6 R-26 PS	SANS 4-6 R-23 SCM COMP 1-6 R-1 Mr.X ECO 1-6 R-22BM	HLIT 1-6 R-26 Mr.X SOCL 1-6 R-22 Mr.X	

11/10/22
प्राचार्य
राजकीय स्नातकोत्तर
महाविद्यालय हिण्डौन सिटी

Scanned with CamScanner

GOVT. P.G. COLLEGE , HINDAUN CITY TIME TABLE 2022-2023 w.e.f.11.10.2022

CLASS	10.00 -11.00	11.00 - 12.00	12.00 - 1.00	1.00 - 2.00	2.00-3.00	3.00-4.00	4.00-5.00
B.A. I A	HIS 1-6 R-3 Mr.Suresh Meena	GE 1-2 R-3 UM EVS 3-4 R-3 Mr.X	POLS 1-6 R-3 RJ	HLIT 1-6 R-25 Mr. X	GH 1-2 R-3 Mr.X ECA 1-2 R-3 Mr.X		
B.A. I B		HLIT 1-6R-26 Mr.Y	POLS 1-6 R-25 RJ	SOCL 1-6 R-3 DR.MAHESH GARG	GH 1-2 R-25 Mr.X EVS 5-6 R-25 Mr.X	GE 1-2 R-25 XX ECA 3-4 R-25 Mr.X	
B.A. I C	POLS 1-6 R-4 Mr. X	COMP 1-6 R-1 Mr.X ECO 1-6 R-4 BM PHIL 1-6 R-23 PREETI SINGH	HLIT 1-6 R-4 Mr.X	ENG 1-6 R-4 UPMA MEENA SANS1-6 R-26 SM	SOCL 1-6 R-4 MrX GEO-1-6 R-5 Mr.X	GH 1-2 R-4 Mr.X ECA 3=4R-4 Mr.X EVS 5-6 R-4 Mr.X	GE 3-4 R-4 Mr.X
B.A. I D	POLS 1-6 R-5 Mr.X	COMP 1-6 R-1 Mr.X ECO 1-6 R-4 BM PHIL 1-6 R- 23PREETI SINGH	HLIT 1-6 R-4 Mr.X	ENG 1-6 R-4 UPMA MEENA SANS1-6 R-26 SM	SOCL 1-6 R-4 MrX GEO-1-6 R-5 Mr.X	GE 1-6 R-5 UM ECA 1-4 R-5	GH 1-2 R-5 EVS 3-4 R-5 Mr.X
B.A. II A		POLS 1-6 R-UT RJ	SOCL 1-6 R- 11Dr.MAHESH GARG		HLIT 1-6 R-23 Mr. X		
B.A. II B		POLS 1-6 R-23 RJ	HIST 1-6 R-25 SURESH MEENA		HLIT 1-6 R-22 Mr.Y		
B.A. II C		SOCL 1-6 R-24 Mr.X	PHIL 1-6 R-24 PREETI SINGH COMP 1-6 R-1 Mr.X ECO 1-6 R-22 BM	POLS 1-6 R-24 X	SANS 1-3 R-24 SCM	HLIT 1-6 R-26 Y	
B.A. II D		SOCL 1-6 R-24 Mr.X	PHIL 1-6 R-24 Mr.X COMP 1-6 R-1 Mr.X ECO 1-6 R-22 BM	POLS 1-6 R-24 SS	SANS 1-3 R-24 SCM	HLIT 1-6 R-26 Mr. Y	
B.A. III A		HIS 1-6 R-26 SM		HLIT 1-6 R-5 X	POLS 1-6 R-UT RJ		
B.A. III B		SOCL 1-6 R-22 Dr MG		PHIL 1-6 R-26 PS	SANS 4-6 R-23 SCM COMP 1-6 R-1 Mr.X ECO 1-6 R-22BM	HLIT 1-6 R-26Mr.X SOCL 1-6 R-22 Mr.X	
B.A. III C		POLS 1-6 R-25 X		PHIL 1-6 R-26 PS	SANS 4-6 R-23 SCM COMP 1-6 R-1 Mr.X ECO 1-6 R-22BM	HLIT 1-6 R-26 Mr.X SOCL 1-6 R-22 Mr.X	

Scanned with CamScanner

Office Of Principal, Government College Hindaun City

Order No. 1814 (A) Date. 28/01/2022

Academic calendar 2021-22

Online application inviting UG	18.082021
Last date for applying online application	14.09.2021 (extended date, earlier date was 31.08.2021)
Form verification(by the college) last date & fee deposition at E-Mitra Kiosk(last date)	09.10.2021 (extended date, earlier date was 17.09.2021)
Publication of admitted students list I	11.10.2021 (extended date, earlier date was 06.10.2021)
Section allotment and subject allotment	12.10.2021(extended date, earlier date was 08.10.2021)
Teaching (offline/online) being	18.10.2021(extended date, earlier date was 09.10.2021)
Newly admitted student list publication and section/subject allotment (after remaining category wise seats)	29.10.2021 (extended date, earlier date was 28.10.2021)

Online admission (PG)

Online application inviting PG	08.12.2021
Last date for applying online application	01.01.2022
Form verification (by the college)last date	04.01.2022
Publication of first merit and waiting list	06.01.2022
Fee deposition at E-Mitra Kiosk (last date)	13.01.2022
Publication of admitted students list I	17.01.2022
Teaching begins	18.01.2022
Final admitted students list publication (remaining seats category wise)	02.02.2022

Vacations

Dussehra Vacations	13.10.2021-15.10.2021
Deepawali Vacations	29.10.2021-06.11.2021

Winter Vacations	25.12.2021-31.12.2021
Summer Vacations	01.05.2022-30.06.2022
Student union election	As per the direction of the state govt.
Annual examination application	As per the declaration of the affiliating university
Annual practical examinations(UG/PG)	As per the declaration of the affiliating university
Annual UG examinations	As per the declaration of the affiliating university
Annual PG examinations	As per the declaration of the affiliating university
Declaration of results	As per the declaration of the affiliating university

All Academic Activities Are Organized As Per The Guidelines Issued By The Department Of College Education (DCE) Government Of Rajasthan And The Affiliating University(University Of Kota, Kota). This Schedule Is Revised And Followed As Per The Orders Of The DCE/Affiliating University.

Principal
Government college
Hindaun city

प्राचार्य
राजकीय महाविद्यालय
हिण्डौन सिटी (राज०)

राजस्थान सरकार

निदेशालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।

क्रमांकः–एफ–7 (4) विविध / अकाद / अकॉशि / 2020 / 1066 दिनांकः– 24.7.2020

समस्त प्राचार्य,
राजकीय महाविद्यालय,
राजस्थान।

विषयः– स्नातक पार्ट– प्रथम वर्ष के लिए ऑन लाईन प्रवेश प्रकिया बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि स्नातक पार्ट –प्रथम वर्ष के लिए ऑन लाईन प्रवेश प्रकिया की तिथियां निम्नांनुसार रहेंगी।

ऑन लाईन प्रवेश कार्यकम – स्नातक पार्ट– प्रथम

क0सं0	विवरण	वार व तिथि
1	**ऑनलाईन आवेदन पत्र भरना– प्रारम्भ होने की तिथि**	**मंगलवार – 28 जुलाई 2020**
2	**आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि**	**मंगलवार – 11 अगस्त 2020**
3	महाविद्यालयों द्वारा आवेदन पत्रों के ऑनलाईन सत्यापन की अन्तिम तिथि	शुक्रवार – 14 अगस्त 2020
4	(अ) अन्तरिम वरीयता सूची व प्रतीक्षा सूची का प्रकाशन	सोमवार – 17 अगस्त 2020
	(ब) अभ्यर्थियों द्वारा ई–मित्र पर शुल्क जमा कराने की अन्तिम तिथि	शनिवार – 22 अगस्त 2020
5	**प्रवेशित विद्यार्थियों की प्रथम सूची का प्रकाशन**	**मंगलवार – 25 अगस्त 2020**
6	प्रवेशित विद्यार्थियों का वर्ग निर्धारण एवं विषय आवंटन	गुरूवार – 27 अगस्त 2020
7	**महाविद्यालय में ऑन लाईन स्नातक पार्ट प्रथम शिक्षण कार्य प्रारम्भ**	**शनिवार – 29 अगस्त 2020**

श्रेणीवार रिक्त स्थानों के लिये पुनः ऑन लाईन प्रवेश कार्यकम

क0सं0	विवरण	वार व तिथि
8	श्रेणीवार रिक्त स्थानों के लिये ऑन लाईन आवेदन प्रारम्भ करने की तिथि	बुधवार – 26 अगस्त 2020
9	श्रेणीवार रिक्त स्थानों के लिये ऑन लाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि	मंगलवार – 1 सितम्बर 2020
10	प्राप्त आवेदन पत्रों के ऑन लाईन सत्यापन की अन्तिम तिथि	बुधवार – 2 सितम्बर 2020
11	(अ) रिक्त स्थानों के लिये अन्तिम प्रतीक्षा की सूची का प्रकाशन	गुरूवार – 3 सितम्बर 2020
	(ब) अभ्यर्थियों द्वारा ई–मित्र कियोस्क पर शुल्क जमा कराने की अन्तिम तिथि	सोमवार – 7 सितम्बर 2020
12	प्रवेशित अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन	मंगलवार – 8 सितम्बर 2020
13	नव प्रवेशित विद्यार्थियों का वर्ग निर्धारण एवं विषय आवंटन	बुधवार – 9 सितम्बर 2020

कोरोना कोविड–19 के मध्यनजर राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार की एडवाईजरी के अनुसार अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्रों की जांच स्थिति सामान्य होने पर की जा सकेगी ।

(संदेश नायक, IAS)
निदेशक
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान,

क्रमांकः–एफ–7 (4) विविध / अकाद / अकॉशि / 2020 / 1066 दिनांकः– 24.7.2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, मंत्री, उच्च शिक्षा, राजस्थान सरकार , शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, राजस्थान, शासन सचिवालय, जयपुर
3. निजी सचिव, निदेशक, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. श्रीमती ज्योति लुहाडिया, अतिरिक्त निदेशक, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, जयपुर।
5. वेब प्रभारी, निदेशालय कॉलेज शिक्षा को अपलोड हेतु।

24/7/2020

(डॉ0 दीपक मेहरा)
संयुक्त निदेशक (अकादमिक)
कॉलेज शिक्षा, राज0,जयपुर।

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकःएफ.7(4)प्रवेशनीति / अकाद / आकाशि / 2020–21 / 1238 दिनांक 13 अक्टूबर 2020

प्राचार्य,
समस्त राजकीय / निजी महाविद्यालय,
राजस्थान।

विषय :– दशहरा, दीपावली व शीतकालीन अवकाश बाबत।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत कोविड–19 के चलते सत्र 2020–21 हेतु आकाशि कैलेण्डर जारी नहीं किये जाने के कारण समस्त महाविद्यालयों में दशहरा, दीपावली व शीतकालीन अवकाश निम्नलिखित तिथियों में घोषित किये जाते हैं –

1.	दशहरा अवकाश	दिनांक 24.10.2020 से 25.10.2020	2 दिवस
2.	दीपावली अवकाश	दिनांक 12.11.2020 से 16.11.2020	5 दिवस
3.	शीतकालीन अवकाश	दिनांक 25.12.2020 से 27.12.2020	3 दिवस

भवदीय,

(संदेश नायक IAS)
आयुक्त

प्रतिलिपि–

1. वेबसाईट प्रभारी, आयुक्तालय। कृपया आयुक्तालय की बेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।

13/10/2020

(डॉ.दीपक मेहरा)
संयुक्त निदेशक(अकादमिक)

अति–आवश्यक

राजस्थान सरकार

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।

क्रमॉकः–एफ–7(4)प्रवेश/अकाद/आकाशि/2020/6 जयपुर, दिनांक :– 7.1.2021

प्राचार्य,
समस्त राजकीय/निजी महाविद्यालय,
राजस्थान ।

विषयः–**राज्य के समस्त महाविद्यालयों में शैक्षणिक गतिविधियां दिनांक 18 जनवरी 2021 से पुनः प्रारम्भ करने बाबत् ।**

संदर्भः–शासन सचिव, गृह (ग्रुप–9) विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक प033(2)गृह–9/2019 दिनांक 06 जनवरी 2021 ।

राज्य सरकार द्वारा महाविद्यालयों को चरणबद्ध तरीके से दिनांक 18 जनवरी 2021 से पुनः खोलने का निर्णय लिया गया है । राज्य सरकार द्वारा जारी की गई मानक संचालन प्रक्रिया की अनिवार्यतः अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी । **दिनांक 18 जनवरी 2021 से स्नातक अंतिम वर्ष एवं स्नातकोत्तर–उत्तरार्द्ध की ही कक्षाएं अध्ययन हेतु प्रारम्भ होंगी ।**

सभी महाविद्यालयों में प्रत्येक कक्षा में कुल क्षमता का 50 प्रतिशत उपस्थिति प्रथम दिन एवं शेष 50 प्रतिशत उपस्थिति दूसरे दिन रहेगी । निर्देशानुसार सभी महाविद्यालयों में सोशल डिस्टेंसिंग एवं मास्क सहित अन्य हैल्थ प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखा जाये तथा इनका संचालन केन्द्र के दिशा निर्देशों एवं एसओपी के तहत् किया जाना सुनिश्चित करें ।

राज्य सरकार द्वारा कोविड महामारी की रोकथाम के लिये जारी निम्न गाईड लाईन्स की अक्षरशः अनुपालना महाविद्यालय परिसर में सुनिश्चित की जावे :–

1. महाविद्यालय द्वारा प्रत्येक विद्यार्थी को उनके आगमन पर थर्मल स्क्रीनिंग एवं सेनेटाईजशन करना अनिवार्य होगा ।
2. महाविद्यालय के मुख्य द्वार पर सामाजिक दूरी (सोशल डिस्टेसिंग) का ध्यान रखा जावे एवं विद्यार्थी/अभिभावक/स्टाफ अनावश्यक रूप से एकत्रित न हों ।
3. अध्ययन अवधि के दौरान महाविद्यालय में एवं सार्वजनिक परिवहन के दौरान फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा । "No Mask No Entry" की पालना आवश्यक है एवं पीने के लिये पानी की बोतल लाना सुनिश्चित किया जावे ।
4. किसी विद्यार्थी द्वारा मास्क नहीं लगाया जाने पर महाविद्यालय द्वारा मास्क उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जावे ।
5. अध्ययन कक्ष में सोशल डिस्टेसिंग (06 फिट की दूरी) तथा प्रत्येक मंजिल पर क्लास रूम एवं फैकल्टी रूम को प्रतिदिन सेनेटाईज किया जावे एवं खिड़की/दरवाजों को खुला रखा जावे, ताकि हवा का पर्याप्त प्रवाह सुनिश्चित रहे।
6. केंटीन स्टाफ/कैंटीन काउंटर के सेनेटाईजेशन का ध्यान रखा जावे। विद्यार्थियों को सामग्री उपलब्ध कराते समय स्टाफ द्वारा सेनेटाईज दस्तानों का प्रयोग किया जावे।

7. कुर्सियों, सामान्य सुविधाओं एवं मानव सम्पर्क में आने वाले सभी बिन्दुओं जैसे – रेलिंग, डोर हैण्डलस एवं सार्वजनिक सतह, फर्श आदि की बार–बार सफाई की जायेगी ।
8. विद्यार्थियों को अपने कक्ष के अतिरिक्त अन्य विद्यार्थियों के कक्ष में प्रवेश अनुमत नहीं है।
9. आपातकालीन स्थिति में तुरन्त चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध कराई जावे ।
10. अध्ययन के दौरान किसी भी विद्यार्थी / शैक्षणिक व अशैक्षणिक स्टाफ के कोविड–19 के लक्षण पाये जाने पर उसे तुरन्त निकटस्थ अस्तपाल / कोविड़ सेन्टर में ईलाज / आईसोलेशन हेतु रैफर / भर्ती किया जावे।
11. महाविद्यालय में अध्ययन कक्ष में प्रवेश करते समय एवं बाहर आने के समय सेनेटाईजर / साबुन / पानी से हाथ धोने को प्रोत्साहित किया जावे ।
12. महाविद्यालय में प्रतिदिन काम आने वाली स्टेशनरी एवं अन्य उपकरण को सेनेटाईज किया जावे ।
13. सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर प्रतिबंध हो एवं उल्लंघन किये जाने पर नियमानुसार आर्थिक दण्ड कारित किया जावे ।
14. सभी फैकल्टी मैम्बर्स एवं विद्यार्थी ऐसी किसी सतह, जो सार्वजनिक सम्पर्क में हैं, को छूने के उपरांत साबुन व पानी से हाथ धोऐं एवं सेनेटाईजर का उपयोग करें, इस हेतु यथा स्थान पोस्टर / स्टीकर लगाये जावें ।
15. महाविद्यालय अपने विद्यार्थी एवं फैकल्टी स्टाफ को सार्वजनिक एवं स्वयं की सुरक्षा के लिये उनके मोबाईल फोन पर आरोग्य सेतू एप इंस्टाल करने एवं उपयोग करने के लिये प्रेरित व प्रोत्साहित करेगें ।
16. श्वास–प्रश्वास सम्बन्धी नियमों की शक्ति से पालना की जावे, जिसके अन्तर्गत खॉसते–छींकते समय अपने मुँह व नाक को टिश्यू / रूमाल से ढ़कना न भूलें ।
17. अपने स्वास्थ्य का स्वयं ध्यान रखते हुये किसी भी प्रकार की बीमारी की तुरन्त रिपोर्ट करना ।

कोविड़–19 के संक्रमण से बचाव के लिये अनिवार्य है कि समस्त महाविद्यालयों में स्टाफ / विद्यार्थी इन दिशा निर्देशों की पालना अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करें। इन शर्तों का उल्लंघन नियमानुसार दण्डनीय है । अतः निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित दिशा–निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करें ।

(संदेश नायक)
आयुक्त
कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर।

क्रमॉकः–एफ–7(4)प्रवेश / अकाद / आकाशि / 2020 / जयपुर, दिनांक :–

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
2. वेब प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, जयपुर को अपलोड़ करने हेतु ।

(सौमित्र नाथ झा)
संयुक्त निदेशक (अकादमिक)
कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर।

राजस्थान सरकार

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur-302015, Rajasthan
Website: http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/
e-mail: jdacad1960@gmail.com Ph.: 0141-2706550

क्रमांकःएफ7(4)शैक्षणिक कलैण्डर/अकाद/निकाशि/03/ 1354 दिनांकः 24 दिसम्बर, 2020

आदेश

सामान्य प्रशासन (ग्रुप–6) विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा जारी विज्ञप्ति क्रमांक प.6(1)सा.प्र.वि/6/2020 जयपुर दिनांकः 26.10.2020 की अनुपालना में आयुक्तालय के अधीन समस्त महाविद्यालयों में कलैण्डर वर्ष 2021 (ग्रेगोरियन) ई.शक संवत् 1942–43 में निम्नलिखित अवकाश घोषित गये है :–

सार्वजनिक अवकाश

क्र.सं.	अवकाश का नाम	राष्ट्रीय कलैण्डर	ग्रेगोरियन दिनांक	दिन का नाम
1.	गुरूगोबिन्द सिंह जयन्ती	30 पोष, 1942	20.01.2021	बुधवार
2.	गणतन्त्र दिवस	06 माघ, 1942	26.01.2021	मंगलवार
3.	महाशिवरात्रि	20 फाल्गुन, 1942	11.03.2021	गुरूवार
4.	होलिका दहन	07 चैत्र, 1943	28.03.2021	रविवार
5.	धूलण्डी	08 चैत्र, 1943	29.03.2021	सोमवार
6.	गुड फ्राइडे	12 चैत्र, 1943	02.04.2021	शुक्रवार
7.	चेटीचण्ड	23 चैत्र, 1943	13.04.2021	मंगलवार
8.	डा. अम्बेडकर जयन्ती	24 चैत्र, 1943	14.04.2021	बुधवार
9.	रामनवमी	01 वैशाख, 1943	21.04.2021	बुधवार
10.	महावीर जयन्ती	05 वैशाख, 1943	25.04.2021	रविवार
11.	परशुराम जयन्ती	24 वैशाख, 1943	14.05.2021	शुक्रवार
12.	ईदुलफितर (चॉंद से)	24 वैशाख, 1943	14.05.2021	शुक्रवार
13.	महाराणा प्रताप जयन्ती	23 ज्येष्ठ, 1943	13.06.2021	रविवार
14.	ईदुलजुहा	30 आषाढ, 1943	21.07.2021	बुधवार
15.	विश्व आदिवासी दिवस	18 श्रावण, 1943	09.08.2021	सोमवार
16.	स्वतंत्रता दिवस	24 श्रावण, 1943	15.08.2021	रविवार
17.	मोहर्रम (ताजिया)(चॉंद से)	28 श्रावण, 1943	19.08.2021	गुरूवार
18.	रक्षाबंधन	31 श्रावण, 1943	22.08.2021	रविवार
19.	श्री कृष्ण जन्माष्टमी	08 भाद्रपद, 1943	30.08.2021	सोमवार
20.	रामदेव जयन्ती व तेजादशमी एवं खेजडली शहीद दिवस	25 भाद्रपद, 1943	16.09.2021	गुरूवार
21.	महात्मा गांधी जयन्ती	10 आश्विन, 1943	02.10.2021	शनिवार
22.	नवरात्रा स्थापना	15 आश्विन, 1943	07.10.2021	गुरूवार
23.	दुर्गाष्टमी	21 आश्विन, 1943	13.10.2021	बुधवार
24.	विजयदशमी	23 आश्विन, 1943	15.10.2021	शुक्रवार
25.	बरावफात (चॉंद से)	27 आश्विन, 1943	19.10.2021	मंगलवार
26.	दीपावली	13 कार्तिक, 1943	04.11.2021	गुरूवार
27.	गोवर्धन पूजा	14 कार्तिक, 1943	05.11.2021	शुक्रवार
28.	भैया दोज	15 कार्तिक, 1943	06.11.2021	शनिवार
29.	गुरूनानक जयन्ती	28 कार्तिक, 1943	19.11.2021	शुक्रवार
30.	क्रिसमस डे	04 पौष, 1943	25.12.2021	शनिवार

नोट :–

General Office order

1. वर्ष के समस्त रविवार को सार्वजनिक अवकाश रहेगा तथा प्रत्येक माह का दूसरा शनिवार का अवकाश द्वितीय शनिवार के दिवस से माह के अंतिम तारीख तक उसी माह में उपभोग किया जा सकेगा।
2. मुस्लिम अवकाश चन्द्रमा दिखाई देने पर निर्भर रहेंगें।
3. राज्य सरकार की आज्ञा संख्या एफ 1(80) शिक्षा–6/63 दिनांक 15.9.69 के अनुसार कलेक्टर द्वारा घोषित अवकाश महाविद्यालयों में लागू नहीं होंगे।
4. महाविद्यालयों में प्राचार्य को कलैण्डर वर्ष में 3 दिवस का अवकाश घोषित करने का अधिकार रहेगा।
5. राज्य सरकार की आज्ञा संख्या एफ (डी) (255) शिक्षा–2/विभाग दिनांक 11.2.63 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा घोषित ऐच्छिक अवकाश देय नहीं हैं, इसके बदले में महाविद्यालयों में कार्य करने वाले कर्मचारियों को दो दिवस का क्षतिपूर्ति अवकाश ग्रीष्मावकाश की अवधि में देय होगा।
6. राज्य सरकार के आदेश संख्या एफ 1(520) शिक्षा–6/62 दिनांक 15.3.62 के आदेशानुसार निम्नलिखित राजपत्रित अवकाश के दिन महाविद्यालयों में अवकाश नहीं रहेगा एवं इन दिवसों में कार्य करने की ऐवज में नियमानुसार जिन्हें क्षतिपूर्ति अवकाश देय हैं, उन्हें क्षतिपूर्ति अवकाश ग्रीष्मावकाश की अवधि में देय होगा।

क्र.सं.	अवकाश का नाम	राष्ट्रीय कलैण्डर	ग्रेगोरियन दिनांक	दिन का नाम
1.	महात्मा गांधी जयन्ती	10 आश्विन,1943	02.10.2021	शनिवार
2.	नवरात्रा स्थापना	15 आश्विन, 1943	07.10.2021	गुरूवार

7. कोटा जिले में जन्माष्टमी के बाद आने वाला दिन स्वतः जन्माष्टमी के स्थान पर अवकाश के रूप में माना जावेगा।

(संदेश नायक IAS)
आयुक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–3) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट शासन सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप–6) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. कुल सचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
4. कुल सचिव, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर।
5. कुल सचिव, एम.डी.एस. विश्वविद्यालय, अजमेर।
6. कुल सचिव, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर।
7. कुल सचिव, राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर।
8. कुल सचिव, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा।
9. कुल सचिव, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा।
10. कुल सचिव, मोहन लाल सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर।
11. कुल सचिव, महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर।
12. कुल सचिव, राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर।
13. पं. दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर।
14. कुल सचिव, राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर।
15. कुल सचिव, महाराणा प्रताप कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय, उदयपुर।
16. कुल सचिव, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर।
17. निदेशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
18. निदेशक, संस्कृत विभाग, राजस्थान, जयपुर।
19. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, राजस्थान, जोधपुर।
20. निदेशक, एन.सी.सी. विभाग, राजस्थान, जयपुर।
21. समस्त प्राचार्य, राजकीय/निजी महाविद्यालय, राजस्थान।
22. समस्त सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान।
23. बेवसाईट प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, जयपुर।

24-12-20
(जी.के. सोनी)
संयुक्त निदेशक(अकादमिक)

General Office order

राजस्थान सरकार
आयुक्तालय, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan
Website: http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/ e-mail: innovation.cceraj@gmail.com Ph.: 0141-2706106 (O);

Letter No. CCE/Acad./Calendar/2019/..164-65 Date: 01st July 2019

समस्त प्राचार्य,
राजकीय महाविद्यालय,
राजस्थान

विषय: राजकीय महाविद्यालयों में शैक्षणिक गुणवत्ता अभिवृद्धि एवम सांस्थानिक विकास सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न गतिविधियों के व्यवस्थित एवं एकरूप संचालन हेतु **मासिक कैलेंडर आकाशि** को जारी करने बाबत।

महोदय,

आप सभी को नए अकादमिक सत्र की हार्दिक शुभकामनाएं।

महाविद्यालयों में नया अकादमिक सत्र 2019-20 आरम्भ होने जा रहा है। इस सत्र में जुलाई माह में ही अनेकों कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना है, जिनके के बारे में आप भली भांति सूचित हैं। अभी आयुक्तालय की ओर से महाविद्यालय समूह के समन्वय हेतु नियुक्त प्रभारी अधिकारियों ने भी आपसे इन कार्यक्रमों के बारे में चर्चा की होगी।

हम सभी का विशेष ध्यान आज दिनाँक 1 जुलाई से नियमित कक्षाओं का संचालन आरम्भ होने पर है। इसके लिए आप द्वारा महाविद्यालय में टॉपिक वाइज मासिक टाइम टेबल लगवाना अनिवार्य है। **ये कक्षाएं, जो आज आरम्भ करवाई गयी हैं, उनकी निरंतरता को भी बनाये रखना है ।**

साथ ही दो अन्य महत्वपूर्ण कार्य **दिनांक 13 जुलाई को राज्यस्तरीय सामान्यज्ञान प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन** तथा **दिनांक 15 जुलाई से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु निःशुल्क कोचिंग कक्षाओं** के कार्यक्रम **प्रतियोगिता दक्षता** का पुनः आरम्भ होना है।

इसी क्रम में सूचित किया जाता है कि महाविद्यालयों में शैक्षणिक गुणवत्ता अभिवृद्धि एवम सांस्थानिक विकास सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न गतिविधियों के व्यवस्थित एवं एकरूप संचालन हेतु आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा द्वारा कॉलेज शिक्षा विभाग के लिए महाविद्यालयों में वर्ष पर्यन्त आयोजित होने वाली गतिविधियों का मासिक कैलेंडर आकाशि तैयार करवाया गया है। माननीय मंत्री, उच्च शिक्षा, राजस्थान ने इस आकाशि कैलेंडर का दिनाँक 26 जून 2019 को विमोचन किया।

यह कैलेंडर सभी महाविद्यालयों में आयोजित होने वाली गतिविधियों में राज्य स्तरीय समरूपता स्थापित करने का प्रयास है। साथ ही, विद्यार्थियों को अधिकाधिक संवाद एवं सहभागिता के अवसर प्रदान करना भी इसका मूल उद्देश्य रहा है।

स्पष्ट है कि इस कैलेंडर के माध्यम से महाविद्यालयों में आयोजित किये जाने वाले कार्यक्रमों में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की मंशा नही है। महाविद्यालय, इन गतिविधियों के अतिरिक्त स्वयं के स्तर पर अन्य कार्यक्रमो के आयोजन के लिए स्वतंत्र हैं, परंतु सभी महाविद्यालयों को इस कैलेंडर में निर्देशित गतिविधियों का आयोजन करवाया जाना अनिवार्य है। विद्यार्थी एवं संस्था हित में सभी महाविद्यालय अधिकाधिक गतिविधियों के संचालन का प्रयास सुनिश्चित करें।

आशा है कि आयुक्तालय स्तर से महाविद्यालयों में एकरूपता सुनिश्चित करने का यह प्रयास आप सभी को लाभकारी सिद्ध होगा।

यह कैलेंडर आकाशि की वेबसाइट पर भी अपलोड़ कर दिया गया है।

प्रदीप कुमार बोरड़
आयुक्त कॉलेज शिक्षा, एवं
विशिष्ट शासन सचिव, उच्च शिक्षा

प्रतिलिपि :
वैब साईट प्रभारी को अपलोड करने हेतु ।

आयुक्त कॉलेज शिक्षा,

सत्यमेव जयते

उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान

आकाशि

शैक्षणिक गुणवत्ता अभिवृद्धि एवं सांस्थानिक विकास सुनिश्चित करने के लिये

मासिक कैलेण्डर

सत्र 2019–20

आयुक्तालय कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान

भंवर सिंह भाटी

मंत्री

उच्च शिक्षा (स्वतन्त्र प्रभार)

कृषि सिंचित क्षेत्रीय विकास एवं

जल उपयोगिता विभाग, राजस्थान सरकार

❖

वैभव गालरिया

आई.ए.एस.

शासन सचिव

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

राजस्थान सरकार

❖

प्रदीप कुमार बोरड़

आई.ए.एस.

आयुक्त

कॉलेज शिक्षा एवं विशिष्ट शासन सचिव

उच्च शिक्षा विभाग, जयपुर

कालेज शिक्षा का मासिक कलैण्डर

आकाशि

सत्र 2019-20

प्राचार्यों, शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के नियमित समागम से सभी राजकीय महाविद्यालयों में वर्ष पर्यन्त गतिविधियों का संचालन होता है। इन गतिविधियों के माध्यम से जहाँ एक और विद्यार्थियों को क्षमता विकास के नये-नये अवसर प्राप्त होते हैं, तो दूसरी ओर उन्हें उपलब्धि के प्रतिमान स्थापित करने के अवसर भी प्राप्त होते हैं। साथ ही, विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से महाविद्यालयी संस्थाओं में जीवन्तता बनी रहती है। विद्यार्थियों को दैनिक जीवन से लेकर रोजगारोन्मुख शिक्षा, खेलकूद दक्षता से लेकर सूचना प्रौद्योगिकी आधारित क्षमता विकास के नये आयाम सीखने को मिलते हैं। इससे स्वस्थ प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण तो निर्मित होता ही है, और साथ ही संस्थाओं का विकास भी होता है।

महाविद्यालयों द्वारा विद्यार्थियों को सूचना प्रसारित करवाने के बेहतर प्रयासों के उपरांत भी अनेक विद्यार्थी जानकारी तथा सम्पर्क अभाव के कारण गतिविधियों में भाग लेने से वंचित रह जाते हैं। अत: इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए यह महसूस किया गया है कि महाविद्यालयों में आयोजित की जाने वाली विभिन्न गतिविधियों का एक समेकित रूप/कैलेण्डर जारी किया जाए ताकि सभी हितधारक समयानुरूप सूचित रह सकें और अभिरुचि अनुरूप विभिन्न गतिविधियों से लाभान्वित हो सकें।

इस प्रयोजनार्थ एक व्यवस्थित एवं विस्तृत सूचनाओं एवं तिथियों को सभी महाविद्यालयों में एकरूपता के साथ संयोजित करते हुए आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा द्वारा पहली बार समस्त गतिविधियों का एक मासिक कैलेण्डर 'आकाशि' जारी किया गया है।

इस कैलेण्डर का उद्देश्य सभी राजकीय महाविद्यालयों में संचालित गतिविधियों में एकरुपता लाते हुए उन्हें समान तिथियों में व्यवस्थित रुप से आयोजित करवाना है। तथापि, इस कैलेण्डर में अंकित गतिविधियों एवं कार्यक्रमों के अतिरिक्त अन्य गतिविधियों के आयोजन के लिये महाविद्यालय स्वतंत्र हैं। यह कैलेण्डर गतिविधियों/कार्यक्रमों के आयोजन के संबंध में किसी भी प्रकार से महाविद्यालयों की स्वतंत्रता/स्वायत्ता में हस्तेक्षप नहीं है, बल्कि यह प्रयास उन्हें किसी भी नवाचार की पहल करने के लिये अधिक स्वायत्ता देते हुए शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने तथा छात्रों को नवजीवन में अधिक सक्षम बनाने की प्रेरणा देने के लिये है।

आयुक्त

सामान्य निर्देश

राजस्थान में उच्च शिक्षा के समस्त राजकीय महाविद्यालयों के लिए सत्र 2019-20 के लिए यह आकाशि कैलेण्डर प्रस्तुत है। इसके अनुसार ही सत्र पर्यन्त समस्त गतिविधियों (शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक) का आयोजन किया जायेगा। स्थानीय स्तर या महाविद्यालय स्तर पर कैलेण्डर की पालना में यदि कोई समस्या उत्पन्न हो रही है या परिवर्तन चाह रहे हैं तो आयुक्तालय को सूचित करें एवं आयुक्तालय के आदेश के पश्चात् ही परिवर्तन सम्भव होगा।

शैक्षणिक सत्र 1 जुलाई, 2019 से आरम्भ है। सम्पूर्ण प्रवेश प्रक्रिया 30 जून, 2019 तक पूरी कर ली जायेगी। 1 जुलाई से नियमित कक्षाएँ प्रारम्भ कर दी जायेगी। सभी संकायों के प्रत्येक सेक्शन को पाँच हाउसेज (अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु एवं आकाश) में बाँटा जायेगा। इन हाउसेज के आधार पर ही समस्त शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक गतिविधियों (इन्टर हाउस) का आयोजन महाविद्यालय द्वारा किया जावेगा।

कुछ विशिष्ट बिन्दु

1. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमानुसार 180 शैक्षणिक दिवस होने आवश्यक है।
2. छात्रसंघ का उद्घाटन - छात्रसंघ चुनाव परिणाम घोषित होने की तिथि से एक माह तक।
3. नियमित छात्रों द्वारा परीक्षा फार्म भरना एवं पूरक परीक्षाओं का आयोजन-सम्बद्धक विश्वविद्यालय के अनुसार।
4. एन.एस.एस./एन.सी.सी. एवं रोवर स्काउट गाईड के शिविरों का आयोजन एवं अन्य गतिविधियाँ-निर्देशानुसार।
5. राज्य के किसी भी महाविद्यालय द्वारा एन.एस.एस./एन.सी.सी. गतिविधियों को छोड़कर कोई भी सह-शैक्षणिक अथवा शिक्षणोत्तर गतिविधियाँ दिनांक 31.01.2019 के पश्चात् आयोजित नहीं की जायेगी।
6. **विश्वविद्यालय परीक्षाओं का प्रारम्भ**

   (क) **स्नातक**- नियमित एवं स्वयंपाठी विद्यार्थियों हेतु - सम्बद्धक विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार।

   (ख) **स्नाातकोत्तर**- नियमित एवं स्वयंपाठी विद्यार्थियों हेतु - सम्बद्धक विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार।
7. समस्त प्रायोगिक परीक्षाएँ विश्वविद्यालय परीक्षा की समय सारणी के अनुसार आयोजित कर ली जाए। प्रायोगिक परीक्षाओं के दौरान कक्षाएँ यथावत चलती रहेगी।
8. जिन महाविद्यालयों में सेमेस्टर प्रणाली है, वहां विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शैक्षणिक व परीक्षा कार्यक्रम लागू होगा।
9. कृषि संकाय हेतु सम्बद्धक कृषि विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित शैक्षणिक सत्र लागू होगा।
10. राज्य सरकार की आज्ञा संख्या एफ. (डी)(255)शिक्षा-2/विभाग दिनांक 11.02.63 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा घोषित ऐच्छिक अवकाश देय नहीं है, इसके बदले में महाविद्यालयों में कार्य करने वाले कर्मचारियों को इन दिवसों का क्षतिपूर्ति अवकाश ग्रीष्मावकाश अवधि में देय होगा।
11. महाविद्यालयों में प्राचार्य को एक कैलेण्डर वर्ष में 3 दिवस का अवकाश घोषित करने का अधिकार रहेगा।
12. राज्य सरकार की आज्ञा संख्या एफ.1(80)शिक्षा-6/63 दिनांक 15.09.69 के अनुसार कलेक्टर द्वारा घोषित अवकाश महाविद्यालयों में लागू नहीं होंगे।
13. अशैक्षणिक कर्मचारियों को प्रत्येक माह के दूसरे शनिवार के अवकाश के ऐवज में द्वितीय शनिवार के दिवस से माह के अन्तिम तिथि तक उसी माह में अवकाश का उपभोग किया जा सकेगा।
14. आकाशि कैलेण्डर एवं राजस्थान सरकार के कैलेण्डर में उल्लेखित समान अवकाश की तिथि में कोई विसंगति हो तो ऐसी स्थिति में राजस्थान सरकार के कैलेण्डर की तिथि को सही मानते हुए इस कैलेण्डर में वैसा ही संशोधन माना जावे।

आकाशि कैलेण्डर जुलाई 2019

रविवार	–	7	14	21	28
सोमवार	1	8	15	22	29
मंगलवार	2	9	16	23	30
बुधवार	3	10	17	24	31
गुरुवार	4	11	18	25	
शुक्रवार	5	12	19	26	
शनिवार	6	13	20	27	

शैक्षणिक कार्य दिवस : 27 **रविवार : 4** **अवकाश : शून्य**

1. सार्वजनिक अवकाश – शून्य
2. आयोज्य विशेष दिवस, उत्सव, कार्यक्रम

1 जुलाई
- नियमित अध्यापन कार्य प्रारम्भ – (निर्धारित टॉपिकवाईज)
- विद्यार्थियों को अपने-अपने हाउस की जानकारी दी जाए।
- महाविद्यालय नोटिस बोर्ड पर माह जुलाई में होने वाली गतिविधियों की जानकारी चस्पा की जाए।

11 जुलाई — **विश्व जनसंख्या दिवस का आयोजन** – इन्टर हाउस गतिविधि के रूप में आयोजित की जाए। इस हेतु वाद-विवाद, निबन्ध एवं पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित की जा सकती है। (प्रतियोगी परीक्षाओं के सम्बन्ध में जनसंख्या सम्बन्धी विषय को विस्तार से बताया जा सकता है)

13 जुलाई — सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन

15 जुलाई — **विश्व युवा कौशल दिवस** – (यथा सम्भव आयोजन के रूप में) प्रतियोगिता दक्षता कार्यक्रम के अन्तर्गत नि:शुल्क कोचिंग कक्षाओं का शुभारम्भ।

29 जुलाई — मासिक परीक्षा

मासिक गतिविधियाँ :
- जुलाई के अन्तिम सप्ताह में हरित मानसून सप्ताह का आयोजन – इस हेतु महाविद्यालय में विद्यार्थियों को वृक्षारोपण हेतु प्रेरित किया जावे।
- महाविद्यालय एल्यूमिनी कौंसिल का पंजीयन (यदि अभी तक नहीं हुआ है)
- महाविद्यालय स्टाफ कौंसिल की बैठक।
- महाविद्यालय के समस्त विद्यार्थियों का कक्षावार सदनों में विभाजन ।
- विद्यार्थियों का कौशल विकास कार्यक्रम हेतु आमुखीकरण।
- मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना, मुख्यमंत्री प्रतिभावान छात्रा स्कूटी योजना (मेधावी छात्रा स्कूटी योजना), देवनारायण छात्रा स्कूटी एवं प्रोत्साहन राशि योजना, विधवा परित्यक्ता मुख्यमंत्री (बी.एड.) सम्बल योजना के अधीन ऑनलाईन पोर्टल पर महाविद्यालय का पंजीयन/पाठ्यक्रम सत्यापन 15 जुलाई से प्रारम्भ।

निर्देश : प्रतियोगिता दक्षता कक्षाओं में अभिप्रेरणा व मार्गनिर्देश हेतु प्रशासनिक अधिकारियों/ सफल अभ्यर्थियों को आमंत्रित किया जावे।

- विद्यार्थी अपने हाऊस के नाम को विभिन्न दिवषों (हिन्दी, भूगोल, इतिहास, विज्ञान आदि) से जोड़ कर आलेख लिखेंगे।

आकाशि कैलेण्डर अगस्त 2019

रविवार		4	11	18	25
सोमवार		5	12	19	26
मंगलवार		6	13	20	27
बुधवार		7	14	21	28
गुरुवार	1	8	15	22	29
शुक्रवार	2	9	16	23	30
शनिवार	3	10	17	24	31

शैक्षणिक कार्य दिवस : 24 **रविवार : 4** **अवकाश : 3**

1. सार्वजनिक अवकाश : 12 *ईदुलजुहा, 15 रक्षाबंधन/स्वतंत्रता दिवस, 24 *जन्माष्टमी
2. आयोज्य विशेष दिवस/उत्सव/ कार्यक्रम

9 अगस्त भारत छोड़ो आन्दोलन।

15 अगस्त रक्षा बंधन, स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन-खेलकूद, सांस्कृतिक एवं सामाजिक गतिविधियों का आयोजन

20 अगस्त सद्भावना दिवस का आयोजन, अक्षय ऊर्जा तथा शिक्षा अधिकार दिवस

26अगस्त मासिक परीक्षा

29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस

मासिक गतिविधियाँ :

- राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कार्यक्रमानुसार छात्रसंघ चुनाव।
- *ईदलजुहा चन्द्रमा दिखाई देने पर निर्भर रहेगा।
- *कोटा जिले में जन्माष्टमी के बाद आने वाला दिन स्वत: जन्माष्टमी के स्थान पर अवकाश के रूप में माना जावेगा।।
- महाविद्यालय में सभी समितियों व परिषदों का गठन कार्य पूरा किया जाना है।
- सदन व्यवस्था अन्तर्गत इन्टर हाउस खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन। विद्यार्थियों में कौशल विकास हेतु आमुखीकरण एवं किसी सफल उद्यमी द्वारा इन्टरेक्शन।
- मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना, मुख्यमंत्री प्रतिभावान छात्रा स्कूटी योजना (मेधावी छात्रा स्कूटी योजना), देवनारायण छात्रा स्कूटी एवं प्रोत्साहन राशि योजना, विधवा परित्यक्ता मुख्यमंत्री (बी.एड.) संबंल योजना के अधीन ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने/पोर्टल बंद करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त, 2019

आकाशि कैलेण्डर सितम्बर 2019

रविवार	1	8	15	22	29
सोमवार	2	9	16	23	30
मंगलवार	3	10	17	24	
बुधवार	4	11	18	25	
गुरुवार	5	12	19	26	
शुक्रवार	6	13	20	27	
शनिवार	7	14	21	28	

शैक्षणिक कार्य दिवस : 23 **रविवार : 5** **अवकाश : 2**

1. **सार्वजनिक अवकाश :** 8 रामदेव जयन्ती, तेजादशमी, 10 मोहर्रम (ताजिया), 29 *नवरात्रा स्थापना (महाविद्यालय में अवकाश नहीं रहेगा)

2. **आयोज्य विशेष दिवस, उत्सव, कार्यक्रम**

5 सितम्बर शिक्षक दिवस पर महाविद्यालय पर शैक्षणिक चर्चा।

8सितम्बर विश्व साक्षरता दिवस ।

14 सितम्बर हिन्दी दिवस।

24 सितम्बर राष्ट्रीय सेवा योजना दिवस।

30 सितम्बर मासिक परीक्षा

मासिक गतिविधियाँ

- युवा विकास प्रकोष्ठ में आमुखीकरण कार्यक्रम
- उपभोक्ता मंच का गठन ।
- मानवाधिकार क्लब में कार्यक्रमों का आयोजन
- खेलकूद गतिविधियाँ का संचालन (सम्बन्धित विश्वविद्यालय खेल बोर्ड के कैलेण्डर को दृष्टिगत रखते हुए)।
- महिला प्रकोष्ठ की गतिविधि–महिला सरोकारों पर व्याख्यान, सेमीनार।
- युवा विकास के अन्तर्गत विस्तार व्याख्यान का आयोजन ।
- प्रथम व तृतीय शनिवार को स्नातक स्तरीय एवं द्वितीय व चतुर्थ शनिवार को स्नातकोत्तर स्तरीय सेमीनार।
- कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम्।
- महाविद्यालयों को विद्यार्थियों से प्राप्त ऑनलाईन आवेदन पत्रों की गहन जाँच कर पात्र आवेदन पत्र (आयुक्तालय/जिला नोडल अधिकारी/प्राचार्य) को फॉरवर्ड करने की अंतिम तिथि 15 सितम्बर 2019
- जिला नोडल अधिकारी द्वारा महाविद्यालयों से प्राप्त मुख्यमंत्री प्रतिभावान छात्रा स्कूटी (मेधावी छात्रा स्कूटी योजना), देवनारायण छात्रा स्कूटी एवं प्रोत्साहन राशि योजना, विधवा परित्यक्ता मुख्यमंत्री (बी.एड) संबंल योजनान्तर्गत समस्त। छात्रवृत्ति ऑनलाईन आवेदन पत्रों की जाँच उपरान्त आयुक्तालय को फारवर्ड करना, अपूर्ण आवेदन पत्रों को (यदि कोई हो तो) महाविद्यालय/विद्यार्थियों को प्रतिप्रेषित (पुन: फॉरवर्ड) करने की अंतिम तिथि 30 सितम्बर, 2019.
- मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना के महाविद्यालयों से प्राप्त समस्त छात्रवृत्ति आवेदन पत्रों की जिला नोडल अधिकारी द्वारा जाँच उपरान्त स्वीकृत करना, अपूर्ण आवेदन पत्रों को (यदि कोई हो तो) महाविद्यालय/विद्यार्थियों को प्रतिप्रेषित (पुन: फॉरवर्ड) करने की अंतिम तिथि 30 सितम्बर, 2019.

आकाशि कैलेण्डर अक्टूबर 2019

रविवार		6	13	20	27
सोमवार		7	14	21	28
मंगलवार	1	8	15	22	29
बुधवार	2	9	16	23	30
गुरुवार	3	10	17	24	31
शुक्रवार	4	11	18	25	
शनिवार	5	12	19	26	

शैक्षणिक कार्य दिवस : 14 **रविवार : 4** **अवकाश : 13**

1. सार्वजनिक अवकाश : 2 गांधीजयन्ती, 6-8 दशहरा अवकाश, 20-29 दीपावली अवकाश
2. आयोज्य विशेष दिवस, उत्सव, कार्यक्रम

1 अक्टूबर राष्ट्रीय रक्तदान दिवस/अन्तर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस।।

2 अक्टूबर महात्मा गांधी जयंती/शास्त्री जयन्ती/अन्तर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस।

16अक्टूबर विश्व खाद्य दिवस।

24 अक्टूबर संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस।

31 अक्टूबर मासिक परीक्षा/राष्ट्रीय एकता दिवस।

मासिक गतिविधियाँ

काव्य पाठ-हिन्दी/अंग्रेजी साहित्यिक मंच

सांस्कृतिक मंच गायन सुगम/शास्त्रीय एकल/ समूह

खेलकूद गतिविधियाँ विश्वविद्यालय कैलेण्डर के अनुसार

उपभोक्ता मंच व्याख्यान - उपभोक्ता अधिकार संरक्षण

विशेष

- महात्मा गांधी की 150वीं जयन्ती के उपलक्ष में गांधी जीवन दर्शन पर विशेष चर्चा।।
- कौशल विकास योजना अन्तर्गत जिला उद्योग केन्द्र/रीको इत्यादि से संवाद कार्यक्रम।
- मुख्यमंत्री प्रतिभावान छात्रा स्कूटी योजना (मेधावी छात्रा स्कूटी योजना), देवनारायण छात्रा स्कूटी एवं प्रोत्साहन राशि योजना, योजनान्तर्गत आयुक्तालय द्वारा आवेदन पत्रों की अस्थाई सूची जारी करने की अंतिम तिथि 11 अक्टूबर, 2019.
- विधवा/परित्यक्ता मुख्यमंत्री (बी.एड) संबंल योजनान्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों की स्वीकृति जारी करने की अंतिम तिथि 11 अक्टूबर, 2019.
- मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना के प्राप्त आवेदन पत्रों की जिला नोडल अधिकारी द्वारा स्वीकृति जारी करने की अंतिम तिथि 11 अक्टूबर, 2019.

GOVERNMENT OF RAJASTHAN DEPARTMENT OF COLLEGE EDUCATION, RAJASTHAN ज्ञान सेवा की ओर

आकाशि कैलेण्डर नवम्बर 2019

रविवार		3	10	17	24
सोमवार		4	11	18	25
मंगलवार		5	12	19	26
बुधवार		6	13	20	27
गुरुवार		7	14	21	28
शुक्रवार	1	8	15	22	29
शनिवार	2	9	16	23	30

शैक्षणिक कार्य दिवस : 24 **रविवार : 4** **अवकाश : 2**

1. सार्वजनिक अवकाश : 10 बारावफात, 12 गुरूनानक जयन्ती
2. आयोज्य विशेष दिवस, उत्सव, कार्यक्रम

14 नवम्बर	बाल दिवस, कौमी एकता सप्ताह
19 नवम्बर	इंदिरा गांधी जयंती।
25 नवम्बर	अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस
26नवम्बर	संविधान दिवस आयोजन के रूप में।
28नवम्बर	मासिक परीक्षा।

मासिक गतिविधियाँ

महिला प्रकोष्ठ	महिला प्रकोष्ठ की गतिविधियाँ
साहित्यिक मंच	आशु भाषण प्रतियोगिता
योजना मंच	कार्यक्रमों का आयोजन
सांस्कृतिक मंच	नृत्य प्रतियोगिता (एकल/समूह) शास्त्रीय/लोकनृत्य
वाई.डी.सी.	गतिविधि/ व्याख्यान
उपभोक्ता मंच	उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम
नवाचार एवं कौशल विकास	समीपवर्ती उद्योग/उद्यमी संस्था का भ्रमण/सफलता के गुर सिखाने के लिए कार्यशाला।

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
DEPARTMENT OF COLLEGE EDUCATION, RAJASTHAN
ज्ञान से सेवा की ओर

आकाशि कैलेण्डर दिसम्बर 2019

रविवार	1	8	15	22	29
सोमवार	2	9	16	23	30
मंगलवार	3	10	17	24	31
बुधवार	4	11	18	25	
गुरुवार	5	12	19	26	
शुक्रवार	6	13	20	27	
शनिवार	7	14	21	28	

शैक्षणिक कार्य दिवस : 19 **रविवार : 5** **अवकाश : 7**

1. सार्वजनिक अवकाश : 25 से 31 तक शीतकालीन अवकाश
2. आयोज्य विशेष दिवस, उत्सव, कार्यक्रम

1 दिसम्बर विश्व एड्स दिवस

10 दिसम्बर विश्व मानवाधिकार दिवस ।

23 दिसम्बर मासिक दिवस।

25 दिसम्बर क्रिसमिस डे

मासिक गतिवधियाँ :

महिला प्रकोष्ठ	:	शैक्षिणेत्तर गतिविधियाँ, कैम्प का आयोजन, विस्तार कार्यक्रम
सांस्कृतिक/साहित्यिक मंच	:	नाटक प्रतियोगिता
मानवाधिकार क्लब	:	विस्तार कार्यक्रम, गतिविधियां/व्याख्यान
वाई.डी.सी.	:	गतिविधियाँ/ व्याख्यान
उपभोक्ता मंच	:	उपभोक्ता कानून संबंधी जानकारी
	:	औद्योगिक तथा शैक्षणिक भ्रमण
कौशल विकास केन्द्रित कार्यक्रम	:	रोजगार परक मेले एवं रोजगार तैयारी के लिए कार्यशाला एवं मॉक साक्षात्कार।

आकाशि कैलेण्डर जनवरी 2020

विवार		5	12	19	26
सोमवार		6	13	20	27
मंगलवार		7	14	21	28
बुधवार	1	8	15	22	29
गुरुवार	2	9	16	23	30
शुक्रवार	3	10	17	24	31
शनिवार	4	11	18	25	

शैक्षणिक कार्य दिवस : 26 **रविवार : 4** **अवकाश : 1**

1. सार्वजनिक अवकाश : 2 जनवरी श्री गुरुगोविन्द सिंह जयन्ती
2. आयोज्य विशेष दिवस, उत्सव, कार्यक्रम

12 जनवरी	राष्ट्रीय युवा दिवस का आयोजन (स्वामी विवेकानन्द जयन्ती)
23 जनवरी	सुभाष चन्द्र बोस जयन्ती।
25 जनवरी	मतदाता दिवस – मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन ।
26जनवरी	गणतंत्र दिवस का आयोजन।
27 जनवरी	मासिक परीक्षा।
30 जनवरी	शहीद दिवस।

मासिक गतिवधियाँ :

- साहित्यिक मंच का पारितोषिक वितरण
- वार्षिक समारोह का आयोजन ।
- वार्षिक खेलकूद दिवस का आयोजन
- पर्यावरण जागरूकता हेतु गतिविधि
- वाई.डी.सी. की गतिविधि
- नवाचार एवं कौशल विकास केन्द्रित कार्यक्रम : विद्यार्थियों की उपलब्धियां एवं मूल्यांकन कार्यशाला।

विशेष टिप्पणी

सह–शैक्षणिक एवं शैक्षिणेत्तर गतिविधियों की अन्तिम तिथि 31 जनवरी 2020 होगी।

आकाशि कैलेण्डर फरवरी 2020

रविवार		2	9	16	23
सोमवार		3	10	17	24
मंगलवार		4	11	18	25
बुधवार		5	12	19	26
गुरुवार		6	13	20	27
शुक्रवार		7	14	21	28
शनिवार	1	8	15	22	29

शैक्षणिक कार्य दिवस : 24 **रविवार : 4** **अवकाश : 1**

1. सार्वजनिक अवकाश : 21 फरवरी महाशिवरात्री
2. आयोज्य विशेष दिवस, उत्सव, कार्यक्रम
   - 18फरवरी स्वामी दयानन्द जयन्ती
   - 28फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस

मासिक गतिविधियाँ

- विश्वविद्यालय प्रायोगिक/सैद्धांतिक परीक्षाएँ विश्वविद्यालय कैलेण्डर के अनुसार वार्षिक परीक्षा के परिपेक्ष्य में तैयारी, जाँच व विद्यार्थियों का मार्गदर्शन।

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
ज्ञान से सेवा की ओर
DEPARTMENT OF COLLEGE EDUCATION, RAJASTHAN

आकाशि कैलेण्डर मार्च 2020

रविवार	1	8	15	22	29
सोमवार	2	9	16	23	30
मंगलवार	3	10	17	24	31
बुधवार	4	11	18	25	
गुरुवार	5	12	19	26	
शुक्रवार	6	13	20	27	
शनिवार	7	14	21	28	

शैक्षणिक कार्य दिवस : 00 **रविवार : 5** **अवकाश : 3**

1. सार्वजनिक अवकाश : 9 मार्च होलिका दहन, 10 मार्च धुलण्डी, 24 मार्च चेटीचण्ड
2. आयोज्य विशेष दिवस, उत्सव, कार्यक्रम

8 मार्च	International Women's Day	**अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस** – छात्राओं के लिए महिला उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम पर व्याख्यान/सेमीनार आयोजन
15 मार्च	World Consumer Rights Day 15 March	विश्व उपभोक्ता दिवस
16 मार्च		राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस
30 मार्च		राजस्थान दिवस

मासिक गतिविधियाँ :

- विश्वविद्यालय परीक्षाओं का आयोजन
- **विशेष टिप्पणी** –जिन महाविद्यालयों में सेमेस्टर प्रणाली है, वहाँ विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शैक्षणिक व परीक्षा कार्यक्रम लागू होगा।

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
DEPARTMENT OF COLLEGE EDUCATION, RAJASTHAN
ज्ञान से सेवा की ओर

आकाशि कैलेण्डर अप्रेल 2020

रविवार		5	12	19	26
सोमवार		6	13	20	27
मंगलवार		7	14	21	28
बुधवार	1	8	15	22	29
गुरुवार	2	9	16	23	30
शुक्रवार	3	10	17	24	
शनिवार	4	11	18	25	

शैक्षणिक कार्य दिवस : **रविवार : 4** **अवकाश : 5**

1. सार्वजनिक अवकाश : 2 रामनवमी, 6 महावीर जयन्ती, 10 गुड फ्राई डे, 14 अम्बेडकर जयन्ती, 25 परशुराम जयन्ती

2. आयोज्य विशेष दिवस, उत्सव, कार्यक्रम

- 2 अप्रेल — रामनवमी
- 6अप्रेल — महावीर जयन्ती
- 7 अप्रेल — विश्व स्वास्थ्य दिवस
- 10 अप्रेल — गुड फ्राईडे
- 13 अप्रेल — वैशाखी
- 14 अप्रेल — डॉ. बी. आर. अम्बेडकर जयंती
- 22 अप्रेल पृथ्वी दिवस
- 24 अप्रेल — पंचायती राज दिवस
- 25 अप्रेल — परशुराम जयन्ती

मासिक गतिविधियाँ :

विश्वविद्यालय परीक्षाओं का आयोजन ।

आकाशि कैलेण्डर मई 2020

विवार		3	10	17	24	31
सोमवार		4	11	18	25	
मंगलवार		5	12	19	26	
बुधवार		6	13	20	27	
गुरुवार		7	14	21	28	
शुक्रवार	1	8	15	22	29	
शनिवार	2	9	16	23	30	

शैक्षणिक कार्य दिवस : **रविवार : 5** **अवकाश : ग्रीष्मावकाश**

1. सार्वजनिक अवकाश : 25 मई महाराणा प्रताप जयन्ती/ईदुल फितर (चन्द्रमा दिखने पर)
2. आयोज्य विशेष दिवस, उत्सव, कार्यक्रम

- **1 मई** ग्रीष्मावकाश प्रारम्भ
- **21 मई** आतंकवाद विरोधी दिवस
- **22 मई** विश्व जैव विविधता दिवस महाराणा प्रताप जयन्ती/ईदुल फितर (चन्द्रमा दिखने पर)
- **31 मई** विश्व तम्बाकू निषेध दिवस विशेष परिचर्चा/जागरूकता कार्यक्रम

मासिक गतिविधियाँ :

विश्वविद्यालय परीक्षाओं का आयोजन ।

आकाशि कैलेण्डर जून 2020

रविवार	–	7	14	21	28
सोमवार	1	8	15	22	29
मंगलवार	2	9	16	23	30
बुधवार	3	10	17	24	
गुरुवार	4	11	18	25	
शुक्रवार	5	12	19	26	
शनिवार	6	13	20	27	

शैक्षणिक कार्य दिवस : **रविवार : 4** **अवकाश : ग्रीष्मावकाश**

1. सार्वजनिक अवकाश :
2. आयोज्य विशेष दिवस, उत्सव, कार्यक्रम

- **5 जून** विश्व पर्यावरण दिवस
- **12 जून** विश्व बाल श्रम विरोधी दिवस
- **21 जून** अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस
- **30 जून** शैक्षणिक सत्र का समापन
- **1 जून से 30 जून** **समर कैम्प**

मासिक गतिविधियाँ :

- प्रवेश संबंधी कार्य सम्पादित किये जावें ।
- 1 जून से सत्र 2020-21 के लिए ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ।
- 15 जून नवीन प्रवेश आवेदन की अंतिम तिथि।
- 1 जून से 30 जून तक समर कैम्प 2020 "कौशल उन्नयन"

वर्ष 2019-20 का छात्रवृत्ति आवेदन पत्र प्राप्ति, स्वीकृति का सम्भावित कैलेण्डर

क्र.सं.	विषय वस्तु / छात्रवृत्ति का नाम	निर्धारित तिथियाँ
1.	मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना, मुख्यमंत्री प्रतिभावान छात्रा स्कूटी योजना (मेघावी छात्रा स्कूटी योजना), देवनारायण छात्रा स्कूटी एवं प्रोत्साहन राशि योजना, विधवा एवं परित्यक्ता मुख्यमंत्री (बी.एड) सबल योजना	
2.	उक्त छात्रवृत्ति हेतु राजस्थान स्थित **राजकीय/निजी महाविद्यालयों** का पेपरलेस ऑनलाईन पंजीकरण, प्रोफाईल अपडेशन एवं उनके अधीन समस्त महाविद्यालय का पंजीयन/पाठ्यक्रम सत्यापन अनुमोदन करने के लिए ऑनलाईन पोर्टल प्रारम्भ करने की तिथि	15 जुलाई, 2019 से प्रारम्भ
3.	उपर्युक्त छात्रवृत्ति हेतु विद्यार्थियों के द्वारा पेपरलेस ऑनलाईन आवेदन पत्र पंजीकरण कर ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने के लिए छात्रवृत्ति हेतु विद्यार्थियों के लिए पेपरलेस ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि/पोर्टल बंद करने की अंतिम तिथि	31 अगस्त 2019 तक
4.	महाविद्यालयों को विद्यार्थियों से प्राप्त ऑनलाईन आवेदन पत्रों की गहन जांच कर पात्र आवेदन पत्र (आयुक्तालय/जिला नोडल अधिकारी/ प्राचार्य) को फॉरवर्ड करने की अंतिम तिथि	15 सितम्बर, 2019
5.	जिला नोडल अधिकारी द्वारा महाविद्यालयों से प्राप्त मुख्यमंत्री प्रतिभावान छात्रा स्कूटी योजना (मेधावी छात्रा स्कूटी योजना), देवनारायण छात्रा स्कूटी एवं प्रोत्साहन राशि योजना, विधवा परित्यक्ता मुख्यमंत्री (बी.एड) संबंल योजनान्तर्गत समस्त छात्रवृत्ति आवेदन पत्रों की जांच उपरान्त आयुक्तालय को फारवर्ड करना, अपूर्ण आवेदन पत्रों को (यदि कोई हो तो) महाविद्यालय/विद्यार्थियों को प्रतिप्रेषित (पुन: फॉरवर्ड) की अंतिम तिथि	30 सितम्बर, 2019
6.	मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना के महाविद्यालयों से प्राप्त समस्त 77 छात्रवृत्ति आवेदन पत्रों की जिला नोडल अधिकारी द्वारा जांच उपरान्त स्वीकृत करना, अपूर्ण आवेदन पत्रों को (यदि कोई हो तो) महाविद्यालय/ विद्यार्थियों को प्रतिप्रेषित (पुन: फॉरवर्ड) करने की अंतिम तिथि	30 सितम्बर, 2019
7.	मुख्यमंत्री प्रतिभावान छात्रा स्कूटी योजना (मेधावी छात्रा स्कूटी योजना), देवनारायण छात्रा स्कूटी एवं प्रोत्साहन राशि योजना, योजनान्तर्गत आयुक्तालय द्वारा आवेदन पत्रों की अस्थाई सूची जारी करने की अंतिम तिथि	11 अक्टूबर, 2019
8.	विधवा/ परित्यक्ता मुख्यमंत्री (बी.एड) संबंल योजनान्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों की स्वीकृति जारी करना	11 अक्टूबर, 2019
9.	मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना के प्राप्त आवेदन पत्रों की जिला नोडल अधिकारी द्वारा स्वीकृति जारी करना।	11 अक्टूबर, 2019

GOVERNMENT OF RAJASTHAN DEPARTMENT OF COLLEGE EDUCATION, RAJASTHAN

सांस्कृतिक गतिविधियों का कैलेण्डर सत्र 2019-20

क्र.सं.	प्रतियोगिता का नाम	महाविद्यालय स्तर पर (अक्टूबर/नवम्बर माह में आयोजन)	राज्य स्तर पर (दिसम्बर माह में आयोजन)
1. 2.	एकल गीत (क) शास्त्रीय (ख) सुगम समूह गीत	समस्त राजकीय महाविद्यालयों में बिन्दु संख्या 1 से 5 तक की गतिविधियां अक्टूबर/नवम्बर माह में आयोजित कर राज्य स्तर के लिए प्रथम स्थान प्राप्त प्रतियोगी को चयनित किया जाये ।	1 व 2 एकल व समूह गीत प्रतियोगिता **राजस्थान संगीत, संस्थान, जयपुर** में आयोजन
3.	वाद्य संगीत		3 वाद्य संगीत प्रतियोगिता **राजकीय कन्या महाविद्यालय, उदयपुर** में आयोजन
4.	एकल नृत्य (क) शास्त्रीय (ख) लोक नृत्य		4. एकल नृत्य प्रतियोगिता **जानकी देवी बजाज कन्या कला महाविद्यालय, कोटा** में आयोजन
5.	समूह नृत्य		5. समूह नृत्य प्रतियोगिता **राजकीय महाविद्यालय, बूंदी** में आयोजन

1. आयोज्य संस्था द्वारा उपर्युक्त प्रतियोगिता के संबंध में राजकीय महाविद्यालयों को भागीदारी हेतु आमंत्रित किया जायेगा। टीम प्रतिस्पर्धा में प्रतिभागियों की न्यूनतम संख्या 03 एवं अधिकतम 05 होगी तथा इस संख्या से कम प्रतिभागी होने पर उस महाविद्यालय की भागीदारी स्वत: ही समाप्त मानी जायेगी।
2. आयोजन संस्था 200/- रूपये प्रति प्रतियोगिता रजिस्ट्रेशन शुल्क के रूप में लेगी।
3. यात्रा व्यय एवं अन्य व्यय छात्रकोष से किये जायेंगें।
4. अतिरिक्त वित्तीय सहायता एम.एल.ए./एम.पी./स्थानीय प्रतिनिधि से ली जा सकती है।
5. इन गतिविधियों को संचालित करने में जिन मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता है उनके व्यय की पूर्ति महाविद्यालय में विकास समिति कोष में प्रस्ताव पारित कर उनकी पूर्वानुमति पश्चात् की जा सकेगी।

साहित्यिक गतिविधियों का कैलेण्डर सत्र 2019-20

जिला स्तरीय अन्तर महाविद्यालय वाद-विवाद, क्विज एवं काव्य पाठ (स्वरचित) प्रतियोगितायें तालिकानुसार आयोजित की जावेगी

संभाग	जिले जिनके राजकीय महाविद्यालय भाग लेंगे	भाग लेने वाले महाविद्यालयों की संख्या	स्नातकोत्तर महाविद्यालय जिनमें गतिविधियाँ आयोजित होंगी	राज्य स्तर प्रतियोगिता आयोजक महाविद्यालय (नवम्बर/ दिसम्बर में आयोजित होगी)
अजमेर	अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर टोंक	36	सम्राट पृथ्वीराज चौहान राज. महाविद्यालय, अजमेर	वाद-विवाद एवं क्विज प्रतियोगिता **राजकीय महाविद्यालय, अजमेर** में तथा काव्य पाठ (स्वरचित) **पं. नवलकिशोर शर्मा राजकीय कला महाविद्यालय, दौसा** में आयोजित होगी।
भरतपुर	भरतपुर, धौलपुर करौली, सवाईमाधोपुर	26	एम.एस.जे., भरतपुर	
बीकानेर	बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू	29	डूंगर महाविद्यालय, बीकानेर	
कोटा	कोटा, बारां, झालावाड़, बूंदी	29	कला, कोटा	
जयपुर	जयपुर, दौसा, सीकर, झुन्झुनू, अलवर	49	बाबू शोभाराम कला महाविद्यालय, अलवर	
उदयपुर	उदयपुर, डूंगरपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़	37	राज. महा. चित्तौड़गढ़	
जोधपुर	जोधपुर, पाली,सिरोही, जालौर, बाड़मेर, जैसेलमेर	46	राजस्थान महाविद्यालय, सिरोही	

नियम

1. आयोजन संस्था 200/- रूपये प्रति प्रतियोगिता रजिस्ट्रेशन शुल्क के रूप में लेगी।
2. यात्रा व्यय एवं अन्य व्यय छात्रकोष से किये जावें ।
3. अतिरिक्त वित्तीय सहायता एम.एल.ए./एम.पी./स्थानीय प्रतिनिधि से ली जा सकती है।
4. इन गतिविधियों को संचालित करने में जिन मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता है उनके व्यय की पूर्ति महाविद्यालय में विकास समिति कोष में प्रस्ताव पारित कर उनकी पूर्वानुमति पश्चात् की जा सकेगी।
5. जिला स्तर पर आयोजित साहित्यिक प्रतियोगिताओं में प्रथम स्थान प्राप्त प्रतिभागी ही राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने का पात्र होगा।
6. किसी भी समूह प्रतियोगिता में 03 से कम एवं 05 से अधिक प्रतिभागी नहीं होंगे। एकल एवं समूह प्रतियोगिता में प्रथम तीन स्थानों हेतु न्यूनतम चार टीमों का होना आवश्यक है।
7. महाविद्यालय प्रत्येक गतिविधि में भाग लेने को बाध्य नहीं है।

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

ज्ञान से सेवा की ओर

DEPARTMENT OF COLLEGE EDUCATION, RAJASTHAN

आयुक्तालय कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

Academic Session Calendar 2018-19

शैक्षणिक सत्र सारिणी 2018–19

प्रथम भाग

प्रवेश कार्यक्रम

(अ) स्नातक पार्ट प्रथम

क्र.स.	विवरण	तिथि / अवधि
1	ऑन लाइन आवेदन–पत्र भरना प्रारम्भ होने की तिथि	बुधवार 06.06.18
2	आवेदन पत्र प्राप्ति की तिथि, प्रारम्भ होने की तिथि से	15 दिवस
3	समस्त प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने की तिथि	मंगलवार 31.07.18
4	प्रथम अन्तरिम प्रवेश सूची व आवश्यकतानुसार प्रतीक्षा सूची का प्रकाशन। सूची के अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्रों का सत्यापन व शुल्क जमा करवाना। प्रवेशित अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन आवश्यकतानुसार द्वितीय अन्तरिम प्रवेश सूची / प्रतीक्षा सूची का प्रकाशन, आगे की प्रक्रियायें	ऑनलाईन प्रक्रिया की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुये आयुक्तालय स्तर पर तिथियॉं जारी की जा सकेगी।
5	संकाय / विषय परिवर्तन की अंतिम तिथि	अंतिम प्रवेश सूची से 15 दिवस में
6	महाविद्यालय में शिक्षण कार्य प्रारम्भ	सोमवार 02.07.18

स्थान रिक्त रहने की स्थिति में प्रवेश नीति के बिन्दु 5.9 के अनुसार प्रक्रिया अपनाई जावेगी।

(ब) स्नातकोत्तर (पूर्वार्द्ध)

क्र.स.	विवरण	तिथि / अवधि
1	ऑन लाईन आवेदन पत्र भरने की प्रारम्भ तिथि	बुधवार 20.6.18 अथवा राजस्थान के प्रमुख विश्वविद्यालयों के परीक्षा परीणाम घोषित होने पर आयुक्तालय स्तर पर निर्धारित तिथि से
2	आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम तिथि	(अ) शुक्रवार 29.06.18 तक या (ब) सम्बद्धक विश्वविद्यालय की अर्हकारी (संबंधित संकाय) परीक्षा का परिणाम घोषित होने के 10 दिन बाद तक (जो भी बाद में हो)
3	प्रथम अन्तरिम प्रवेश सूची व आवश्यकतानुसार प्रतीक्षा सूची का प्रकाशन। सूची के अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्रों का सत्यापन व शुल्क जमा करवाना। प्रवेशित अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन आवश्यकतानुसार द्वितीय अन्तरिम प्रवेश सूची / प्रतीक्षा सूची का प्रकाशन, आगे की प्रक्रियायें–	ऑनलाईन प्रक्रिया की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुये आयुक्तालय स्तर पर तिथियॉं जारी की जा सकेगी।
4	शिक्षण कार्य प्रारम्भ	(अ) सोमवार 02.07.18 या (ब)प्रवेशित विद्यार्थियों की सूची के प्रकाशन के अगले दिन से।

(स) एकीकृत प्रवेश प्रक्रिया

क्र.स.	विवरण	वार एवं तिथि
1	स्नातक पार्ट द्वितीय / तृतीय तथा स्नातकोत्तर उत्तरार्द्ध / एक्स स्टूडेन्ड द्वारा शुल्क जमा करवाने की अन्तिम तिथि*	मंगलवार 31.07.18

*पुनर्मुल्यांकन से उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए प्रवेश की अन्तिम तिथि संबंधित विश्वविद्यालय नियामानुसार होगी।

द्वितीय भाग

सत्र की गतिविधियां एवं अवकाश

क्र.सं.	विवरण	वार एवं तिथि
1	शैक्षणिक सत्र आरम्भ, विद्यार्थियों का मार्गदर्शन	सोमवार 02.07.18
2	सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक कक्षाओं में अध्यापन कार्य प्रारम्भ	
	अ समस्त स्नातक एवं स्नातकोत्तर (उत्तरार्द्ध) कक्षायें	सोमवार 02.07.18
	ब स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध एवं विधि	प्रवेश कार्यक्रम के बिन्दु 4 अ/ब के अनुसार
3	छात्रसंघ चुनाव	अलग से आदेश जारी किये जायेंगे
4	छात्रसंघ का उद्‌घाटन	छात्रसंघ चुनाव परिणाम घोषित होने की तिथी से एक माह तक
5	शैक्षणिक कार्यभार भेजने की अन्तिम तिथि	शुक्रवार 31.08.18
6	नियमित छात्रों द्वारा परीक्षा फॉर्म भरना	विश्वविद्यालय के अनुसार
7	पूरक परीक्षाओं की समाप्ति	विश्वविद्यालय के अनुसार
8	प्रथम कक्षा टेस्ट	सितम्बर माह में
9	दशहरा अवकाश	बुधवार 17.10.18 से शुक्रवार 19.10.18 तक
10	विश्वविद्यालय नामाकन	विश्वविद्यालय के अनुसार
11	स्वयंपाठी छात्रों द्वारा परीक्षा फॉर्म भरना	विश्वविद्यालय के अनुसार
12	दीपावली अवकाश	गुरूवार 01.11.2018 से शुक्रवार 09.11.18 तक
13	दूसरा कक्षा टेस्ट	दिसम्बर माह में
14	शीतकालीन अवकाश	मंगलवार 25.12.18 से सोमवार 31.12.18 तक
15	शैक्षणिक भ्रमण, अन्य सह-शैक्षणिक गतिविधियां तथा सांस्कृतिक सप्ताह पुरस्कार वितरण समारोह	गुरूवार 31.01.2019 तक
16	एन.एस.एस./एन.सी.सी. एवं रोवर स्काउट गाइड के शिविरों का आयोजन एवं अन्य गतिविधियां	वर्ष पर्यन्त
17	प्री परीक्षा	शुक्रवार 18.1.19 से
18	वार्षिक परीक्षाओं का प्रारम्भ	
(क)	स्नातक नियमित एवं स्वयंपाठी विद्यार्थियों हेतु	विश्वविद्यालय के अनुसार
(ख)	स्नातकोत्तर नियमित एवं स्वयंपाठी विद्यार्थियों हेतु	विश्वविद्यालय के अनुसार
19	सत्र का समापन	रविवार 30.06.19
20	परीक्षा परिणामों की घोषणा	विश्वविद्यालय के अनुसार
21	नवीन सत्रारम्भ	सोमवार 01.07.19

टिप्पणियां:-

1. राज्य के किसी महाविद्यालय द्वारा एन.एस.एस./एन.सी.सी. गतिविधियों को छोड़कर कोई भी सह-शैक्षणिक अथवा शिक्षणेतर गतिविधियां दिनांक 31.01.2019 के पश्चात् आयोजित नहीं की जायें।
2. उपर्युक्त निर्धारित शैक्षणिक सत्र सारणी में महाविद्यालय स्तर पर किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाये।
3. समस्त प्रायोगिक परीक्षाएं दिनांक 28.02.19 से पूर्व अथवा विश्वविद्यालय समय सारणी के अनुसार आयोजित कर ली जाएं। प्रायोगिक परीक्षाओं के दौरान कक्षाएं यथावत चलेंगी।
4. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमानुसार 180 शैक्षणिक दिवस होने आवश्यक हैं।

5. कृषि संकाय के लिए महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय, उदयपुर द्वारा अनुमोदित शैक्षणिक सत्र लागू होगा तथा सेमेस्टर योजना के अतिरिक्त वार्षिक परीक्षा योजना के लिए निदेशालय द्वारा जारी शैक्षणिक सत्र सारणी ही लागू रहेगी।

6. महाविद्यालय उपरोक्त शैक्षणिक सत्र सारणी के कार्यक्रमों की समयबद्धता को अपने स्तर पर सशोधित नहीं करे ।

सांस्कृतिक गतिविधियों का कलेण्डर सत्र 2018–19

क्र.सं.	प्रतियोगिता का नाम	महाविद्यालय स्तर पर (अक्टूबर / नवम्बर माह में आयोजन)	राज्य स्तर पर (दिसम्बर माह में आयोजन)
1.	एकल गीत (क) शास्त्रीय (ख) सुगम	समस्त राजकीय महाविद्यालयों में बिन्दु संख्या 1 से 5 तक की गतिविधियां अक्टूबर / नवम्बर माह में आयोजित कर राज्य स्तर के लिए प्रथम स्थान प्राप्त प्रतियोगी को चयनित किया जाये ।	1,2 एकल एवं समूह गीत प्रतियोगिता राजकीय कन्या महाविद्यालय, उदयपुर में आयोजन
2.	समूह गीत		
3.	वाद्य संगीत		3. वाद्य संगीत प्रतियोगिता राजस्थान संगीत, संस्थान जयपुर में आयोजन
4.	एकल नृत्य (क) शास्त्रीय (ख) लोक नृत्य		4. एकल नृत्य प्रतियोगिता राजकीय कन्या महाविद्यालय, श्रीगंगानगर में आयोजन
5.	समूह नृत्य		5. समूह नृत्य प्रतियोगिता राजकीय महाविद्यालय, बूंदी में आयोजन

1. आयोज्य संस्था द्वारा उपर्युक्त प्रतियोगिता के संबंध में राजकीय महाविद्यालयों को भागीदारी हेतु आमंत्रित किया जायेगा। टीम प्रतिस्पर्द्धा में प्रतिभागियों की न्यूनतम संख्या 03 एवं अधिकतम 05 होगी तथा इस संख्या से कम प्रतिभागी होने पर उस महाविद्यालय की भागीदारी स्वतः ही समाप्त मानी जायेगी।

2. आयोजन संस्था 200/– रूपये प्रति प्रतियोगिता रजिस्ट्रेशन शुल्क के रूप में लेगी।

3. यात्रा व्यय एवं अन्य व्यय छात्रकोष से किये जायेंगें।

4. अतिरिक्त वित्तीय सहायता एम.एल.ए. / एम.पी. / स्थानीय प्रतिनिधि से ली जा सकती है।

5. इन गतिविधियों को संचालित करने में जिन मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता है उनके व्यय की पूर्ति महाविद्यालय में विकास समिति कोष में प्रस्ताव पारित कर उनकी पूर्वानुमति पश्चात् की जा सकेगी।

साहित्यिक गतिविधियों का कलेण्डर सत्र 2018–19

जिला स्तरीय अन्तर महाविद्यालय वाद–विवाद, विवज एवं काव्य पाठ (स्वरचित) प्रतियोगितायें तालिकानुसार आयोजित की जावेगी

संभाग	जिले जिनके राजकीय महाविद्यालय भाग लेंगे	भाग लेने वाले महाविद्यालयों की संख्या	स्नातकोत्तर महाविद्यालय जिनमें गतिविधियां आयोजित होंगी	राज्य स्तर प्रतियोगिता आयोजक महाविद्यालय (नवम्बर / दिसम्बर में आयोजित होंगी)
अजमेर	अजमेर, भीलवाडा, नागौर टोंक	33	टोंक	वाद विवाद एवं विवज प्रतियोगिता राजकीय महाविद्यालय अजमेर में तथा काव्य पाठ (स्वरचित) राजकीय महाविद्यालय, बांदीकुई में आयोजित होगी।
भरतपुर	भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर	22	सवाईमाधोपुर	
बीकानेर	बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ, चूरू	26	श्रीगंगानगर	
कोटा	कोटा, बारां झालावाड, बूंदी	26	विज्ञान, कोटा	
जयपुर	जयपुर, दौसा, सीकर, झुन्झुनू अलवर	44	कन्या, सीकर	
उदयपुर	उदयपुर, डूंगरपुर, राजसमद, चित्तौड़गढ, बांसवाडा, प्रतापगढ	34	राजसमन्द	
जोधपुर	जोधपुर, पाली, सिरोही, जालौर, बाड़मेर, जैसलमेर	34	जालौर	

नियम–

1. आयोजन संस्था 200/– रूपये प्रति प्रतियोगिता रजिस्ट्रेशन शुल्क के रूप में लेगी।
2. यात्रा व्यय एवं अन्य व्यय छात्रकोष से किये जावें।
3. अतिरिक्त वित्तीय सहायता एम.एल.ए. / एम.पी. / स्थानीय प्रतिनिधि से ली जा सकती है।
4. इन गतिविधियों को संचालित करने में जिन मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता है उनके व्यय की पूर्ति महाविद्यालय में विकास समिति कोष में प्रस्ताव पारित कर उनकी पूर्वानुमति पश्चात् की जा सकेगी।
5. जिला स्तर पर आयोजित साहित्यिक प्रतियोगिताओं में प्रथम स्थान प्राप्त प्रतिभागी ही राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने का पात्र होगा।
6. किसी भी समूह प्रतियोगिता में 03 से कम एवं 05 से अधिक प्रतिभागी नहीं होंगे। एकल एवं समूह प्रतियोगिता में प्रथम तीन स्थानों हेतु न्यूनतम चार टीमों का होना आवश्यक है।
7. महाविद्यालय प्रत्येक गतिविधि में भाग लेने को बाध्य नहीं है।

आयुक्तालय/निदेशालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति कैलेण्डर

क्र.सं.	नाम छात्रवृत्ति	नूतन/नवीनीकरण छात्रवृत्ति आवेदन पत्र छात्रों द्वारा पहुंचाने की अन्तिम तिथि	प्राप्त आवेदन पत्रों को आयुक्तालय/जिला नोडल अधिकारी को पहुंचाने की तिथि	आवेदन पत्रों की जांच उपरान्त अस्थाई सूची जारी	स्थाई सूची/स्वीकृति जारी	स्वीकृति उपरान्त विद्यार्थियों के खाते में हस्तान्तरण/वितरण
1	मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृति योजना	05 सितम्बर	16 सितम्बर	30 अक्टूबर	31 दिसम्बर	28 फरवरी
2	महिला योग्यता छात्रवृत्ति	05 सितम्बर	16 सितम्बर	30 अक्टूबर	31 दिसम्बर	28 फरवरी
3	आवश्यकता एवं योग्यता छात्रवृत्ति	05 सितम्बर	16 सितम्बर	30 अक्टूबर	31 दिसम्बर	28 फरवरी
4.	मृतक राज्य कर्मचारियों के आश्रितों को देय छात्रवृत्ति	05 सितम्बर	16 सितम्बर	30 अक्टूबर	31 दिसम्बर	28 फरवरी
5	कारगिल कार्यवाही में शहीद सैनिकों के आश्रितों को देय छात्रवृत्ति	05 सितम्बर	16 सितम्बर	30 अक्टूबर	31 दिसम्बर	28 फरवरी
6	राजस्थान के पूर्व सैनिकों की प्रतिभावान पुत्रियों को देय छात्रवृत्ति	05 सितम्बर	16 सितम्बर	30 अक्टूबर	31 दिसम्बर	28 फरवरी
7	ललित कला छात्रवृत्ति	05 सितम्बर	16 सितम्बर	30 अक्टूबर	31 दिसम्बर	28 फरवरी
8	उर्दू छात्रवृत्ति	05 सितम्बर	16 सितम्बर	30 अक्टूबर	31 दिसम्बर	28 फरवरी
9	स्वतन्त्रता सैनानियों के बच्चों को देय छात्रवृति	05 सितम्बर	16 सितम्बर	30 अक्टूबर	31 दिसम्बर	28 फरवरी
10	शोध छात्रवृत्ति	05 सितम्बर	16 सितम्बर	30 अक्टूबर	31 दिसम्बर	28 फरवरी
11	विधवा/परित्यक्ता मुख्यमंत्री संबल योजना (बीएड पाठ्यक्रम)	05 सितम्बर	16 सितम्बर	30 अक्टूबर	31 दिसम्बर	28 फरवरी
12	मेधावी छात्रा स्कूटी योजना	05 सितम्बर	16 सितम्बर	30 अक्टूबर	31 दिसम्बर	28 फरवरी
13	देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना	05 सितम्बर	16 सितम्बर	30 अक्टूबर	31 दिसम्बर	28 फरवरी
14	मिलिट्री कालेज देहरादून छात्रवृत्ति	राज्य सरकार (शिक्षा ग्रुप–6 विभाग) द्वारा जारी स्वीकृति अनुरूप				

शिक्षण दिवस सारिणी सत्र 2018–19

उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान

माह	रविवार	अन्य अवकाश	शिक्षण दिवस	विशेष विवरण
जुलाई, 18	5	0	26	
अगस्त, 18	4	2	25	
सितम्बर, 18	5	3	22	
अक्टूबर, 18	4	3	24	दशहरा अवकाश 17.10.2018 से 19.10.2018
नवम्बर, 18	4	10	16	दीपावली अवकाश 01.11.2018 से 09.11.2018
दिसम्बर, 18	5	6	20	शीतकालीन अवकाश 25.12.18 से 31.12.18
जनवरी, 19	4	1	26	
फरवरी, 19	4	1	23	
मार्च, 19	–	–	–	वि.वि. परीक्षाएं
कुल शिक्षण दिवस			182	

1. शिक्षण कार्य प्रारम्भ — 02 जुलाई, 2018
2. अन्तिम शिक्षण दिवस — 28 फरवरी, 2019
3. सत्र का अन्तिम कार्य दिवस — 30 अप्रेल, 2019
4. परीक्षा अवधि — विश्वविद्यालय द्वारा जारी परीक्षा सारिणी के अनुसार
5. ग्रीष्मावकाश — 1 मई 2019 से 30 जून 2019

कार्यालय प्राचार्य राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय हिण्डौन सिटी

क्रमांक 774

दिनांक 24/7/19

कार्यालय आदेश

महाविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2019– 20 के प्रशासनिक, शैक्षणिक व सह शैक्षणिक गतिविधियों को सुचारु रुप से संचालन करने हेतु निम्नलिखित समितियों का एतद् द्वारा गठन किया जाता है। सभी समितियों के संयोजक एवं सदस्य निर्दिष्ट कार्यों को पूर्ण कर अपने संयोजक के माध्यम से अधोहस्ताक्षरकर्त्ता को अवगत करवाते रहेगें। साथ ही किसी भी प्रकार की कार्य के प्रति उदासीनता या शिथिलता को आदेशों की अवहेलना माना जायेगा तथा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

1 क्रय ,विक्रय,निविदा एवं निलामी समिति

1	श्री सुरेश चन्द मीना	संयोजक
2	श्री मुकेश कुमार गोयल	सदस्य
3	श्री सर्वेजीत मीना	सदस्य
4	श्री बत्तीलाल मीना	सहा0 लेखाधिकारी

2 छात्रवृति समिति (देवनारायण योजना,मेधावी छात्रा स्कूटी,प्रोत्साहन राशि,उच्च शिक्षा छात्रवृति,अल्पसंख्यक छात्रवृति .एस.सी.एस.टी,ओबीसी एवं अन्य सभी प्रकार की छात्रवृति)

1	श्री सुरेश चन्द मीना	संयोजक
2	श्री सर्वेजीत मीना(अनुसूचित जन जाती)	सदस्य
4	डॉ अनिल अग्रवाल(मुख्यमंत्री)	सदस्य
5	श्री श्रीनिवास गुर्जर (देव.योज0एवं अन्य पिछडा वर्ग)	सदस्य
6	श्री अशोक कुमार बैरवा(अनुसूचितजाती)	सदस्य

3 महाविद्यालय बेवसाईट पोर्टल एवं ई क्लास रुम समिति

1	श्री मुकेश गोयल	संयोजक
2	श्री धर्मेन्द्र सिंह	सदस्य

4 सूचना का अधिकार समिति

1	श्री सुरेश चन्द मीना	सहायक लोक सूचना अधिकारी
2	श्री मनोज कुमार मीना	सदस्य

5 विधान सभा कार्यवाही / प्रश्नोत्तरी समिति

1	श्री मुकेश कुमार गोयल	संयोजक
2	श्री धर्मेन्द्र सिंह	सदस्य

6 अनुशासन समिति

1	डॉ गोविन्द सहाय मीना	संयोजक
2	श्री सुरेशचन्द मीना	सदस्य
3	श्री मुकेश गोयल	सदस्य
4	श्री सर्वेजीत मीना	सदस्य
5	सुश्री भौली मीना	सदस्य
6	डॉ. कमलेश वर्मा	सदस्य
7	श्री रामप्रसाद मीना	सदस्य

7 धुम्रपान , तम्बाकू नशा निषेध समिति

1	डॉ अनिल अग्रवाल	संयोजक
2	श्री धर्मेन्द्र सिंह	सदस्य

F:\SAMATI\prabhari samati (Autosaved).docx

Scanned with CamScanner

[illegible] समिति

1 श्री मुकेश गोयल संयोजक

2 श्री बत्तीलाल मीना सदस्य

9 युवा कौशल विकास समिति

डॉ गोविन्दसहाय मीना सम्पूर्ण प्रभारी

1 एनएसएस यूनिट प्रथम सुश्री मौली मीना यूनिट द्वितीय श्री श्रीनिवास गुर्जर

2 रोवर स्काउट डॉ ....

3 युवा विकास केन्द्र डॉ अनिल अग्रवाल

4 योजना मंच सुश्री मौली मीना

5 ट्रेफिक रोड सेफ्टी क्लब श्री धर्मेन्द्र सिंह

6 मानवाधिकार डॉ अनिल अग्रवाल

7 .... कला

8 .... विज्ञान

9 .... वाणिज्य

10 .... एम.ए.

10 छात्र उपस्थित पंजिका जॉच एवं टर्मिनल टेस्ट समिति

1 श्री सुरेश चन्द मीना संयोजक

2 श्री सर्वेजीत मीना सदस्य

11 यूजीसी एवं नैक एवं आई क्यू ए सी समिति

1 श्री सुरेश चन्द मीना संयोजक

2 श्री मुकेश गोयल सदस्य

3 श्री सर्वेजीत मीना सदस्य

4 डॉ अनिल अग्रवाल सदस्य

5 सुश्री मौली मीना सदस्य

6 श्री श्रीनिवास गुर्जर सदस्य

*नोट :- IQAC समिति का गठन NAAC गाइडलाइन के अनुसार विस्तृत रूप से गठन नहीं किया गया।

12 शिड्यूल्ड III केरोसीन, बस,रेल्वे रियायत समिति

1 श्री सुरेश चन्द मीना संयोजक

13 विघार्थी डिग्री ,टीसी सीसी समिति

1 श्री गोविन्दसहाय मीना संयोजक

2 सुरेश चन्द मीना सदस्य

14 खेल कूद समिति

1 श्री सर्वजीत मीना संयोजक

2 श्री विपिन कुमार बगडिया सदस्य

3 श्री मनोज कुमार मीना सदस्य

4 श्री रामप्रसाद मीना सदस्य

15 समय सारिणी एवं कार्यभार समिति

1 डॉ अनिल अग्रवाल संयोजक

2 श्री श्रीनिवास गुर्जर सदस्य

16 कम्प्यूटर प्रयोगशाला समिति

1 श्री धर्मेन्द्र सिंह संयोजक

17 साहित्यिक एवं सांस्कृतिक समिति

1 डॉ गोविन्द सहाय मीना संयोजक

2 श्री सुरेशचन्द मीना सदस्य

3 डॉ कमलेश वर्मा सदस्य

4 डॉ अनिल अग्रवाल सदस्य

Scanned with CamScanner

... महिला प्रकोष्ठ:-

1 सुश्री मौली मीना
2 श्री धर्मेन्द्र सिंह — संयोजक
3 डॉ. कमलेश वर्मा — सदस्य
4 .... — सदस्य

19 भण्डार समिति

1 श्री मुकेश कुमार गोयल
2 श्री हेमेन्द्र मीना — प्रभारी

20 सांख्यिकी एवं डी सी एफ समिति — स्टोर कीपर

1 श्री सर्वेजीत मीना
2 डॉ अनिल अग्रवाल — प्रभारी
3 श्री हेमेन्द्र मीना — सदस्य

21 रुसा — सदस्य

1 श्री धर्मेन्द्र सिंह — प्रभारी

22 एन्टी रेगिंग एवं विकलांग सहायता समिति

1 डॉ गोविन्द सहाय मीना — प्रभारी
2 श्री धर्मेन्द्र सिंह — सदस्य
3 डॉ. कमलेश वर्मा — सदस्य
4 श्री आर पी मीना — सदस्य

23 वाईडीसी एवं कैरियर गाइडेन्स

1 डॉ अनिल अग्रवाल — प्रभारी
2 श्री धर्मेन्द्र सिंह — सदस्य

24 छात्रपरामर्श केन्द्र

1 श्री सुरेश चन्द मीना — प्रभारी
2 श्री सर्वेजीत मीना — सदस्य
3 डॉ. कमलेश वर्मा — सदस्य
4 श्री विपिन कुमार बगडिया — सदस्य

25 मावनाधिकार समिति

1 डॉ अनिल अग्रवाल — प्रभारी
2 सुश्री मौली मीना — सदस्य

26 ट्रेफिक रोड-सेफटी क्लब

1 श्री धर्मेन्द्र सिंह — प्रभारी
2 डॉ. कमलेश वर्मा — सदस्य

27 एक भारत श्रेष्ठ भारत

1 श्री सुरेश चन्द मीना — प्रभारी

28 निजी महाविद्यालय पत्रावली निरीक्षण समिति

1 श्री मुकेश कुमार गोयल — प्रभारी
2 डॉ अनिल अग्रवाल — सदस्य
3 श्री धर्मेन्द्र सिंह — सदस्य

29 बायोमेट्रिक उपस्थिति समिति

1 श्री सर्वेजीत मीना — प्रभारी
2 श्री विपिन कुमार बगडिया — सदस्य

F:\SAMATI\prabhari samati (Autosaved).docx

Scanned with CamScanner

30 योजना मंच

1 सुश्री गौली मीना — प्रभारी

31 ICT, YDC कैरियर गाइडेन्स एवं उद्यमिता विकास समिति

1 श्री सर्वेजीत मीना	प्रभारी
2 डॉ अनिल अग्रवाल	सदस्य
3 श्री धर्मेन्द्र सिंह	सदस्य
4 सुश्री गौली मीना	सदस्य
5 डॉ. कमलेश वर्मा	सदस्य
6 श्री अशोक कुमार बैरवा	सदस्य
7 श्री विपिन कुमार बगडिया	सदस्य

उक्त समितियों द्वारा जारी सूचना, आदेश, किये गए कार्य, निर्णय प्राचार्य के प्रति हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगें। सभी समितियों व उनकी कार्य प्रणाली के बारे में अंतिम अधिकार प्राचार्य के पास सुरक्षित है। परिवर्तन की स्थिति में चार्ज का आदान-प्रदान कर अधोहस्ताक्षर को सूचित करें।

प्राचार्य
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
हिण्डौन सिटी
दिनांक 24/7/2019

क्रमांक

प्रतिलिपि :–

1 सम्बन्धि अधिकारियों /कर्मचारियों को सूचनार्थ एवं पालनार्थ
2 स्थापना शाखा
3 लेखा शाखा
4 संकाय
5 पुस्तकालय/ खेल विभाग
6 रक्षित पत्रावली

प्राचार्य
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
हिण्डौन सिटी

F:\SAMATI\prabhari samati (Autosaved).docx

Scanned with CamScanner

कार्यालय प्राचार्य राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय हिण्डौन सिटी

क्रमांक 1349

दिनांक 15/11/19

कार्यालय आदेश

कार्यालय आदेश क्रमांक 774 दिनांक 24/7/2019 के द्वारा महाविद्यालय के शैक्षणिक सत्र 2019–20 को सुव्यवस्थित रुप से संचालित करने के लिए संकाय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए गठित समितियों में आंशिक संशोधन कर निम्नानुसार समितियों का गठन किया जाता है।

समितियों के संयोजको/ सदस्यों को निर्देशित किया जाता है कि महाविद्यालय के विकास, शैक्षणिक उन्नयन तथा छात्र कल्याण एवं अनुशासन व्यवस्था इत्यादि कार्यो को समय पर सम्पन्न किया जाना सुनिश्चित करें। तथा प्रत्येक माह की अंतिम तिथि तक अपनी प्रगति रिपोर्ट तैयार कर अधोहस्ताक्षरकर्त्ता को प्रस्तुत करें। परिवर्तन की स्थिति में चार्ज का आदान–प्रदान 03 दिवस में किया जाना सुनिश्चित करें।

1 संकाय/ अकादमिक कार्य समिति

1 श्री सुरेशचन्द मीना संयोजक ✓2 श्री मुकेश कुमार गोयल सदस्य

3 श्री हेमेन्द्र कुमार मीना सदस्य

2 संस्थापन शाखा समिति

1 श्री सुरेशचन्द मीना संयोजक 2 श्री मदनलाल मीना सदस्य

3 लेखा अनुलेखन एवं आंतरिक जॉच समिति

✓1 श्री मुकेश कुमार गोयल संयोजक 2 श्री सहायक लेखाधिकारी सदस्य

4 भंडार समिति

✓1 श्री मुकेश कुमार गोयल संयोजक 2 श्री हेमेन्द्र कुमार मीना सदस्य

5 महाविद्यालय विकास समिति (आंतरिक संसाधन विकास एवं सलाहकार समिति)

1 श्री सुरेशचन्द मीना संयोजक 2 श्री मुकेश कुमार गोयल सदस्य

3 श्री सर्वेजीत मीना सदस्य 4 डॉ अनिल अग्रवाल सदस्य

5 श्री धर्मेन्द्र सिंह सदस्य 6 श्री श्रीनिवास गुर्जर सदस्य

7 श्री अशोक कुमार बैरवा सदस्य 8 सुश्री भौली मीना सदस्य

9 श्री सहायक लेखाधिकारी सदस्य 10 श्री हेमेन्द्र कुमार मीना सदस्य

6 अनुशासन एवं रैगिंग रोकथाम समिति

1 श्री सुरेशचन्द मीना संयोजक 2 श्री मुकेश कुमार गोयल सदस्य

3 श्री सर्वेजीत मीना सदस्य 4 सुश्री भौली मीना सदस्य

5 डॉ कमलेश वर्मा सदस्य 6 श्री श्रीनिवास गुर्जर सदस्य

7 सूचना का अधिकारी समिति

1 डॉ अनिल अग्रवाल सहायक लोक सूचना अधिकारी

2 श्री मनोज कुमार मीना सदस्य

8 धुम्रपान तम्बाकू एवं नशा निषेध समिति

1 डॉ अनिल अग्रवाल संयोजक 2 श्री धर्मेन्द्र सिंह सदस्य

9 विधान सभा प्रश्नोत्तर समिति

✓1 श्री मुकेश कुमार गोयल संयोजक 2 श्री धर्मेन्द्र सिंह सदस्य

Scanned with CamScanner

10 सांस्कृतिक कार्यक्रम समिति
1 श्री सुरेशचन्द मीना संयोजक 2 श्री मुकेश कुमार गोयल सदस्य
3 डॉ अनिल अग्रवाल सदस्य 4 डॉ कमलेश वर्मा सदस्य
5 श्री श्रीनिवास गुर्जर सदस्य 6 सुश्री भौली मीना सदस्य

11 क्रय निविदा एवं निलामी समिति
1 श्री सुरेशचन्द मीना संयोजक 2 श्री मुकेश कुमार गोयल सदस्य
3 श्री सर्वेजीत मीना सदस्य 4 श्री सहायक लेखाधिकारी सदस्य

12 महाविद्यालय बेबसाइट एवं ई क्लास रुम समिति
1 श्री मुकेश कुमार गोयल संयोजक 2 श्री सर्वेजीत मीना सदस्य

13 रेस (RACE) एवं मुख्यमंत्री युवा कौशल विकास कार्यक्रम क्रियान्वन समिति
1 श्री मुकेश कुमार गोयल संयोजक 2 श्री सर्वेजीत मीना सदस्य
3 सुश्री भौली मीना सदस्य 4 श्री श्रीनिवास गुर्जर सदस्य
5 श्री अशोक कुमार बैरवा सदस्य 6 श्री हेमेन्द्र कुमार मीना सदस्य

14 समय सारिणि एवं कार्यभार समिति
1 डॉ अनिल अग्रवाल संयोजक 2 श्री श्रीनिवास गुर्जर सदस्य

15 कम्प्यूटर प्रयोगशालाा (वैकल्पिक विषय) समिति
1 श्री सर्वेजीत मीना नोडल अधिकारी 2 सुश्री भौली मीना सदस्य

16 खेल कूद समिति
1 श्री सर्वेजीत मीना संयोजक 2 सुश्री भौली मीना सदस्य
3 श्री श्रीनिवास गुर्जर सदस्य 4 श्री विपिन कुमार वगडिया सदस्य
5 श्री मनोज कुमार मीना सदस्य 6 श्री अशोक कुमार बैरवा सदस्यसचिव

17 वाहन स्टेन्ड एवं केन्टीन संचालन समिति
1 श्री सुरेशचन्द मीना संयोजक 2 श्री श्रीनिवास गुर्जर सदस्य
3 श्री अशोक कुमार बैरवा सदस्य 4 श्री हेमेन्द्र कुमार मीना सदस्य

18 महिला प्रकोष्ठ एवं महिला उत्पीडन रोकथाम समिति
1 सुश्री भौली मीना संयोजक 2 श्री धर्मेन्द्र सिंह सदस्य
3 डॉ कमलेश वर्मा सदस्य 4 बीकेश तॅवर छात्रा बीएसएसी पार्ट तृतीय

19 एन एस एस कार्यक्रम/ वाई डी सी/ICT सलाहकार समिति
1 श्री सुरेशचन्द मीना संयोजक 2 श्री मुकेश कुमार गोयल सदस्य
3 श्री सर्वेजीत मीना सदस्य 4 डॉ अनिल अग्रवाल सदस्य
5 सुश्री भौली मीना सदस्य 6 श्री श्रीनिवास गुर्जर सदस्य

20 युवा विकास केन्द्र एवं कैरियर गाइडेन्स समिति
1 डॉ अनिल अग्रवाल संयोजक 2 श्री धर्मेन्द्र सिंह सदस्य

21 महाविद्यालय सॉख्यिकी/ डी सी एफ II समिति
1 श्री सर्वेजीत मीना संयोजक 2 डॉ अनिल अग्रवाल सदस्य
3 श्री मनोज कुमार मीना सदस्य 4 श्री हेमेन्द्र मीना सदस्य

Scanned with CamScanner

22 यूजीसी, नैक एवं आई.क्यू. ए. सी. समिति

1 श्री सुरेशचन्द मीना संयोजक 2 श्री मुकेश कुमार गोयल सदस्य
3 श्री सर्वेजीत मीना सदस्य 4 डॉ अनिल अग्रवाल सदस्य
5 सुश्री भौली मीना सदस्य 6 श्री श्रीनिवास गुर्जर सदस्य

23 छात्रवृति समिति

1 श्री सुरेशचन्द मीना संयोजक 2 श्री सर्वेजीत मीना (अनु. जन जाति) सदस्य
3 डॉ अनिल अग्रवाल (अल्प संख्यक, EWS एवं मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृति योजना)
4 श्री अशोक कुमार बैरवा(अनु.जाति) सदस्य
5 श्री श्रीनिवास गुर्जर (देवनारायण व अन्य पिछडा वर्ग योजना)
6 सुश्री भौली मीना (मेधावी छात्रा स्कूटी योजना)

24 छात्र उपस्थिति पंजिका जॉच एवं टर्मिनल टेस्ट समिति

1 श्री सुरेशचन्द मीना संयोजक 2 श्री सर्वेजीत मीना सदस्य

25 छात्र संघ परामर्शदाता समिति

1 श्री सुरेशचन्द मीना संयोजक 2 श्री सर्वेजीत मीना सदस्य
3 श्री श्रीनिवास गुर्जर सदस्य 4 श्री अशोक कुमार बैरवा सदस्य
5 श्री विपिन कुमार वगडिया सदस्य

26 रुसा परियोजना समिति(RUSA)

1 श्री धर्मेन्द्र सिंह नोडल अधिकारी 2 श्री ~~मुकेश कुमार गोयल सदस्य~~
3 श्री श्रीनिवास गुर्जर सदस्य 4 श्री हेमेन्द्र कुमार मीना सदस्य

27 पुस्तकालय एवं पत्रकारिता समिति

1 श्री धर्मेन्द्र सिंह सदस्य 2 श्री अशोक कुमार बैरवा सदस्य
3 श्री श्रीनिवास गुर्जर सदस्य 4 श्री मनोज कुमार मीना सदस्य

28 मानव अधिकार क्लब

1 डॉ अनिल अग्रवाल संयोजक 2 सुश्री भौली मीना सदस्य

29 निजी महाविद्यालय पत्रावली निरिक्षण समिति

1 श्री मुकेश कुमार गोयल संयोजक 2 डॉ अनिल अग्रवाल सदस्य
3 श्री धर्मेन्द्र सिंह सदस्य

30 योजना मंच

1 सुश्री भोली मीना प्रभारी

31 शिड्यूल्ड III केरोसीन, बस,रेल्वे रियायत समिति

1 श्री सुरेश चन्द मीना संयोजक

32 ट्रेफिक रोड सेफटी क्लब

1 श्री धर्मेन्द्र सिंह संयोजक 2 डॉ. कमलेश वर्मा सदस्य

33 बायोमेट्रिक उपस्थिति समिति

1 श्री सर्वेजीत मीना प्रभारी 2 श्री विपिन कुमार वगड़िया सदस्य

प्राचार्य
राजकीय महाविद्यालय
हिण्डौन सिटी

F:\SAMATI\prabhari samati (Autosaved).docx

Scanned with CamScanner

कार्यालय प्राचार्यराजकीय स्नातकोत्तरमहाविद्यालय हिण्डौन सिटी

क्रमांक 909 दिनांक 17/03/2021

कार्यालय आदेश

शैक्षणिक सत्र 2020–21 को सुव्यवस्थित रुप से संचालित करने के निम्नलिखित अधिकारियों/ कर्मचारियों की समितियों का गठन निम्नानुसार किया जाता है।

समितियों के संयोजको/ सदस्यों को निर्देशित किया जाता है कि महाविद्यालय के विकास,शैक्षणिक उन्नयन तथा छात्र कल्याण एवं अनुशासन व्यवस्था इत्यादि कार्यो को समय पर सम्पन्न किया जाना सुनिश्चित करें। तथा प्रत्येक माह की अंतिम तिथि तक अपनी प्रगति रिपोर्ट तैयार कर अधोहस्ताक्षरकर्त्ता को प्रस्तुत करें।परिवर्तन की स्थिति में चार्ज का आदान–प्रदान 03 दिवस में किया जाना सुनिश्चित करें।

1 संकाय/अकादमिक कार्य समिति

1 श्री मुकेश कुमार गोयल संयोजक 2 श्री रामराज मीना(हिन्दी) सदस्य
3 श्री प्रदीप सिंह गुर्जर सदस्य

2 संस्थापन शाखा समिति

1 श्री सुरेश चन्द मीना संयोजक 2 श्री मदनलाल मीना सदस्य

3 लेखा अनुलेखन एवं आंतरिक जॉच समिति

1 श्री मुकेश कुमार गोयल संयोजक 2 श्री राधेश्याम मीना सहायक लेखाधिकारी I

4 केन्द्रीय भंडार समिति

1 श्री मुकेश कुमार गोयल संयोजक 2 श्री प्रदीप सिंह गुर्जर सदस्य

5 महाविद्यालय विकास समिति (आंतरिक संसाधन विकास एवं सलाहकार समिति)

1 श्री सुरेश चन्द मीना संयोजक 2 श्री मुकेश कुमार गोयल सदस्य
3 श्री रामराज मीना(हिन्दी) सदस्य 4 श्री सर्वेजीत मीना सदस्य
5 डॉ अनिल अग्रवाल सदस्य 6 सुश्री भोली मीना सदस्य
7 श्री अशोक कुमार बैरवा सदस्य 8 श्री श्रीनिवास गुर्जर सदस्य
9 श्री रामप्रसाद मीना सदस्य 10 श्री राधेश्याम मीना सहायक लेखाधिकारी I
11 श्री मदनलाल मीना सदस्य

6 अनुशासन एवं रैगिंग रोकथाम समिति

1 श्रीसुरेश चन्द मीना संयोजक 2 श्री मुकेश कुमार गोयल सदस्य
3 श्री रामराज मीना(हिन्दी) सदस्य 4 श्री सर्वेजीत मीना सदस्य
5 सुश्री भौली मीना सदस्य 6 श्री अशोक कुमार बैरवा सदस्य
7 श्री श्रीनिवास गुर्जर सदस्य 8 श्री रामप्रसाद मीना सदस्य

7 धुम्रपान तम्बाकू एवं नशा निषेध समिति

1 डॉ अनिल अग्रवाल संयोजक 2 श्री धर्मेन्द्र सिंह सदस्य

8 विधान सभा प्रश्नोत्तर समिति

1 श्री मुकेश कुमार गोयल संयोजक 2 श्री धर्मेन्द्र सिंह सदस्य

F:\SAMATI\prabhari samati (Autosaved).docx

Scanned with CamScanner

9 सांस्कृतिक, अकादमिक एवं सह– शैक्षणिक कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति

1 श्री सुरेश चन्द मीना संयोजक 2 श्री मुकेश कुमार गोयल सदस्य
3 श्री रामराज मीना(हिन्दी) सदस्य 4 डॉ अनिल अग्रवाल सदस्य
5 सुश्री भौली मीना सदस्य 6 श्री धर्मेन्द्र सिंह सदस्य
7 डॉ कमलेश वर्मा सदस्य 8 श्री श्रीनिवास गुर्जर सदस्य
9 श्रीमति निकेता रणवा सदस्य 10 श्री रामप्रसाद मीना सदस्य

10 क्रय, निविदा एवं निलामी समिति

1 श्री सुरेश चन्द मीना संयोजक 2 श्री मुकेश कुमार गोयल सदस्य
3 श्री रामराज मीना(हिन्दी) सदस्य 4 श्री सर्वेजीत मीना सदस्य
5 श्रीराधेश्याम मीना सहायक लेखाधिकारी I सदस्य

11 महाविद्यालय बेबसाइट एवं ईक्लास रुम समिति

1 श्री सर्वेजीत मीना संयोजक 2 श्री मनोज कुमार मीना सदस्य

12 रेस (RACE) कार्यक्रम क्रियान्वन समिति

1 श्री मुकेश कुमार गोयल संयोजक 2 श्री सर्वेजीत मीना सदस्य
3 सुश्री भौली मीना सदस्य 4 श्री श्रीनिवास गुर्जर सदस्य
5 श्री अशोक कुमार बैरवा सदस्य 6 श्री अभिषेक डागुर सदस्य

13 समय सारिणि एवं कार्यभार समिति

1 डॉ अनिल अग्रवाल संयोजक 2 श्री श्रीनिवास गुर्जर सदस्य

14 कम्प्यूटर प्रयोगशालाा (वैकल्पिक विषय) समिति

1 श्री सर्वेजीत मीना संयोजक 2 सुश्री भौली मीना सदस्य
3 श्रीमति निकेता रणवा प्रभारी

15 खेलकूद समिति

1 श्री रामराज मीना(हिन्दी) संयोजक 2 श्री सर्वेजीत मीना सदस्य
3 सुश्री भौली मीना सदस्य 4 श्री मनोज कुमार मीना सदस्य
5 डॉ0 विपिन कुमार वगडिया सदस्य 6 श्री रामप्रसाद मीना सदस्य सचिव
7 श्री राधेश्याम मीना सहायक लेखाधिकारी I

16 वाहन स्टेन्ड एवं केन्टीन संचालन समिति

1 श्री सुरेश चन्द मीना संयोजक 2 श्री श्रीनिवास गुर्जर सदस्य
3 श्री अशोक कुमार बैरवा सदस्य 4 श्री राधेश्याम मीना सहायक लेखाधिकारी I
5 श्री रामप्रसाद मीना सदस्य 6 श्री प्रदीप सिंह गुर्जर सदस्य

17 महिला प्रकोष्ठ एवं महिला उत्पीडन रोकथाम समिति

1 सुश्री भौली मीना संयोजक 2 श्री अशोक कुमार बैरवा सदस्य
3 डॉ कमलेश वर्मा सदस्य 4 श्रीमति निकेता रणवा सदस्य

18 एन एस एस कार्यक्रम/ वाईडीसी/ICTसलाहकार समिति

1 श्री सुरेश चन्द मीना संयोजक 2 श्री मुकेश कुमार गोयल सदस्य
3 श्री सर्वेजीत मीना सदस्य 4 डॉ अनिल अग्रवाल सदस्य
5 सुश्री भौली मीना सदस्य 6 श्री श्रीनिवास गुर्जर सदस्य

प्राचार्य

Scanned with CamScanner

19 महाविद्यालय सॉंख्यिकी / डीसी एफ II समिति

1 श्री सर्वेजीत मीना संयोजक 2 श्री श्रीनिवास गुर्जर सदस्य
3 श्री मनोज कुमार मीना सदस्य 4 श्री अभिषेक डागुर सदस्य

20 यूजीसी एंव नैक मूल्याकन समिति

1 डॉ अनिल अग्रवाल संयोजक 2 सुश्री भोली मीना सदस्य
3 श्री धर्मेन्द्र सिंह सदस्य 4 श्री अशोक कुमार बैरवा सदस्य
5 श्री मनोज कुमार मीना सदस्य 6 डॉ विपिन कुमार वगडिया सदस्य
7 श्रीमति निकेता रणंवा सदस्य 8 श्री रामप्रसाद मीना सदस्य
9 श्री राधेश्याम मीना सहायक लेखाधिकारी I सदस्य

21 छात्रवृति समिति

1श्री सुरेश चन्द मीना संयोजक 2 श्री सर्वेजीत मीना (अनु. जन जाति) सदस्य
3 डॉ अनिल अग्रवाल (अल्प संख्यक, EWS एवं मुख्यमंत्री उच्चशिक्षा छात्रवृति योजना)
4 श्री अशोक कुमार बैरवा(अनु.जाति) सदस्य
5 श्री श्रीनिवास गुर्जर (देवनारायण व अन्य पिछडावर्ग योजना)
6 सुश्री भौली मीना (कालीबाई भील छात्रा स्कूटी योजना)

22 छात्र उपस्थिति पंजिका जॉच एवं टर्मिनल टेस्ट समिति

1श्री सुरेश चन्द मीना संयोजक 2 श्री सर्वेजीत मीना सदस्य

23 छात्र संघ परामर्श दाता समिति

1 श्री सुरेश चन्द मीना संयोजक 2 श्री सर्वेजीत मीना सदस्य
3 श्री रामराज मीना (हिन्दी) सदस्य 4 श्री श्रीनिवास गुर्जर सदस्य
5 श्री अशोक कुमार बैरवा सदस्य 6 डॉ0 विपिन कुमार वगडिया सदस्य
7 श्री रामप्रसाद मीना खेल अधिकारी

24 पुस्तकालय एवं पत्रकारिता समिति

1 डॉ अनिल अग्रवाल संयोजक 2 डॉ कमलेश वर्मा सदस्य
3 श्री अशोक कुमार बैरवा सदस्य 4 श्री श्रीनिवास गुर्जर सदस्य
5 श्री मनोज कुमार मीना पुस्कालय प्रभारी 6 डॉ विपिन कुमार बगडिया सदस्य
7 श्रीमति निकेता रणंवा सदस्य 8 श्री राधेश्याम मीना सहायक लेखाधिकारी I

25 मानव अधिकार क्लब

1 डॉ अनिल अग्रवाल संयोजक 2 सुश्री भौली मीना सदस्य

26 निजी महाविद्यालय पत्रावली संधारण एवं निरिक्षण समिति

1 श्री मुकेश कुमार गोयल संयोजक 2 श्री रामराज मीना (हिन्दी) सदस्य
3 डॉ अनिल अग्रवाल सदस्य 4 श्री अशोक कुमार बैरवा सदस्य

27 योजना मंच

1 सुश्री भोली मीना प्रभारी

28 शिड्यूल्ड IIIकेरोसीन, बस,रेल्वेरियायतसमिति

1 श्री सुरेश चन्द मीना संयोजक 2 श्री रामराज मीना (हिन्दी) सदस्य

29ट्रेफिक रोड सेफटी क्लब

1 श्री धर्मेन्द्र सिंह संयोजक 2 डॉ. कमलेश वर्मा सदस्य

Scanned with CamScanner

30 बायोमेट्रिक उपस्थिति समिति

1 श्री सर्वेजीत मीना प्रभारी 2 डॉ0 विपिन कुमार वगडिया सदस्य

31 बार्षिक मूल्यॉकन कार्यक्रम समिति(AAP)

1 श्री मुकेश कुमार गोयल संयोजक 2 श्री रामराज मीना (हिन्दी) सदस्य
3 श्री सर्वेजीत मीना सदस्य 4 श्री धर्मेन्द्र सिंह सदस्य
5 श्री अशोक कुमार बैरवा सदस्य 6 श्री श्रीनिवास गुर्जर सदस्य
7 श्री राधेश्याम मीना सहायक लेखाधिकारी I सदस्य

32 स्काउट एवं गाइड समिति

1 श्री रामराज मीना (हिन्दी) रोवर लीडर 2 सुश्री भोली मीना रेजर लीडर

33 निःशक्त जन एवं विकलॉग सहायता समिति

1 श्री सुरेश चन्द मीना संयोजक 2 श्री धर्मेन्द्र सिंह सदस्य

34 संकाय अधिष्ठाता

1 श्री सुरेश चन्द मीना (कला संकाय) 2 श्री धर्मेन्द्र सिंह (विज्ञान संकाय)
3 डॉ विपिन कुमार वगडिया (वाणिज्य संकाय)

35 नवाचार एवं कौशल विकास तथा कैरियर गाईडेन्स समिति

1 डॉ0 अनिल अग्रवाल संयोजक 2 श्री धर्मेन्द्र सिंह सदस्य
3 डॉ0 कमलेश वर्मा सदस्य 4 श्री मनोज कुमार मीना सदस्य
5 डॉ0 विपिन कुमार वगडिया सदस्य 6 श्रीमति निकेता रणवां सदस्य

36 रिसर्च प्रकोष्ठ

1 डॉ0 अनिल अग्रवाल संयोजक 2 डॉ0 कमलेश वर्मा सदस्य
3 डॉ0 विपिन कुमार वगडिया सदस्य 4 श्री राधेश्याम मीना सहा0 लेखाधिकारी ग्रेड I

37 IQAC समिति (आंतरिक गुणवत्ता प्रमाणन प्रकोष्ठ)

1. श्री रामराज मीना	प्राचार्य एवं अध्यक्ष
2. श्री सुरेश चन्द मीना	समन्वयक
3. श्री मुकेश कुमार गोयल	संकाय सदस्य
4. श्री सर्वेजीत मीना	संकाय सदस्य
5. डॉ अनिल अग्रवाल	संकाय सदस्य
6. श्री धर्मेन्द्र सिंह	संकाय सदस्य
7. श्री अशोक कुमार बैरवा	संकाय सदस्य
8. श्री श्रीनिवास गुर्जर	संकाय सदस्य
9. डॉ विपिन कुमार बगडिया	संकाय सदस्य
10. श्री राधेश्याम मीना AAO-I	प्रशासनिक अधिकारी
11. डॉ मनोज कुमार शर्मा	सदस्य(समिति / समाज)
12. श्री एम.इकबाल.बबलू	सदस्य (उधोगपति)
13. श्री जितेन्द्र कुमार बंसल	सदस्य (प्रबंध)

14. कुमारी अनिता सैन सदस्य (छात्र / छात्रा)पुत्री श्री राजूलाल सैन बी.एस.सी. पार्ट II

Scanned with CamScanner

38 E- Content, राजीव गांधी E- Content मॉनिटरिंग समिति

1 श्री सर्वजीत मीना संयोजक 2 श्री धर्मेन्द्र सिंह सदस्य

3 श्री अशोक कुमार बैरवा सदस्य 4 श्री मनोज कुमार मीना सदस्य प्रभारी

5 श्रीमति निकेता रणवां सदस्य

39 आन्नदम कार्यक्रम क्रियान्वन समिति

(1) परियोजना मूल्यांकन समिति (PAC)

1	श्री रामराज मीना	प्राचार्य
2	श्री सुरेश चन्द मीना	संयोजक
3	श्री मुकेश कुमार गोयल	सदस्य
4	श्री श्रीनिवास गुर्जर	सदस्य
5	डॉ अनिल अग्रवाल	सदस्य
6	श्री अशोक कुमार बैरवा	सदस्य
7	श्री मनोज कुमार मीना	नोडल अधिकारी
8	श्री विपिन कुमार बगडिया	सदस्य
9	श्री सुग्रीव मीना	बाह्य सदस्य
10	श्री धर्मवीर जाटव	बाह्य सदस्य

(2) आन्नदम दिवस समन्वय समिति

1	श्री रामराज मीना (हिन्दी)	संयोजक
2	श्री सर्वजीत मीना	सदस्य
3	सुश्री भोली मीना	सदस्य
4	श्री धर्मेन्द्र सिंह	सदस्य
5	डॉ कमलेश वर्मा	सदस्य
6	श्रीमति निकेता रणवां	सदस्य
7	श्री रामप्रसाद मीना	सदस्य

40 महाविद्यालय भवन एवं फर्नीचर मरम्मत समिति

1 श्री रामराज मीना (हिन्दी) संयोजक 2 सुश्री भोली मीना सदस्य

3 श्री श्रीनिवास गुर्जर सदस्य 4 श्री अशोक कुमार बैरवा सदस्य

5 डॉ० विपिन कुमार वगडिया सदस्य 6 श्री राधेश्याम मीना सहा० लेखाधिकारी ग्रेड I

7 श्री प्रदीपसिंह गुर्जर सदस्य

41 विश्वविद्यालय परीक्षा संचालन समिति

1 श्री सुरेश चन्द मीना संयोजक

1 श्री मुकेश कुमार गोयल वीक्षक डयूटी प्रभारी ,वि०वि० से प्रश्नपत्र प्राप्त करना

2 श्री अशोक कुमार बैरवा एवं पारी वाइज डबल लॉक में रखवाना

1 श्री रामराज मीना (हिन्दी) वि०वि० उ०पु० मूल्यांकन प्रभारी

1 श्री सर्वजीत मीना बैठक व्यवस्था प्रभारी

1 डॉ अनिल अग्रवाल समेकित परीक्षा कार्यक्रम तैयार करना

2 डॉ विपिन कुमार वगडिया समेकित परीक्षा कार्यक्रम तैयार करना

1 श्री श्रीनिवास गुर्जर मंत्रालयिक कर्मचारी डयूटी प्रभारी

1 श्री प्रदीपसिंह गुर्जर संकाय लिपिक

प्राचार्य

Scanned with CamScanner

42 COVID-19 गाईड लाईन पालना समिति

1 श्री रामराज मीना (हिन्दी) संयोजक 2 सुश्री भोली मीना सदस्य
3 श्री धर्मेन्द्र सिंह सदस्य 4 श्री श्रीनिवास गुर्जर सदस्य
5 श्री राधेश्याम मीना सहा0 लेखाधिकारी ग्रेड I 6 श्री प्रदीपसिंह गुर्जर सदस्य

43 RUSA 2.0 परियोजना मोनिटरिंग समिति

1 नवीन निर्माण कार्य मोनिटरिंग समिति

1 श्री सुरेश चन्द मीना संयोजक
2 श्री रामराज मीना (हिन्दी) सदस्य
3 डॉ अनिल अग्रवाल सदस्य
4 श्री श्रीनिवास गुर्जर सदस्य
5 श्री अशोक कुमार बैरवा सदस्य

2 पुनरुद्धार निर्माण कार्य मोनिटरिंग समिति

1 श्री मुकेश कुमार गोयल संयोजक
2 श्री सर्वेजीत मीना सदस्य
3 सुश्री भोली मीना सदस्य
4 श्री मनोज कुमार मीना सदस्य
5 श्री विपिन बगडिया सदस्य

44 छात्र कल्याण एवं परिवेदना निवारण समिति

1 श्री सुरेश चन्द मीना संयोजक 2 श्री मुकेश कुमार गोयल सदस्य
2 श्री मुकेश कुमार गोयल सदस्य 3 श्री रामराज मीना (हिन्दी)सदस्य
4 श्री सर्वेजीत मीना सदस्य 5 सुश्री भोली मीना सदस्य
6 श्री रामप्रसाद मीना सदस्य

45 परिसर स्वच्छता, पर्यावरण एवं गार्डन विकास समिति

1 श्री रामराज मीना (हिन्दी) संयोजक 2 श्री सर्वेजीत मीना सदस्य
3 सुश्री भोली मीना सदस्य 4 श्री श्रीनिवास गुर्जर सदस्य
5 श्री अशोक कुमार बैरवा सदस्य 6 श्री राधेश्याम मीना सहा0 लेखाधिकारी ग्रेड I
7 श्री अभिषेक डागुर सदस्य

46 सूचना का अधिकार एवं सम्पर्क पोर्टल समिति

1 डॉ0 अनिल अग्रवाल संयोजक एवं सहायक लोक सूचना अधिकारी
2 श्री धर्मेन्द्र सिंह सदस्य 3 श्री मनोज कुमार मीना सदस्य

47 प्रतियोगिता दक्षता समिति

1 श्री धर्मेन्द्र सिंह संयोजक 2 श्री मनोज कुमार मीना सदस्य
3 डॉ0 विपिन कुमार वगडिया सदस्य

उक्त समितियों द्वारा जारी सूचना,आदेश,किये गए कार्य,निर्णय प्राचार्य के प्रतिहस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगें।सभी समितियों व उनकी कार्यप्रणाली के बारे में अंतिम अधिकार प्राचार्य के पास सुरक्षित है।

प्राचार्य
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
हिण्डौन सिटी

F:\SAMATI\prabhari samati (Autosaved).docx

Scanned with CamScanner

क्रमांक 909–916 दिनांक 17/3/2021

प्रतिलिपि :–

1 सम्बन्धि अधिकारियों /कर्मचारियों को सूचनार्थ एवं पालनार्थ

2 स्थापना शाखा

3 लेखा शाखा

4 संकाय

5 पुस्तकालय/ खेलविभाग

6 रक्षित पत्रावली

17/3/2021

प्राचार्य

राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय

हिण्डौन सिटी

F:\SAMATI\prabhari samati (Autosaved).docx

Scanned with CamScanner

कार्यालय प्राचार्यराजकीय स्नातकोत्तरमहाविद्यालय हिण्डौनसिटी

क्रमांक SP-1 दिनांक 10-01-2022

कार्यालय आदेश

महाविद्यालय के शैक्षणिक सत्र 2021–22 को सुव्यवस्थित रुप से संचालित करने के लिए संकाय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए गठित समितियों में आंशिक संशोधन कर निम्नानुसार समितियों का गठन किया जाता है।

समितियों के संयोजको / सदस्यों को निर्देशित किया जाता है कि महाविद्यालय के विकास,शैक्षणिक उन्नयन तथा छात्र कल्याण एवं अनुशासन व्यवस्था इत्यादि कार्यो को समय पर सम्पन्न किया जाना सुनिश्चित करें। तथा प्रत्येक माह की अंतिम तिथि तक अपनी प्रगति रिपोर्ट तैयार कर अधोहस्ताक्षरकर्त्ता को प्रस्तुत करें।परिवर्तन की स्थिति में चार्ज का आदान–प्रदान 03 दिवस में किया जाना सुनिश्चित करें।

1 संकाय·/अकादमिक कार्य समिति

1 सुश्री भोली मीना 2 श्री अभिषेक डागुर सदस्य

2 संस्थापन शाखा समिति

1 श्री रामराज मीना संयोजक 2 श्री अभिषेक डागुर सदस्य

3 लेखा अनुलेखन एवं आंतरिक जॉच समिति

1 श्री सर्वेजीत मीना संयोजक 2 श्री राधेश्याम मीना सदस्य

4 भंडारे समिति

1 श्री सर्वेजीत मीना संयोजक 2 श्री अभि ोक डागुर सदस्य

5 महाविद्यालय विकास समिति (आंतरिक संसाधन विकास एवं सलाहकार समिति)

1 श्री रामराज मीनासंयोजक 2 श्री सर्वेजीत मीना सदस्य

3श्री सर्वेजीत मीना सदस्य 4 डॉ अनिल अग्रवाल सदस्य

5 श्री धर्मेन्द्र सिंह सदस्य 6 श्री श्रीनिवास गुर्जर सदस्य

8 सुश्री भौली मीना सदस्य

9 श्री राधेश्याम मीना सदस्य 10 श्री अभिषेक डागुर सदस्य

मोनिका जाँगिड (छात्रा प्रतिनिधि B.Sc. III)

अंकुर मीना (छात्र प्रतिनिधि) B.A. III

6 अनुशासन एवं रैगिंग रोकथाम समिति

1 श्री रामराज मीना संयोजक 2 श्री सर्वेजीत मीना सदस्य

3 श्री सर्वेजीत मीना सदस्य 4 सुश्री भौली मीना सदस्य

5 श्री श्रीनिवास गुर्जर सदस्य

छात्रा प्रतिनिधि अंतिमा कुमारी मुद्गल (B.Sc-III)

छात्र ऐशाराम (B.A. II nd)

Scanned with CamScanner

7 सूचना का अधिकारी समिति

1 डॉ अनिल अग्रवाल सहायक लोक सूचना अधिकारी

2 श्री मनोज कुमार मीना सदस्य

8 धुम्रपान तम्बाकू एवं नशा निषेध समिति

1 डॉ अनिल अग्रवाल संयोजक 2 श्री धर्मेन्द्र सिंह सदस्य

9 विधान सभा प्रश्नोत्तर समिति

1 श्री सर्वेजीत मीना संयोजक 2 श्री धर्मेन्द्र सिंह सदस्य

10 सांस्कृतिककार्यक्रमसमिति

1 श्री रामराज मीनासंयोजक 2 श्री सर्वेजीत मीना सदस्य

3 डॉ अनिल अग्रवाल सदस्य

4 श्री श्रीनिवास गुर्जर सदस्य सुश्री भौली मीना सदस्य

11 क्रय निविदा एवं निलामी समिति

1 श्री रामराज मीनासंयोजक 2 श्री सर्वेजीत मीना सदस्य

3 श्री सर्वेजीत मीना सदस्य 4 श्री राधेश्याम मीना सदस्य

12 महाविधालय बेबसाइट एवं ईक्लास रुम समिति

1 श्री सर्वेजीत मीना संयोजक 2 श्री सर्वेजीत मीना सदस्य

13 रेस (RACE) एवं मुख्यमंत्री युवा कौशल विकास कार्यक्रम क्रियान्वन समिति

1 श्री सर्वेजीत मीना संयोजक 2 श्री सर्वेजीत मीना सदस्य

3 सुश्री भौली मीना सदस्य 4 श्री श्रीनिवास गुर्जर सदस्य

14 समय सारिणि एवं कार्यभार समिति

1 डॉअनिलअग्रवालसंयोजक 2 श्रीश्रीनिवासगुर्जर सदस्य

15 कम्प्यूटर प्रयोगशालाा (वैकल्पिकविषय) समिति

1 श्री सर्वेजीत मीना नोडल अधिकारी 2 सुश्री भौली मीना सदस्य

16 खेलकूद समिति

1 श्री सर्वेजीत मीना संयोजक 2 सुश्री भौली मीना सदस्य

3 श्री श्रीनिवास गुर्जर सदस्य 4 श्री विपिन कुमार वगडिया सदस्य

5 श्री मनोज कुमार मीना सदस्य

17 वाहन स्टेन्ड एवं केन्टीन संचालन समिति

1 श्री रामराज मीनासंयोजक 2 श्री श्रीनिवास गुर्जर सदस्य

18 महिला प्रकोष्ठ एवं महिला उत्पीडन रोकथाम समिति

1सुश्री भौली मीना संयोजक 2 श्री धर्मेन्द्र सिंह सदस्य

3 ~~बीकेश तॅवरछात्रा बी एस सी पार्टतृतीय~~

3. प्रीति कुमारी B.Sc. III

Scanned with CamScanner

19 एन एस एस कार्यक्रम/ वाईडीसी/ICTसलाहकार समिति

1 श्री रामराज मीनासंयोजक 2 श्री सर्वेजीत मीना सदस्य

3 श्री सर्वेजीत मीना सदस्य 4 डॉ अनिल अग्रवाल सदस्य

5 सुश्री भौली मीना सदस्य 6 श्री श्रीनिवास गुर्जर सदस्य

20 युवा विकास केन्द्र एवं कैरियर गाइडेन्स समिति

1 डॉअनिलअग्रवालसंयोजक 2 श्री धर्मेन्द्र सिंह सदस्य → Students. 1. आकाश शर्मा B.Sc.III 2. विश्वेन्द्र सिंह B.Sc.III

21 महाविद्यालय सॉख्यिकी/ डीसी एफ II समिति

1 श्री सर्वेजीत मीना संयोजक 2 डॉ अनिल अग्रवाल सदस्य

3 श्री मनोज कुमार मीना सदस्य

22 यूजीसी, नैक एवं आई.क्यू. ए.सी.समिति

1 श्री रामराज मीनासंयोजक 2 श्री सर्वेजीत मीना सदस्य

3 श्री सर्वेजीत मीना सदस्य 4 डॉ अनिल अग्रवाल सदस्य

5 सुश्री भौली मीना सदस्य 6 श्री श्री निवास गुर्जर सदस्य } Students. 1. अंकुर मीना B.A III 2. अनितासैन B.Sc.III

23 छात्रवृतिसमिति

1श्री रामराज मीनासंयोजक 2 श्री सर्वेजीत मीना (अनु. जन जाति) सदस्य

3 डॉ अनिल अग्रवाल (अल्प संख्यक, EWS एव मुख्यमंत्री उच्चशिक्षा छात्रवृति योजना)

4 श्री श्रीनिवास गुर्जर (देवनारायण व अन्य पिछडावर्ग योजना)

5 सुश्री भौली मीना (मेधावीछात्रा स्कूटी योजना)

24 छात्र उपस्थिति पंजिका जॉच एवं टर्मिनल टेस्ट समिति

1श्री रामराज मीनासंयोजक 2 श्री सर्वेजीत मीना सदस्य

25 छात्र संघ परामर्श दाता समिति

1श्री रामराज मीनासंयोजक 2श्री सर्वेजीत मीना सदस्य

3 श्री श्रीनिवास गुर्जर सदस्य

4 श्री विपिन कुमार वगडिया सदस्य

26 रुसा परियोजना समिति(RUSA)

1 श्री धर्मेन्द्र सिंह नोडल अधिकारी 2 श्री सर्वेजीत मीना सदस्य

3 श्री श्रीनिवास गुर्जर सदस्य 4 सदस्य

27 पुस्तकालय एवं पत्रकारिता समिति

1 श्री धर्मेन्द्र सिंह सदस्य 2 श्री अशोक कुमार बैरवा सदस्य

3 श्री श्रीनिवास गुर्जर सदस्य 4 श्री मनोज कुमार मीना सदस्य

Scanned with CamScanner

28 मानव अधिकार क्लब

1 डॉ अनिल अग्रवाल संयोजक 2 सुश्री भौली मीना सदस्य

29 निजी महाविद्यालय पत्रावली निरिक्षण समिति

1 श्री सर्वेजीत मीना संयोजक 2 डॉ अनिल अग्रवाल सदस्य

3 श्री धर्मेन्द्र सिंह सदस्य

30 योजना मंच

1 सुश्री भोली मीना प्रभारी

31ट्रेफिक रोड सेफटी क्लब

1 श्री धर्मेन्द्र सिंह संयोजक 2 डॉ. कमलेश वर्मा सदस्य

32 बायोमेट्रिक उपस्थिति समिति

1 श्री सर्वेजीत मीना प्रभारी 2 श्री विपिन कुमार वगडिया सदस्य

10/1/22

प्राचार्य

राजकीय महाविद्यालय

हिण्डौन सिटी

क्रमांक दिनांक

प्राचार्य
राजकीय महाविद्यालय
हिण्डौन सिटी

प्रतिलिपि :-

1 सम्बन्धि अधिकारियों /कर्मचारियों को सूचनार्थ एवं पालनार्थ

2 स्थापना शाखा

3 लेखा शाखा

4 संकाय

5 पुस्तकालय/ खेलविभाग

6 रक्षित पत्रावली

O/C 10/01/22

प्राचार्य

राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय

हिण्डौन सिटी

प्राचार्य
राजकीय महाविद्यालय
हिण्डौन सिटी

Scanned with CamScanner

कार्यालय प्राचार्य राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय हिण्डौन सिटी

क्रमांक 807 दिनांक 16/11/2022

कार्यालय आदेश

शैक्षणिक सत्र 2022–23 को सुव्यवस्थित रुप से संचालित करने के निम्नलिखित अधिकारियों/ कर्मचारियों की समितियों का गठन निम्नानुसार किया जाता है।

समितियों के संयोजको/ सदस्यों को निर्देशित किया जाता है कि महाविद्यालय के विकास,शैक्षणिक उन्नयन तथा छात्र कल्याण एवं अनुशासन व्यवस्था इत्यादि कार्यो को समय पर सम्पन्न किया जाना सुनिश्चित करें। तथा प्रत्येक माह की अंतिम तिथि तक अपनी प्रगति रिपोर्ट तैयार कर अधोहस्ताक्षरकर्त्ता को प्रस्तुत करें।परिवर्तन की स्थिति में चार्ज का आदान–प्रदान 03 दिवस में किया जाना सुनिश्चित करें।

1 संकाय/अकादमिक कार्य समिति

1 डॉ महेश कुमार गर्ग — संयोजक
2 श्रीमती भोली मीना — सदस्य
3 श्री लक्ष्मण सिंह माली — सदस्य

2 संस्थापन शाखा समिति

1 श्रीमती भोली मीना — संयोजक
2 श्री श्रीनिवास गुर्जर — सदस्य

3 लेखा अनुलेखन एवं आंतरिक जॉच समिति

1 श्री महेश कुमार गर्ग — संयोजक
2 श्री राधेश्याम मीना AAOI — सदस्य

4 केन्द्रीय भंडार समिति

1 डॉ महेश कुमार गर्ग — संयोजक
2 श्री अभिषेक डागुर (भण्डारी) — सदस्य

5 महाविद्यालय विकास समिति (आंतरिक संसाधन विकास एवं सलाहकार समिति)

1 श्री महेश कुमार गर्ग — संयोजक
2 श्री मुकेश कुमार गोयल — सदस्य (कन्या महाविद्यालय)
3 श्रीमती भोली मीना — सदस्य
4 डॉ रीतेश जैन — सदस्य
5 श्री श्रीनिवास गुर्जर — सदस्य
6 श्रीमती राजकुमारी — सदस्य
7 श्रीमती उपमा मीना — सदस्य
8 सुश्री गुजंन गोयल — सदस्य
9 श्री राधेश्याम मीना AAOI — सदस्य
10 श्री लक्ष्मण सिंह माली — सदस्य

Scanned with CamScanner

6 अनुशासन एवं रैगिंग रोकथाम समिति

1 श्री महेश कुमार गर्ग संयोजक
2 श्री मुकेश कुमार गोयल सदस्य (कन्या महाविद्यालय)
3 सुश्री भोली मीना सदस्य
4 डॉ रीतेश जैन सदस्य
5 श्री धीरज कुमार गुप्ता सदस्य
6 श्री श्रीनिवास गुर्जर सदस्य
7 श्रीमती उपमा मीना सदस्य
8 श्रीमती राजकुमारी सदस्य
9 सुश्री गुजंन गोयल सदस्य

7 धुम्रपान – तम्बाकू एवं नशा निषेध समिति

1 डॉ महेश कुमार गर्ग संयोजक
2 श्रीमती उपमा मीना सदस्य

8 विधान सभा प्रश्नोत्तर समिति

1 डॉ रीतेश जैन संयोजक
2 श्रीमती राजकुमारी सदस्य

9 सांस्कृतिक, अकादमिक एवं सह– शैक्षणिक कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति

1 श्री महेश कुमार गर्ग संयोजक
2 श्रीमती भोली मीना सदस्य
3 डॉ रीतेश जैन सदस्य
4 श्री धीरज कुमार गुप्ता सदस्य
5 श्री श्रीनिवास गुर्जर सदस्य
6 श्रीमती राजकुमारी सदस्य
7 श्रीमती उपमा मीना सदस्य
8 सुश्री गुजंन गर्ग सदस्य

10 मौका क्रय, निविदा एवं नीलामी समिति

1 श्री महेश कुमार गर्ग संयोजक
2 श्री श्रीनिवास गुर्जर सदस्य
3 श्रीमती उपमा मीना सदस्य
4 श्रीराधेश्याम मीना AAo I सदस्य
5 श्री अभिषेक डागुर सदस्य

11 महाविद्यालय बेबसाइट एवं ईक्लास रुम समिति

1 डॉ रीतेश जैन संयोजक
2 श्री श्रीनिवास गुर्जर सदस्य

12 समय सारिणि एवं कार्यभार समिति

1 डॉ महेश कुमार गर्ग संयोजक
2 श्रीमती भोली मीना सदस्य
3 श्री श्रीनिवास गुर्जर सदस्य

Scanned with CamScanner

13 कम्प्यूटर प्रयोगशालाा (वैकल्पिक विषय) समिति

1	श्रीमती भोली मीना	संयोजक
2	श्रीमती उपमा मीना	सदस्य
3	श्रीमति निकेता रणवा	प्रभारी

14 खेलकूद समिति

1	श्री महेश कुमार गर्ग	संयोजक
2	श्रीमती भोली मीना	सदस्य
3	डॉ रीतेश जैन	सदस्य
4	श्री श्रीनिवास गुर्जर	प्रभारी
5	श्रीमती उपमा मीना	सदस्य
6	श्री राधेश्याम मीना AAOI	सदस्य

15 वाहन स्टेन्ड एवं केन्टीन संचालन समिति

1	श्री महेश कुमार गर्ग	संयोजक
2	श्रीमती भोली मीना	सदस्य
3	श्री श्रीनिवास गुर्जर	सदस्य
4	श्री राधेश्याम मीना AAOI	सदस्य

16 महिला प्रकोष्ठ /उडान एवं महिला स्वास्थ्य (हाईजीन)समिति

1	श्रीमती भोली मीना	संयोजक
2	श्रीमती राजकुमारी	सदस्य
3	श्रीमती उपमा मीना	सदस्य
4	सुश्री गुजंन गोयल	सदस्य

17 महिला उत्पीडन रोकथाम एवं शिकायत निवारण समिति

1	श्रीमती भोली मीना	संयोजक
2	श्रीमती राजकुमारी	सदस्य
3	श्रीमती उपमा मीना	सदस्य
4	सुश्री गुजंन गोयल	सदस्य

18 एन एस एस कार्यक्रम सलाहकार समिति

1	श्रीमती भोली मीना	संयोजक
2	श्री श्रीनिवास गुर्जर	सदस्य
3	श्रीमती राजकुमारी मीना	सदस्य
4	श्रीमती उपमा मीना	कार्यक्रम अधिकारी
5	डॉ महेश कुमार गर्ग	कार्यक्रम अधिकारी

19 महाविद्यालय सॉख्यिकी/AISHE / डीसी एफ II समिति

1	श्री धीरज कुमार गुप्ता	संयोजक
2	श्री श्रीनिवास गुर्जर	सदस्य
3	सुश्री गुजंन गोयल	सदस्य
4	श्री अभिषेक डागुर	सदस्य

Scanned with CamScanner

20 यूजीसी एंव नैक मूल्याकन समिति

1 डॉ महेश कुमार गर्ग संयोजक
2 श्रीमती भोली मीना सदस्य
3 श्री धीरज कुमार गुप्ता सदस्य
4 श्री श्रीनिवास गुर्जर सदस्य
5 श्रीमती उपमा मीना सदस्य
6 श्रीमती राजकुमारी सदस्य
7 सुश्री गुजंन गोयल सदस्य
8 श्री राधेश्याम मीना AAOI सदस्य

21 छात्रवृति समिति

1 डॉ महेश कुमार गर्ग छात्रवृति प्रभारी
2 श्री धीरज कुमार गुप्ता (अल्प संख्यक, EWS एवं मुख्यमंत्री उच्चशिक्षा छात्रवृति योजना)
3 श्रीमती उपमा मीना (अनु.जाति)
4 श्री श्रीनिवास गुर्जर (देवनारायण छात्रा स्कूटी एवं प्रोत्साहन राशि योजना)
5 सुश्री भोली मीना (कालीबाई भील छात्रा स्कूटी योजना)
6 श्रीमती राजकुमारी (अनु. जन जाति) सदस्य
7 सुश्री गुजंन गोयल (यूजीसी JRF शोध छात्रवृति, TADA,NSP, एवं अन्य पिछडा वर्ग योजना)

22 छात्र उपस्थिति पंजिका जॉच एवं टर्मिनल टेस्ट समिति

1 डॉ महेश कुमार गर्ग संयोजक
2 श्री श्रीनिवास गुर्जर सदस्य

23 छात्र संघ परामर्श दाता समिति

1 डॉ महेश कुमार गर्ग संयोजक
2 श्रीमती भोली मीना सदस्य
3 डॉ रीतेश जैन सदस्य
4 श्री श्रीनिवास गुर्जर सदस्य
5 श्रीमती उपमा मीना सदस्य

24 पुस्तकालय एवं पत्रकारिता समिति

1 डॉ महेश कुमार गर्ग संयोजक
2 श्री धीरज कुमार गुप्ता प्रभारी
3 श्रीमती उपमा सदस्य
4 श्रीमती राजकुमारी सदस्य
5 सुश्री गुजंन गोयन सदस्य
6 श्री राधेश्याम मीना AAOI सदस्य
7 संदीप रॉय

25 मानव अधिकार क्लब

1 डॉ रीतेश जैन संयोजक
2 श्री धीरज गुप्ता सदस्य

Scanned with CamScanner

26 निजी महाविद्यालय पत्रावली संधारण एवं निरीक्षण समिति

1	डॉ महेश कुमार गर्ग	संयोजक
2	श्री श्रीनिवास गुर्जर	सदस्य

27 योजना मंच

1	सुश्री भोली मीना	प्रभारी

28 शिड्यूल्ड III केरोसीन, बस,रेल्वे रियायत समिति

1	श्री महेश कुमार गर्ग	संयोजक
2	श्रीमती उपमा मीना	सदस्य

29 ट्रेफिक रोड सेफटी क्लब

1	श्री राजकुमारी मीना	संयोजक

30 बार्षिक मूल्यॉकन कार्यक्रम समिति(AAP)

1	श्री धीरज कुमार गुप्ता	संयोजक
2	श्री श्रीनिवास गुर्जर	सदस्य
3	सुश्री गुजंन गोयल	सदस्य
4	श्री राधेश्याम मीना AAOI	सदस्य

31 स्काउट एवं गाइड समिति

1	श्री श्रीनिवास गुर्जर	रोवर लीडर
2	सुश्री गुजंन गोयल	रेजर लीडर

32 निःशक्त जन एवं विकलॉग सहायता समिति

1	डॉ महेश कुमार गर्ग	संयोजक
2	सुश्री गुजंन गोयल	सदस्य

33 संकाय अधिष्ठाता

1	डॉ महेश कुमार गर्ग	(कला संकाय)
2	श्री श्रीनिवास गुर्जर	(विज्ञान संकाय)
3	....	(वाणिज्य संकाय)

34 नवाचार एवं कौशल विकास तथा कैरियर गाईडेन्स समिति

1	श्री धीरज कुमार गुप्ता	संयोजक
2	श्रीमती राजकुमारी	सदस्य
3	सुश्री गुजंन गोयल	सदस्य

35 रिसर्च प्रकोष्ठ

1	डॉ रीतेश जैन	संयोजक
2	श्री श्रीनिवास गुर्जर	सदस्य
3	सुश्री गुजंन गोयल	सदस्य
4	श्री राधेश्याम मीना AAO-I	सदस्य

Scanned with CamScanner

36 IQAC समिति (आंतरिक गुणवत्ता प्रमाणन प्रकोष्ठ)

1 श्री सुरेश चन्द मीना	प्राचार्य एवं अध्यक्ष
2 डॉ रीतेश जैन	समन्वयक
3 डॉ महेश कुमार गर्ग	संकाय सदस्य
4 श्रीमती भोली मीना	संकाय सदस्य
5 श्री धीरज कुमार गुप्ता	संकाय सदस्य
6 श्री श्रीनिवास गुर्जर	संकाय सदस्य
7 श्रीमती राजकुमारी	संकाय सदस्य
8 श्रीमती उपमा मीना	संकाय सदस्य
9 सुश्री गुजंन गोयल	संकाय सदस्य
10 श्री राधेश्याम मीना AAO-I	प्रशासनिक अधिकारी
11 डॉ मनोज कुमार शर्मा	सदस्य(समिति / समाज)
12 श्री एम.इकबाल.बबलू	सदस्य (उधोगपति)
13 श्री जितेन्द्र कुमार बंसल	सदस्य (प्रबंध)
14	सदस्य (छात्र / छात्रा)

37 E- Content, राजीव गांधी E- Content मॉनिटरिंग समिति

1 भोली मीना	संयोजक
2 श्रीमती राजकुमारी	सदस्य
3 सुश्री गुजंन गोयल	सदस्य

38 आन्नदम कार्यक्रम क्रियान्वन समिति

(1) परियोजना मूल्यांकन समिति (PAC)

1 श्री सुरेश चन्द मीना	प्राचार्य
2 डॉ महेश कुमार गर्ग	संयोजक
3 डॉ रीतेश जैन	सदस्य
4 श्री धीरज कुमार गुप्ता	सदस्य
5 श्री श्रीनिवास गुर्जर	सदस्य
6 सुश्री गुजंन गोयल	नोडल अधिकारी
7 श्री सुग्रीव मीना	बाह्य सदस्य
8	बाह्य सदस्य

(2) आन्नदम दिवस समन्वय समिति

1 श्रीमती भोली मीना	संयोजक
2 डॉ रीतेश जैन	सदस्य
3 श्री श्रीनिवास गुर्जर	सदस्य
4 श्रीमती राजकुमारी मीना	सदस्य
5 श्रीमती उपमा मीना	सदस्य

Scanned with CamScanner

39 महाविद्यालय भवन एवं फर्नीचर मरम्मत समिति

1	डॉ महेश कुमार गर्ग	संयोजक
2	श्रीमती भोली मीना	सदस्य
3	डॉ रीतेश जैन	सदस्य
4	श्री श्रीनिवास गुर्जर	सदस्य
5	श्रीमती उपमा मीना	सदस्य
6	श्री राधेश्याम मीना AAOI	सदस्य
7	श्री अभिषेक डागुर सदस्य	सदस्य

40 विश्वविद्यालय परीक्षा संचालन समिति

1	डॉ महेश कुमार गर्ग	संयोजक
1	डॉ रीतेश जैन	(वीक्षक डयूटी प्रभारी ,वि0वि0 से प्रश्नपत्र प्राप्त करना एवं पारी वाइज डबल लॉक में रखवाना)
2	श्री श्रीनिवास गुर्जर	(वीक्षक डयूटी प्रभारी, मंत्रालयिक कर्मचारी डयूटी प्रभारी वि0वि0 उ0पु0 मूल्यांकन प्रभारी)
1	श्रीमती भोली मीना	बैठक व्यवस्था प्रभारी
1	श्री धीरज कुमार गुप्ता	समेकित परीक्षा कार्यक्रम तैयार करना
2	श्रीमती राजकुमारी	समेकित परीक्षा कार्यक्रम तैयार करना
1	श्री लक्षमण सिंह माली	संकाय लिपिक

41 COVID-19 गाईड लाईन पालना समिति

1	डॉ महेश कुमार गर्ग	संयोजक
2	सुश्री भोली मीना	सदस्य
3	श्री श्रीनिवास गुर्जर	सदस्य
4	श्री राधेश्याम मीना AAOI	सदस्य
5	श्री अभिषेक डागुर	सदस्य

42 RUSA 2.0 परियोजना मोनिटरिंग समिति

1 नवीन निर्माण कार्य मोनिटरिंग समिति

1	डॉ महेश कुमार गर्ग	संयोजक
2	श्रीमती भोली मीना	सदस्य
3	श्री धीरज कुमार गुप्ता	सदस्य
4	श्री श्रीनिवास गुर्जर	सदस्य
5	श्रीमती राजकुमारी	सदस्य
6	श्रीमती उपमा मीना	सदस्य

2 पुनरुद्धार निर्माण कार्य मोनिटरिंग समिति

1	डॉ महेश कुमार गर्ग	संयोजक
2	श्री धीरज कुमार गुप्ता	सदस्य
3	श्री श्रीनिवास गुर्जर	सदस्य
4	श्रीमती भोली मीना	सदस्य
5	श्रीमती उपमा मीना	सदस्य
6	श्रीमती राजकुमारी	सदस्य

Scanned with CamScanner

43 छात्र कल्याण एवं परिवेदना निवारण समिति (हेल्प डेस्क)

1 डॉ महेश कुमार गर्ग — संयोजक
2 श्री मुकेश कुमार गोयल सदस्य — (राजकीय कन्या महाविद्यालय)
3 श्रीमती भोली मीना — सदस्य
3 श्री धीरज कुमार गुप्ता — सदस्य
4 श्री श्रीनिवास गुर्जर — सदस्य
5 श्रीमती राजकुमारी — सदस्य
6 श्रीमती उपमा मीना — सदस्य
7 सुश्री गुजंन गोयल — सदस्य

44 परिसर स्वच्छता, पर्यावरण एवं गार्डन विकास समिति

1 डॉ महेश कुमार गर्ग — संयोजक
2 श्री मुकेश कुमार गोयल सदस्य (राजकीय कन्या महाविद्यालय)
3 श्रीमती भोली मीना — सदस्य
4 श्री धीरज कुमार गुप्ता — सदस्य
5 श्री श्रीनिवास गुर्जर — सदस्य
6 श्रीमती राजकुमारी — सदस्य
7 श्रीमती उपमा मीना — सदस्य
8 सुश्री गुजंन गोयल — सदस्य
9 श्री राधेश्याम मीना AAo I — सदस्य
10 श्री अभिषेक डागुर — सदस्य

45 सूचना का अधिकार समिति

1 सुश्री गुजंन गोयल — प्रभारी RTI एवं सहायक लोक सूचना अधिकारी

46 सम्पर्क पोर्टल समिति

1 श्री धीरज कुमार गुप्ता — संयोजक

47 वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय समिति

1 श्री सुरेश चन्द मीना — मुख्य समन्वयक
2 श्री श्रीनिवास गुर्जर — समन्वयक
3 श्री लक्षमण सिंह माली — संकाय लिपिक

48 पेयजल एवं विद्युत प्रबन्ध समिति

1 डॉ महेश कुमार गर्ग — संयोजक
2 श्री धीरज कुमार गुप्ता — सदस्य
3 श्रीमती राजकुमारी — सदस्य
4 सुश्री गुजंन गोयल — सदस्य

49 पूर्व छात्र परिषद समिति (एल्यूमिनी)

1 डॉ रीतेश जैन — संयोजक
2 श्री श्रीनिवास गुर्जर — सदस्य
3 श्रीमती उपमा मीना — सदस्य
4 सुश्री गुजंन गोयल — सदस्य

Scanned with CamScanner

50 विद्या संबल योजना समिति

1 डॉ महेश कुमार गर्ग संयोजक

2 श्री मुकेश कुमार गोयल (कन्या महाविद्यालय)

51आयकर गणना एवं कैश बुक/ आर0पी0आर समिति

1 श्री महेश कुमार गर्ग संयोजक

2 श्री मुकेश कुमार गोयल सदस्य (कन्या महाविद्यालय)

3 श्री राधेश्याम मीना AAOI सदस्य

52 उपभोक्ता क्लब समिति

1 डॉ महेश कुमार गर्ग संयोजक

2 सुश्री गुजंन गोयल सदस्य

उक्त समितियों द्वारा जारी सूचना,आदेश,किये गए कार्य,निर्णय प्राचार्य के प्रतिहस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगें।सभी समितियों व उनकी कार्यप्रणाली के बारे में अंतिम अधिकार प्राचार्य के पास सुरक्षित है।

(सुरेश चन्द मीना)
प्राचार्य
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
हिण्डौन सिटी

दिनांक – 16/11/2022

क्रमांक 808-823

प्रतिलिपि :–

1 सम्बन्धि अधिकारियों /कर्मचारियों को सूचनार्थ एवं पालनार्थ
2 स्थापना शाखा
3 लेखा शाखा
4 संकाय
5 पुस्तकालय/ खेलविभाग
6 रक्षित पत्रावली

(सुरेश चन्द मीना)
प्राचार्य
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
हिण्डौन सिटी

Scanned with CamScanner

कार्यालय नोडल प्राचार्य राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय हिण्डौन सिटी

क्रमांक - 872

दिनांक - 29/11/2022

कार्यालय आदेश

महाविद्यालय के निम्न संकाय सदस्यो की राजकीय कन्या महाविद्यालय हिण्डौन सिटी के सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किये जा रहे नवीन निर्माण कार्यो की मॉनिटिरिगं हेतु समिति का गठन कर निर्देशित किया जाता है कि समस्त कार्यो की समय – समय पर मॉनिटिरिंग किया जाना सुनिश्चित करें।

1 श्री मुकेश कुमार गोयल (कन्या महा0)	संयोजक
2 डॉ महेश कुमार गर्ग	सदस्य
3 श्रीमती भोली मीना	सदस्य
4 डॉ रीतेश जैन	सदस्य
5 श्री धीरज कुमार गुप्ता	सदस्य
6 श्री श्रीनिवास गुर्जर	सदस्य

29/11/22

(सुरेश चन्द मीना)

प्राचार्य

राजकीय स्नातकोत्तर महाविधालय

हिण्डौन सिटी

Scanned with CamScanner

राजस्थान सरकार

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur-302015, Rajasthan
Website: http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/
e-mail: jdacad1960@gmail.com Ph.: 0141-2706550

क्रमांकः एफ. 7 (4) कैलेण्डर/अकाद/आकाशि/2022/ 618 दिनांकः 01 जुलाई, 2022

प्राचार्य,
समस्त राजकीय महाविद्यालय,
राजस्थान।

विषयः– **सत्र 2022–23 के लिए अकादमिक/छात्रवृत्ति/साहित्यिक/सांस्कृतिक कैलेण्डर लागू करने बाबत।**

उपरोक्त विषयान्तर्गत राजकीय महाविद्यालयों में सत्र 2022–23 के लिए अकादमिक/छात्रवृत्ति/साहित्यिक/सांस्कृतिक कैलेण्डर लागू करने हेतु संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। शैक्षणिक सत्र 2022–23 हेतु राजकीय महाविद्यालयों में कैलेण्डर अनुसार कार्यक्रमों , गतिविधियों एवं शैक्षणिक कार्य किया जाना सुनिश्चित करावें।
संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

आयुक्त
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान
जयपुर।

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर
2. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च्य शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, संयुक्त शासन सचिव, उच्च्य शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
.4 निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त आयुक्त, कॉलेज शिक्ष, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सहायक, वित्तीय सलाहकार, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
7. निजी सहायक, संयुक्त निदेशक (अकादमिक/एच.आर.डी./निजी संस्थाएं/पी0एण्ड सी/आरवीआरईएस/प्रशासन/नवाचार/आई.टी.)
8 . प्रभारी, वेबसाईट, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर को अपलोड हेतु।
9. रंक्षित पत्रावली।

1.7.2022
(डॉ.के.एल.सिराधना)
संयुक्त निदेशक (अकादमिक)

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

सत्र 2022–23 अकादमिक / छात्रवृत्ति / साहित्यिक / सांस्कृतिक कैलेण्डर

सामान्य निर्देश

1. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमानुसार 180 शैक्षणिक दिवस होने आवश्यक है।

2. नियमित छात्रों द्वारा परीक्षा फार्म भरना एवं पूरक परीक्षाओं का आयोजन सम्बद्धक विश्वविद्यालय के अनुसार।

3. राज्य के किसी भी महाविद्यालय द्वारा एन.एस.एस. / एन.सी.सी. गतिविधियों को छोड़कर कोई भी सह–शैक्षणिक अथवा शिक्षणेत्तर गतिविधियां दिनांक 31.01.2023 के पश्चात् आयोजित नहीं की जायेंगी।

4. विश्वविद्यालय की सेमेस्टर एवं वार्षिक परीक्षाएं – सम्बद्धक विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार।

5. महाविद्यालयों के प्राचार्यों को एक कैलेण्डर वर्ष में 03 दिवस का अवकाश घोषित करने का अधिकार।

6. (अ) शिक्षण कार्य प्रारम्भ – 01.07.2022
   (ब) सत्र का अन्तिम कार्य दिवस – 30.04.2023
   (स) परीक्षा अवधि – विश्वविद्यालय द्वारा जारी परीक्षा सारणी के अनुसार
   (द) ग्रीष्मावकाश – 01.05.2023 से 30.06.2023

7. राज्य सरकार की आज्ञा संख्या एफ. (डी) (255) शिक्षा–2 विभाग दिनांक 11.02.63 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा घोषित ऐच्छिक अवकाश देय नहीं है, इसके बदले में महाविद्यालयों में कार्य करने वाले कर्मचारियों को इन दिवसों का क्षतिपूर्ति अवकाश ग्रीष्मावकाश अवधि में देय होगा।

8. राज्य सरकार की आज्ञा संख्या एफ.1 (80) शिक्षा–6 / 63 दिनांक 15.09.69 के अनुसार कलेक्टर द्वारा घोषित अवकाश महाविद्यालयों में लागू नहीं होंगे।

9. उपर्युक्त निर्धारित शैक्षणिक सत्र सारणी में महाविद्यालय स्तर पर किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाये।

कुल शिक्षण दिवस एवं अवकाश की सारणी सत्र 2022--2023

उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान

माह	रविवार	राष्ट्रीय अवकाश	रविवार सहित कुल अवकाश	शिक्षण दिवस	विशेष विवरण
जुलाई, 2022 (31 दिवस)	05	1. 10.7.2022 ईद उल जुहा	05	26	ईद उल जुहा चांद दिखने पर
अगस्त, 2022 (31 दिवस)	04	1. 09.08.2022 विश्व आदिवासी दिवस, मोहर्रम 2.11.08.2022 रक्षाबंधन 3. 15.08.2022 स्वतंत्रता दिवस 4. 19.08.2022 जन्माष्टमी	08	23	मोहर्रम (ताजिया)चांद दिखाई देने पर
सितम्बर, 2022 (30 दिवस)	04	1. 05.09.2022 बाबा रामदेव जयंती, तेजा दशमी एवं खेजडली शहीद दिवस 2.26.09.2022 नवरात्रा स्थापना	06	24	
अक्टूबर, 2022 (31 दिवस)	05	1. 3–5.10.2022 दशहरा 2. 09.10.2022 बारावफात 3. 19–26.10.2022 दीपावली अवकाश	15	16	बारावफात चांद दिखने पर
नवम्बर, 2022 (30 दिवस)	04	1. 08.11.2022 गुरूनानक जयंती	05	25	
दिसम्बर, 2022 (31 दिवस)	04	1. 25–31.12.2022 शीतकालीन अवकाश 2.25.12.2022 किसमस डे 3.29.12.2022 गुरू गोविन्द जयन्ती	10	21	
जनवरी, 2023 (31 दिवस)	05	1. 26.01.2023 गणतंत्र दिवस	06	25	
फरवरी, 2023 (28 दिवस)	04	1. 18.02.2023 महाशिवरात्री	05	23	
मार्च, 2023 (31 दिवस)	04	1. 6–7.03.2023 होली 2. 23.03.2023 चेटीचण्ड 3. 30.03.2023 रामनवमी	08	23	
अप्रैल, 2023 (30 दिवस)	05	1. 04.04.2023 महावीर जयंती 2. 07.04.2023 गुडफ्राइडे 3.14.04.2023 .अम्बेडकर जयन्ती 4.22.04.2023 ईदुल फितर	09	21	ईदुल फितर चांद दिखने पर

मई, 2023 (31 दिवस)	04	1. 022.05.2023 महाराणा प्रताप जयन्ती	05	26	
जून, 2023 (30 दिवस)	04	1.29.06.2023 ईद उल जुहा	05	25	ईद उल जुहा चांद दिखने पर

कुल शिक्षण दिवस **183 दिवस**

प्रदेश की समस्त राजकीय महाविद्यालयों में सार्वजनिक अवकाश के सम्बन्ध में हर वर्ष सामान्य प्रशासन (ग्रुप–6) विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुरूप आयुक्तालय द्वारा जारी आदेश मान्य होगा, साथ ही शैक्षणिक स्टाफ के लिए निम्नांकित अवकाश अलग से रहेगा।

दशहरा अवकाश – 03 अक्टूबर, 2022 से 05 अक्टूबर, 2022
दीपावली अवकाश – 19 अक्टूबर, 2022 से 26 अक्टूबर, 2022
शीतकालीन अवकाश 25 दिसम्बर, 2022 से 31 दिसम्बर, 2022

सत्र 2022–23 की प्रमुख गतिविधियां एवं महत्वपूर्ण दिवसों का आयोजन आयुक्तालय द्वारा जारी एन.एस.एस. कैलेण्डर के अनुसार आयोजित किया जाना सुनिश्चित करे। खेल गतिविधियों हेतु राज्य सरकार के दिशा निर्देशानुसार पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

द्वितीय भाग

सत्र 2022–2023 की गतिविधियां

क्र.सं.	विवरण	वार एवं तिथि
1	शैक्षणिक सत्र आरम्भ, विद्यार्थियों का मार्गदर्शन	शुक्रवार 01.07.2022
2	सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक कक्षाओं में अध्यापन कार्य प्रारम्भ	
	(अ) समस्त स्नातक पार्ट द्वितीय, तृतीय एवं स्नातकोत्तर (उत्तरार्द्ध) कक्षायें	शुक्रवार 01.07.2022
	(ब) स्नातक प्रथम (स)स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध एवं विधि	बुधवार 20.07.2022 प्रवेश कार्यक्रम पृथक से जारी किया जायेगा।
3	छात्र संघ चुनाव	राज्य सरकार के दिशा निर्देशानुसार पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।
4	शैक्षणिक कार्यभार भेजने की अन्तिम तिथि	बुधवार 31.08.2022
5	नियमित छात्रों द्वारा परीक्षा फॉर्म भरना	सम्बन्धित विश्वविद्यालय के अनुसार
6	पूरक परीक्षाओं की समाप्ति	सम्बन्धित विश्वविद्यालय के अनुसार
7	स्वयंपाठी छात्रों द्वारा परीक्षा फॉर्म भरना	सम्बन्धित विश्वविद्यालय के अनुसार
8	शैक्षणिक भ्रमण, अन्य सह–शैक्षणिक गतिविधियां तथा सांस्कृतिक सप्ताह पुरस्कार वितरण समारोह	राज्य सरकार के दिशा निर्देशानुसार
9	एन.एस.एस. / एन.सी.सी. एवं रोवर स्काउट गाइड के शिविरों का आयोजन एवं अन्य गतिविधियां	वर्ष पर्यन्त, राज्य सरकार के निर्देशानुसार
10	**वार्षिक परीक्षाओं का प्रारम्भ**	
	(क) स्नातक नियमित एवं स्वयंपाठी विद्यार्थियों हेतु	सम्बन्धित विश्वविद्यालय के अनुसार
	(ख) स्नातकोत्तर नियमित एवं स्वयंपाठी विद्यार्थियों हेतु	सम्बन्धित विश्वविद्यालय के अनुसार
11	सत्र का समापन	शुक्रवार 30.06.2023
12	परीक्षा परिणामों की घोषणा	सम्बन्धित विश्वविद्यालय के अनुसार
13	नवीन सत्रारम्भ	शनिवार 01.07.2023

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

छात्रवृत्ति कैलेण्डर

क्र.सं.	छात्रवृत्ति का नाम	निर्धारित / संभावित तिथियाँ
1	मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृति योजना, कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना, देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एव प्रोत्साहन राशि योजना, विधवा एवं परित्यक्यता मुख्यमंत्री (बी.एड.) सम्बल योजना।	
2	राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस के अन्तर्गत विदेश में अध्ययन हेतु विस्तृत जानकारी हेतु www.hte.rajasthan.gov.in पर देखें।	15 जुलाई, 2022 (अन्तिम तिथि)
3	उक्त छात्रवृत्ति हेतु राजस्थान स्थित राजकीय / निजी महाविद्यालयों के पेपरलेस ऑन लाइन पंजीकरण, प्रोफाइल अपडेशन एवं उनके अधीन समस्त महाविद्यालय के पंजीयन / पाठ्यक्रम सत्यापन अनुमोदन करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल प्रारम्भ करने की तिथि	7 सितम्बर, 2022
4	उपर्युक्त छात्रवृत्ति हेतु विद्यार्थियों के द्वारा पेपरलेस ऑनलाईन आवेदन पत्र पंजीकरण कर ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने के लिये छात्रवृत्ति हेतु विद्यार्थियों के लिये पेपरलेस ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि / पोर्टल बन्द करने की अंतिम तिथि	31 अक्टुबर, 2022
5	महाविद्यालयों को विद्यार्थियों से प्राप्त ऑनलाईन आवेदन पत्रों की गहन जांच कर पात्र आवेदन पत्र प्राचार्य / जिला नोडल अधिकारी को फॉरवर्ड करने की अंतिम तिथि	15 नवम्बर, 2022
6	जिला नोडल अधिकारी द्वारा महाविद्यालयों से प्राप्त कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना, देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना, विधवा एवं परित्यक्यता मुख्यमंत्री (बी.एड.) सम्बल योजनान्तर्गत समस्त छात्रवृत्ति आवेदन पत्रों की जाँच उपरान्त आयुक्तालय को फॉरवर्ड करना, अपूर्ण आवेदन पत्रों को (यदि कोई हो तो) महाविद्यालय / विद्यार्थियों को प्रति प्रेषित (पुनः फॉरवर्ड) करने की अंतिम तिथि	30 नवम्बर, 2022
7	मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत महाविद्यालयों से प्राप्त समस्त छात्रवृत्ति आवेदन पत्रों की जिला नोडल अधिकारी द्वारा स्वीकृत करना, अपूर्ण आवेदन पत्रों को (यदि कोई हो तो) महाविद्यालय / विद्यार्थियों को प्रति प्रेषित (पुनः फॉरवर्ड) करने की अंतिम तिथि	15दिसम्बर, 2022
8	आयुक्तालय द्वारा कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना / देवनारायण छात्रा स्कूटी एवं प्रोत्साहन राशि योजना में प्राप्त ऑनलाईन आवेदन पत्रों की जाँच उपरान्त अस्थाई सूची जारी करने की तिथि	13 जनवरी, 2023
9	विधवा एवं परित्यक्यता मुख्यमंत्री (बी.एड.) सम्बल योजनान्तर्गत आवेदन पत्रों की स्वीकृति जारी करना	18जनवरी, 2023
10	मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत जिला नोडल अधिकारी द्वारा स्वीकृति जारी करना	18 जनवरी, 2023

सत्र 2022–23 की प्रमुख गतिविधियां एवं महत्वपूर्ण दिवसों का आयोजन

माह जुलाई, 2022

नियमित अध्यापन कार्य प्रारम्भ
11.07.2022 विश्व जनसंख्या दिवस
15.07.2022 विश्व युवा कौशल दिवस

माह अगस्त, 2022

महाविद्यालय में सभी समितियों व परिषदों का गठन कार्य पूरा किया जाये।
विभिन्न छात्रवृत्तियों से संबंधित सूचनायें विद्यार्थियों को उपलब्ध करवायी जायें।
15.08.2022 स्वतंत्रता दिवस
20.08.2022 सद्भावना दिवस, अक्षय ऊर्जा तथा शिक्षा अधिकार दिवस
29.08.2022 राष्ट्रीय खेल दिवस

माह सितम्बर, 2022

08.09.2022 विश्व साक्षरता दिवस
14.09.2022 हिन्दी दिवस
24.09.2022 राष्ट्रीय सेवा योजना दिवस

माह अक्टूबर, 2022

01.10.2022 राष्ट्रीय रक्तदान दिवस/अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस
02.10.2022 महात्मा गांधी/शास्त्री जयंती/अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस एवं महात्मा गांधी के जीवन दर्शन पर विशेष कार्यक्रम।
24.10.2022 संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस

माह नवम्बर, 2022

14.11.2022 कौमी एकता सप्ताह (बाल दिवस)
25.11.2022 अन्तर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस
26.11.2022 संविधान दिवस
उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम

माह दिसम्बर, 2022

01.12.2022 विश्व एड्स दिवस
10.12.2022 विश्व मानवाधिकार दिवस

माह जनवरी, 2023

राष्ट्रीय युवा दिवस का आयोजन एवं गणतंत्र दिवस का आयोजन।
12.01.2023 राष्ट्रीय युवा दिवस
23.01.2023 सुभाष चन्द्र बोस जयन्ती
25.01.2023 मतदाता जागरूकता दिवस
26.01.2023 गणतंत्र दिवस
सह–शैक्षणिक एवं शिक्षणेत्तर गतिविधियों की अन्तिम तिथि 31 जनवरी, 2023 होगी।

माह फरवरी, 2023

विश्वविद्यालय की प्रायोगिक/सैद्धान्तिक परीक्षाओं को विश्वविद्यालयों के निर्देशानुसार वार्षिक परीक्षा के परिप्रेक्ष्य में तैयारी व विद्यार्थियों का मार्गदर्शन
18.02.2023 स्वामी दयानन्द जयंती
28.02.2023 राष्ट्रीय विज्ञान दिवस

माह मार्च, 2023

विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित परीक्षा कार्यक्रम प्रारम्भ
08.03.2023 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस
15.03.2023 विश्व उपभोक्ता दिवस
30.03.2023 राजस्थान दिवस

माह अप्रैल, 2023

विश्वविद्यालय परीक्षाओं का आयोजन
07.04.2023 विश्व स्वास्थ्य दिवस
14.04.2023 डॉ. बी. आर. अम्बेडकर जयंती

माह मई, 2023

विश्वविद्यालय परीक्षाओं का आयोजन
01.05.2023 ग्रीष्मावकाश प्रारम्भ

माह जून, 2023

01.06.2023 से आगामी सत्र 2023–24 की प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ
30.06.2023 शैक्षणिक सत्र का समापन

सांस्कृतिक गतिविधियों का कैलेण्डर सत्र 2022–2023

क्र. सं.	प्रतियोगिता का नाम	महाविद्यालय स्तर पर (अक्टूबर / नवम्बर माह में आयोजन)	राज्य स्तरीय प्रतियोगिता आयोजक महाविद्यालय द्वारा राज्य सरकार की गाइडलाइन अनुसार आयोजित करवानी होगी।
1. 2.	एकल गीत (क) शास्त्रीय (ख) सुगम समूह गीत	समस्त राजकीय महाविद्यालयों में बिन्दु संख्या 1 से 5 तक की गतिविधियां आयुक्तालय द्वारा जारी तिथि अनुसार आयोजित कर राज्य स्तर के लिए प्रथम स्थान प्राप्त प्रतियोगी को चयनित किया जाये ।	समस्त प्रतियोगिताओं का आयोजन एवं आयोजक महाविद्यालय संबंधी सूचना आयुक्तालय द्वारा जारी कर दी जायेगी।
3.	वाद्य संगीत		
4.	एकल नृत्य (क) शास्त्रीय (ख) लोक नृत्य		
5.	समूह नृत्य		

साहित्यिक गतिविधियों का कैलेण्डर सत्र 2022–2023

जिला स्तरीय अन्तर महाविद्यालय वाद–विवाद, क्विज एवं काव्य पाठ (स्वरचित) प्रतियोगितायें तालिकानुसार आयोजित की जावेगी।

संभाग	जिले जिनके राजकीय महाविद्यालय भाग लेंगे	भाग लेने वाले महाविद्यालयों की संख्या	स्नातकोत्तर महाविद्यालय जिनमें गतिविधियां आयोजित होंगी	राज्य स्तरीय प्रतियोगिता आयोजक महाविद्यालय द्वारा राज्य सरकार की गाइडलाइन अनुसार आयोजित करवानी होगी
अजमेर	अजमेर, भीलवाडा, नागौर, टोंक	65	सम्राट पृथ्वीराज चौहान राज.महा. अजमेर	वाद विवाद एवं विक्ज प्रतियोगिता राजकीय महाविद्यालय, अजमेर में तथा काव्य पाठ (स्वरचित) प.नवलकिशोर शर्मा राजकीय महाविद्यालय, दौसा में आयोजित होगी।
भरतपुर	भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर	52	एम.एस.जे. भरतपुर	
बीकानेर	बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ, चूरू	52	डूंगर महा. बीकानेर	
कोटा	कोटा, बारां, झालावाड़, बूंदी	38	कला कोटा	
जयपुर	जयपुर, दौसा, सीकर, झुन्झुनू, अलवर	116	बाबू शोभाराम कला महाविद्यालय, अलवर	
उदयपुर	उदयपुर, डूंगरपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ	59	राज0 महा0 चित्तोडगढ	

जोधपुर	जोधपुर, पाली, सिरोही, जालौर, बाड़मेर, जैसलमेर	78	राज0महा0सिरोही	

नियमः—

1. आयोज्य संस्था द्वारा उपर्युक्त प्रतियोगिता के संबंध में राजकीय महाविद्यालयों को भागीदारी हेतु आमंत्रित किया जायेगा। टीम प्रतिस्पर्द्धा में प्रतिभागियों की न्यूनतम संख्या 03 एवं अधिकतम 05 होगी तथा इस संख्या से कम प्रतिभागी होने पर उस महाविद्यालय की भागीदारी स्वतः ही समाप्त मानी जायेगी।
2. आयोजन संस्था 200/— रूपये प्रति प्रतियोगिता रजिस्ट्रेशन शुल्क के रूप में लेगी।
3. यात्रा व्यय एवं अन्य व्यय छात्रकोष से किये जावें।
4. अतिरिक्त वित्तीय सहायता एम.एल.ए./एम.पी./स्थानीय प्रतिनिधि से ली जा सकती है।
5. इन गतिविधियों को संचालित करने में जिन मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता है उनके व्यय की पूर्ति महाविद्यालय में विकास समिति कोष में प्रस्ताव पारित कर उनकी पूर्वानुमति पश्चात् की जा सकेगी।
6. **जिला स्तर पर आयोजित समस्त प्रतियोगिताओं में प्रथम स्थान प्राप्त प्रतिभागी ही राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने का पात्र होगा।**
7. किसी भी समूह प्रतियोगिता में 03 से कम एवं 05 से अधिक प्रतिभागी नहीं होंगे। एकल एवं समूह प्रतियोगिता में प्रथम तीन स्थानों हेतु न्यूनतम चार टीमों का होना आवश्यक है।
8. महाविद्यालय प्रत्येक गतिविधि में भाग लेने को बाध्य नहीं है।

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur-302015, Rajasthan
Website: http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/
e-mail: jdacad1960@gmail.com Ph.: 0141-2706550

क्रमांकः एफ 7(4)प्रवेश नीति / अकाद / आकाशि / 2022–23 / 591 दिनांकः 20 जून, 2022

प्राचार्य,
समस्त राजकीय / निजी महाविद्यालय,
राजस्थान।

विषयः प्रवेश नीति सत्र 2022–23 बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत अकादमिक सत्र 2022–23 हेतु राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित प्रवेश नीति आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर की वेबसाईट पर अपलोड कर दी गई है। राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित प्रवेश नीति के अनुरूप ही महाविद्यालय में प्रवेश कार्यक्रम सुचारू रूप से संचालित करें।

भवदीय,

आयुक्त
कॉलेज शिक्षा

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, कॉलेज शिक्षा, जयपुर / अजमेर / कोटा / बीकानेर / जोधपुर / उदयपुर।
2. वेबसाइट प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।

20.6.2022
(डॉ. के.एल. सिराधना)
संयुक्त निदेशक (अकादमिक)

General Letter Admission

सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

प्रवेश नीति 2022—23

(राजकीय एवं निजी महाविद्यालयों के लिए)

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	प्रवेश नीति	
	प्रथम भाग : प्रस्तावना एवं उद्देश्य	3–4
	द्वितीय भाग : स्नातक पार्ट प्रथम में प्रवेश के नियम	5–8
	तृतीय भाग : स्नातकोत्तर एवं एम. फिल. पाठ्यक्रम में प्रवेश के नियम	9–12
	चतुर्थ भाग : विधि संकाय में प्रवेश के नियम	13–14
	पंचम भाग : सभी संकायों हेतु सामान्य नियम	15–21
	षष्ठ भाग : आरक्षण, रियायतें एवं लाभ	22–34

प्रथम भाग

प्रस्तावना एवं उद्देश्य

राज्य सरकार के समावेशी उच्च शिक्षा विकास एवं गुणात्मक अभिवृद्धि के लक्ष्य के अनुरूप प्रवेश नीति संरचित है। प्रवेश नीति की संरचना के प्रमुख उद्देश्य निम्नांकित हैं :–

1. प्रवेश प्रक्रिया सरल, सहज, सुगम एवं पारदर्शी हो इस उद्देश्य से समस्त राजकीय महाविद्यालयों में स्नातक भाग प्रथम तथा स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध की कक्षाओं में ऑन लाईन प्रक्रिया द्वारा प्रवेश कार्य होगा। स्नातक भाग द्वितीय, तृतीय तथा स्नातकोत्तर उत्तरार्द्ध कक्षाओं में एकीकृत प्रवेश प्रक्रिया संचालित रहेगी।

2. उच्च शिक्षा में गुणात्मक स्तर बनाये रखने के लिये स्नातक व स्नातकोत्तर कक्षाओं में सम्बद्धक विश्वविद्यालयों एवं उच्च शिक्षा नियामक संस्थानों के मानदण्डों को दृष्टिगत रखकर पात्रता एवं न्यूनतम अर्हता संबंधी मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं।

3. समावेशी विकास नीति के अन्तर्गत –

(i) सत्र 2020–21 से प्रवेश प्राप्तांक प्रतिशत के आधार पर प्रवेश दिये **जा रहे हैं**।

(ii) उच्च शिक्षा से वंचित मूकबधिर तथा दृष्टिहीन अभ्यर्थियों को सत्र 2020–21 से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने सम्बन्धी नियमों में राज्य सरकार ने शिथिलता प्रदान करते हुए किसी भी अकादमिक सत्र में प्रवेश हेतु अन्तराल सम्बन्धी नियमों को पूर्णतः निरस्त कर दिया है।

(iii) जनजाति उपयोजना क्षेत्र (टी.एस.पी.) में अवस्थित महाविद्यालयों में न्यूनतम विद्यार्थी संख्या मानदण्ड में 25 प्रतिशत की छूट रहेगी।

(iv) महिला नामांकन दर में अभिवृद्धि को प्रोत्साहित करने हेतु सहशिक्षा महाविद्यालयों में महिला अभ्यर्थी को नियम 6.7.10 अ के अन्तर्गत 3 प्रतिशत बोनस दिये जाने के साथ–साथ अन्तराल संबंधी नियमों में छूट देने का प्रावधान भी किया गया है, ताकि अधिक आयु वाली उच्च शिक्षा की इच्छुक महिला अभ्यर्थियों को नियमित उच्च शिक्षण के अवसर प्राप्त हो सके।

(v) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग (Most Backward Class) तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) **के** अभ्यर्थियों के लिये प्रवेश नीति में राज्य सरकार के नियमानुसार आरक्षण व्यवस्था सुनिश्चित की गई है।

(vi) पाक विस्थापित, कश्मीर प्रवर्जित एवं दिव्यांग अभ्यर्थियों को उच्च शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने के लिए भारत/राज्य सरकार के द्वारा प्रदत्त निर्देशानुसार प्रवेश नीति में विशेष प्रावधान किये गये हैं।

(vii) ट्रांसजेण्डर अभ्यर्थियों को ससम्मान उच्च शिक्षण संस्थाओं में (केवल सहशिक्षा महाविद्यालयों में) प्रवेश मिले, इस हेतु उच्च शिक्षा विभाग द्वारा लिये गये विशेष निर्णय के अन्तर्गत उन्हें न्यूनतम उत्तीर्णांक पर प्रवेश दिया जायेगा।

(Viii) भारतीय सेना व केन्द्रीय सशस्त्र बलों तथा **राजस्थान पुलिस** के कार्मिकों व पूर्व कार्मिकों के पुत्र/पुत्री/पत्नी को प्रवेश हेतु 3 प्रतिशत स्थान आरक्षित करने के साथ-साथ शहीदों के आश्रितों को न्यूनतम उत्तीर्णांक पर प्रवेश का प्रावधान है।

(ix) समग्र व्यक्तित्व विकास से सम्बद्ध सहशैक्षणिक, खेलकूद, समाज सेवा आदि से संबंधित गतिविधियों में उत्कृष्ट एवं उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए प्रवेश हेतु प्राथमिकता तथा बोनस अंकों का प्रावधान है ।

(x) वर्तमान शिक्षा व्यवस्था को रोजगारोन्मुखी बनाने के लिए एवं कौशल प्रशिक्षण को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों एवं पॉलीटेक्निक महाविद्यालयों के मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों को कक्षा बारहवीं के समकक्ष माना गया है ।

(xi) प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क शिक्षण एवं मार्गनिर्देशन हेतु ज्ञानसुधा कार्यक्रम राज्य के समस्त राजकीय महाविद्यालयों में संचालित है।

(xii) सत्र 2020-21 से राजीव गॉधी ई-कन्टेंट द्वारा ऑनलाईन अध्यापन का कार्य **जारी है**।

(xiii) प्रत्येक महाविद्यालय में गरीब विद्यार्थियों के लिए सह/सहायक आचार्यो द्वारा बुक बैंक की स्थापना।

(xiv) जिन अभ्यर्थियों के माता/पिता अथवा दोनों की तथा जिन महिला अभ्यर्थियों के पति की मृत्यु कोरोना से हो गई है, उन्हें महाविद्यालय में न्यूनतम् उत्तीर्णांक पर अतिरिक्त सीटों पर **निःशुल्क** प्रवेश दिया जावेगा ।

कम्

द्वितीय भाग

स्नातक पार्ट प्रथम में प्रवेश के नियम

2.1 प्रवेश मानदण्ड एवं पात्रता

तालिका 2.1

स्नातक पास कोर्स व आनर्स कोर्स के पार्ट प्रथम में प्रवेश हेतु मानदण्ड

अभ्यर्थियों का प्रकार	अर्हकारी परीक्षा* में न्यूनतम पात्रता प्रतिशत	
	पासकोर्स	ऑनर्स
राजस्थान में अवस्थित किसी भी विद्यालय से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण अथवा राजस्थान के निवासी (पंचम भाग के नियम–2 में परिभाषित)जो राजस्थान राज्य के अलावा अन्य किसी स्थान से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण हो।	कला संकाय –45 वाणिज्यसंकाय–45 विज्ञान संकाय–48	कला संकाय – 48 वाणिज्य संकाय–48 विज्ञान संकाय –50
राजस्थान के अलावा अन्य किसी स्थान से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण हो तथा राजस्थान के निवासी न हो।	60	60

*अर्हकारी परीक्षा से आशय मान्यता प्राप्त बोर्ड से नियमित या स्वयंपाठी अभ्यर्थी के रूप में उत्तीर्ण 10+2 या समकक्ष परीक्षा है।

कक्षा 12 की समकक्षता हेतु –

(1) कक्षा 10 वीं उत्तीर्ण होने के पश्चात् दो या दो से अधिक वर्ष का नेशनल काउसिंल फार वोकेशनल ट्रेनिंग (NCVT) से मान्यता प्राप्त कोर्स उत्तीर्ण करने व माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान /राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर से 12 वीं के लिये निर्धारित कोर्स के अनुसार अंग्रेजी विषय की परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते हैं तो उन्हें आगे की शिक्षा में प्रवेश हेतु 12वीं उत्तीर्ण के समकक्ष माना जायेगा।

(2) यह समकक्षता उसी स्थिति में देय होगी जब अंग्रेजी व आई.टी.आई. की अंतिम वर्ष की परीक्षा एक ही वर्ष में उत्तीर्ण की हो अथवा अंग्रेजी की परीक्षा आई.टी.आई. करने के पश्चात उत्तीर्ण की हो।

(3) 10 वीं उत्तीर्ण करने के पश्चात् नेशनल काउसिंल फार वोकेशनल ट्रेनिंग (NCVT) के दो या दो से अधिक वर्षो का मान्यता प्राप्त कोर्स उत्तीर्ण (आदेशों से पूर्व/पश्चात) कर चुके विद्यार्थी 12वीं की समकक्षता अंग्रेजी की परीक्षा राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर/माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान से उत्तीर्ण करने पर प्राप्त कर सकेगे।

(4) 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात तथा किसी मान्यता प्राप्त पोलीटेक्निक कॉलेज से 3 वर्ष का ऑल इण्डिया काउन्सिल फॉर टेक्निकल एजूकेशन (AICTE) से मान्यता प्राप्त कोर्स उत्तीर्ण करने पर उन्हें आगे शिक्षा में प्रवेश हेतु कक्षा 12वीं उत्तीर्ण के समकक्ष माना जायेगा।

नोट :–

(i). ITI (NCVT) एवं RBSE/RSOS बोर्ड के माध्यम से 12वीं के लिए निर्धारित कोर्स के अनुसार अंग्रेजी विषय दोनों में उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही प्रवेश हेतु कक्षा 12वीं के समकक्ष होंगे।

(ii) उक्त बिन्दुओं में वर्णित 12वीं की समकक्षता प्राप्त करने पर विद्यार्थी को विज्ञान संकाय (गणित वर्ग) का विद्यार्थी माना जायेगा।

2.1.1 सभी पात्र आवेदकों को प्रवेश देने के पश्चात् यदि किसी कक्षा/विषय के स्वीकृत वर्ग (विधि संकाय को छोड़कर) में स्थान रिक्त रह जाये तो, उपर्युक्त पात्रता में 3 प्रतिशत तक की छूट देकर रिक्त स्थानों को वरीयता क्रम में भरा जा सकेगा। इसके लिए उक्त न्यूनतम पात्रता प्रतिशत से 3 प्रतिशत कम तक के अभ्यर्थियों के आवेदन–पत्र स्वीकार किये जा सकेंगे। फिर भी महिला महाविद्यालय में स्थान रिक्त रहने पर न्यूनतम उत्तीर्णाक तक प्रवेश देय होगा।

तालिका 2.2

स्नातक पार्ट प्रथम में अभ्यर्थियों की संकायानुसार पात्रता

स्नातक पार्ट प्रथम में प्रवेश के लिए आवेदित संकाय	उत्तीर्ण अर्हकारी परीक्षा का संकाय
कला/वाणिज्य	कला/वाणिज्य/विज्ञान/कृषि संकाय
विज्ञान – गणित वर्ग	केवल विज्ञान संकाय– गणित समूह*
विज्ञान – जीव विज्ञान वर्ग	केवल विज्ञान संकाय जीव–विज्ञान समूह*

* अर्हकारी परीक्षा में गणित/जीव विज्ञान को अतिरिक्त विषय के रूप में लेकर उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थी दोनों विषय समूहों के लिए आवेदन कर सकते है।

2.1.2 कृषि पाठ्यक्रम से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों के विज्ञान संकाय में प्रवेश के लिए सम्बद्धक विश्वविद्यालय के नियमों का पालन किया जावेगा, परन्तु पात्रता तालिका 2.1 के अनुसार ही रहेगी।

2.1.3 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से व्यावसायिक पाठ्यक्रमों (वोकेशनल कोर्स) में अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को केवल कला एवं वाणिज्य संकाय में ही प्रवेश दिया जा सकेगा, ऐसे अभ्यर्थियों की प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारित करने हेतु अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांक प्रतिशत अंक में से 5 प्रतिशत अंक घटा दिये जायेंगे।

2.1.4 जिन अभ्यर्थियों ने 12वीं कक्षा अतिरिक्त विषय लेकर उत्तीर्ण की है उन अभ्यर्थियों की प्रवेश वरीयता निर्धारण हेतु सर्वाधिक अंकों वाले 05 विषयों के प्राप्तांकों को जोडा जायेगा, जिसमें एक भाषा का होना अनिवार्य है। अन्य 04 विषयों में अधिकतम एक भाषा का और चयन किया जा सकता है। विज्ञान संकाय के अभ्यर्थियों के गणित/जीव विज्ञान वर्ग में प्रवेश चाहने पर उनकी प्रवेश वरीयता निर्धारण करते समय श्रेष्ठ पांच विषयों के प्राप्तांकों में एक भाषा तथा वांछित विषय (गणित/जीव विज्ञान) के प्राप्तांकों को सम्मिलित कर प्राप्तांक प्रतिशत की गणना की जावेगी।

2.2 वर्ग में प्रवेश सीमा

2.2.1 कला एवं वाणिज्य संकाय की प्रत्येक कक्षा/विषय के एक वर्ग (सेक्शन) में अधिकतम 80 विद्यार्थियों एवं विज्ञान संकाय की प्रत्येक कक्षा/विषय के एक वर्ग (सेक्शन) में अधिकतम 70 विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जा सकता है।

2.2.2 (i) स्नातक स्तर पर पार्ट प्रथम (पास/ऑनर्स कोर्स)में किसी कक्षा/विषय में प्रविष्ट विद्यार्थियों की संख्या 20 से कम रहने की स्थिति में उस कक्षा/विषय को वर्तमान शिक्षण सत्र में जारी नहीं रखा जायेगा तथा विद्यार्थियों को अन्य वांछित कक्षाओं में प्रवेश देकर उनके द्वारा जमा करवाये गये शुल्क को समायोजित कर दिया जायेगा और इसकी सूचना प्राचार्य द्वारा आयुक्त/निदेशक कॉलेज शिक्षा को दी जायेगी।

(ii) समस्त महिला महाविद्यालयों के समस्त विषयों में तथा सहशिक्षा महाविद्यालयों में कला संकाय के चित्रकला, अंग्रेजी, गृह विज्ञान, जैनोलाजी, संगीत, सिन्धी, दर्शनशास्त्र, लोक प्रशासन, मनोविज्ञान, पंजाबी, राजस्थानी, संस्कृत, उर्दू, फारसी, अर्थशास्त्र एवं विज्ञान संकाय के भूगर्भ शास्त्र विषयों तथा टी.डी.पी. (टेक्सटाईल–डाईंग एण्ड प्रिंटिंग) की स्नातक पार्ट प्रथम में न्यूनतम विद्यार्थी संख्या 10 से कम रहने की स्थिति में उस विषय का शिक्षण वर्तमान सत्र में जारी नहीं रखा जायेगा।

(iii) जनजाति उपयोजना क्षेत्र में स्थित महाविद्यालयों के लिए (i) एवं (ii) में निर्धारित न्यूनतम संख्या में 25 प्रतिशत की छूट रहेगी।

2.3 अन्तराल के पश्चात् प्रवेश

2.3.1 अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात्, दो अकादमिक सत्रों से अधिक अन्तराल व्यतीत होने पर नियमित/स्वयंपाठी आवेदक को अगली कक्षा में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।

2.3.2 अन्तराल संबंधी उपर्युक्त नियम मूक–बधिर,दृष्टिहीन अभ्यार्थियों व महिला अभ्यर्थियों पर लागू नहीं होंगे।

2.4 संकाय/विषय/ऑनर्स कोर्स में परस्पर परिवर्तन

2.4.1 किसी भी संकाय में प्रवेश के बाद संकाय परिवर्तन के इच्छुक विद्यार्थियों के आवेदन पर तब ही विचार किया जा सकेगा जब इच्छित संकाय की कक्षा में स्थान रिक्त हों तथा परिवर्तन के इच्छुक विद्यार्थी के प्राप्तांक प्रतिशत इच्छित संकाय/विषय/आनर्स कोर्स में संबद्धक वर्ग में प्रविष्ट अंतिम विद्यार्थी के प्राप्तांक प्रतिशत से कम न हों।

2.4.2 संकाय परिवर्तन इच्छित संकाय में प्रवेश की पात्रता पूरी होने पर संभव होगा। ऑनर्स पाठ्यक्रम में प्रविष्ट विद्यार्थी का पास कोर्स में परिवर्तन तभी हो सकेगा जबकि बिन्दु 2.4.1 के साथ परिवर्तन से ऑनर्स कोर्स में प्रविष्ट विद्यार्थियों की संख्या 20 से कम न हों ।

2.4.3 संकाय/विषय परिवर्तन के लिये अनुमति, केवल विषय संयोजन (Subject combination) में स्थान उपलब्ध होने पर एक बार ही दी जावेगी। रिक्त स्थानों पर वरीयता के आधार पर प्रवेश दिया जावेगा।

2.4.4 विषय/संकाय परिवर्तन के इच्छुक विद्यार्थियों को निर्धारित समय अवधि (प्रवेश कार्यक्रम में उल्लेखित) में 200/– रू. शुल्क के साथ आवेदन पत्र जमा कराने होगे।

2.5 समान प्रतिशत होने पर वरीयता क्रम

2.5.1 यदि किसी कक्षा/विषय में बोनस अंक प्राप्त अभ्यर्थी और बोनस रहित अभ्यर्थी दोनों के वरीयता सूची में समान प्रतिशत हों तो उनमें बोनस रहित अभ्यर्थी का क्रम ऊपर होगा।

2.5.2 यदि बिन्दु 2.5.1 में भी समान होने पर कक्षा 12वीं में अधिक अंक वाले अभ्यर्थी का क्रम ऊपर होगा।

2.5.3 बिन्दु 2.5.2 में भी समान होने पर माध्यमिक परीक्षा में अधिक प्राप्तांक प्रतिशत वाले अभ्यर्थी का क्रम ऊपर होगा।

2.5.4 बिन्दु 2.5.3 में भी समान हों, तो अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी।

2.6 कृषि पाठ्यक्रम के प्रथम भाग में प्रवेश

कृषि पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये आयोजित संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जे.ई.टी.) के आधार पर सम्बन्धित महाविद्यालयों के कृषि संकाय के पार्ट प्रथम में प्रवेश देय होगा।

तृतीय भाग

स्नातकोत्तर एवं एम. फिल. पाठ्यक्रम में प्रवेश के नियम

3.1 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम

तालिका 3.1
प्रवेश हेतु मानदण्ड एवं पात्रता

क.सं.	अभ्यर्थियों का प्रकार	पाठ्यक्रम	प्राप्तांक मानदण्ड	पात्रता
(i)	राजस्थान में अवस्थित किसी विश्वविद्यालय से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण	एम.ए./ एम.कॉम.	अर्हकारी परीक्षा* में न्यूनतम 48 प्रतिशत प्राप्तांक अथवा आवेदित विषय में न्यूनतम 55 प्रतिशत प्राप्तांक	समस्त संकायों के अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण
		एम.एससी.	अर्हकारी परीक्षा* अथवा आवेदित विषय में न्यूनतम 55 प्रतिशत प्राप्तांक	विज्ञान सकांय से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण– आवेदित विषय के साथ विज्ञान स्नातक उत्तीर्ण।
(ii)	राजस्थान राज्य के बाहर अवस्थित किसी विश्वविद्यालय से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण	सभी संकाय	अर्हकारी परीक्षा* में न्यूनतम 60 प्रतिशत प्राप्तांक	एम.ए.,/एम.कॉम.के लिये अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण तथा एम.एससी. के लिये आवेदित विषय के साथ विज्ञान सकांय से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण ।

* अर्हकारी परीक्षा से आशय मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 10+ 2+(3 वर्ष या तीन वर्ष से अधिक की स्नातक परीक्षा से है)।

3.1.1 स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश पात्रता हेतु सम्बद्धक विश्वविद्यालय के नियम लागू होंगे।

3.1.2 स्थान रिक्त रहने की स्थिति में प्रवेश हेतु महिला अभ्यर्थियों तथा तालिका 3.1 (ii) के अभ्यर्थियों को न्यूनतम प्राप्तांक प्रतिशत में 5 प्रतिशत की छूट दी जा सकेगी।

3.1.3 जन जातीय उपयोजना क्षेत्र में स्थित महाविद्यालयों में न्यूनतम प्राप्तांक प्रतिशत में 5 प्रतिशत की छूट दी जा सकेगी।

3.1.4 अनुत्तीर्ण विद्यार्थी को पुनः उसी पाठ्यक्रम में नियमित विद्यार्थी के रूप में प्रवेश नहीं दिया जायेगा, किन्तु उसे दूसरे स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में स्नातक परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर प्रवेश दिया जा सकेगा।

3.1.5 किसी भी अभ्यर्थी को राजकीय महाविद्यालय में अर्हकारी स्नातक परीक्षा उपरान्त स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध में नियमित प्रवेश का अवसर दो बार (दो स्नातकोत्तर विषयों में अथवा एक स्नातकोत्तर विषय एवं विधि स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम) या स्नातकोत्तर डिप्लोमा से अधिक नहीं दिया जायेगा।

3.1.6 त्रिवर्षीय विधि स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश सामान्य/ऑनर्स स्नातक परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर दिया जा सकेगा।

3.1.7 पूर्वार्द्ध उत्तीर्ण अभ्यर्थियों पर अन्तराल के पश्चात् उत्तरार्द्ध में प्रवेश के संबंध में नियम **2.3.1** में दी गई शर्तें यथावत लागू होंगी।

3.1.7 (अ) पूर्वार्द्ध में प्रवेश के लिए अन्तराल से सम्बन्धित कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा।

3.1.8 पूर्वार्द्ध उत्तीर्ण विद्यार्थी द्वारा अगले सत्र में बी.एड. करने के पश्चात् महाविद्यालय की स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश लेने पर विद्यार्थी को टी.सी. के अभाव में नियमानुसार अस्थाई प्रवेश दिया जावेगा। विद्यार्थी से एक शपथ पत्र लिया जावेगा कि वह गत सत्र में बी.एड का नियमित विद्यार्थी रहा है तथा परीक्षा परिणाम प्राप्त होने पर वह टी.सी. प्रस्तुत कर देगा अन्यथा उसका प्रवेश स्वतःनिरस्त माना जावेगा।

3.2 कक्षा में वर्ग / विषय / पेपर्स में स्थानों की सीमा :

3.2.1 विश्वविद्यालय संबद्धता को दृष्टिगत रखकर, कला एवं वाणिज्य संकाय के स्नातकोत्तर विषयों में एक वर्ग में अधिकतम 60 एवं न्यूनतम 20 अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जा सकता है।

3.2.2 विज्ञान संकाय के विषयों के वर्ग में आयुक्तालय / संबद्धक विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित स्थानों पर प्रवेश दिया जायेगा ।

3.2.3 महिला महाविद्यालयों के स्नातकोत्तर विषयों में एक वर्ग में विद्यार्थियों की न्यूनतम संख्या 10 है।

3.2.4 वाणिज्य संकाय के सभी विषयों, कला संकाय के चित्रकला, अंग्रेजी, हिन्दी, अर्थशास्त्र, गृह विज्ञान, जैनोलॉजी, संगीत, दर्शन शास्त्र, लोक प्रशासन, मनोविज्ञान, राजस्थानी, संस्कृत, उर्दू, सिन्धी, फारसी, पंजाबी एवं विज्ञान संकाय के भूगर्भ शास्त्र, गणित एवं भौतिक शास्त्र विषयों की स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध कक्षाओं में एवं PGDCA में विद्यार्थियों की न्यूनतम संख्या 20 के स्थान पर 10 है।

3.2.5 जनजातीय क्षेत्रों में स्थित महाविद्यालयों को बिन्दु संख्या 3.2.1 से 3.2.4 तक में न्यूनतम संख्या में 25 प्रतिशत तक की छूट प्राप्त होगी।

3.2.6 बिन्दु संख्या 3.2.1 से 3.2.5 तक निर्धारित न्यूनतम सीमा से कम प्रवेश रहने की स्थिति में उस विषय का शिक्षण उस सत्र के लिए स्थगित कर दिया जायेगा।

3.2.7 सभी संकायों के पूर्वार्द्ध / उत्तरार्द्ध में विद्यार्थियों को वैकल्पिक प्रश्न पत्र / शाखा का आवंटन वरीयता क्रम में किया जावेगा। किसी प्रश्न पत्र / शाखा में इच्छुक विद्यार्थियों की संख्या 5 से कम होने पर वह वैकल्पिक प्रश्न पत्र / शाखा का शिक्षण उस सत्र के लिए स्थगित कर दिया जायेगा।

3.2.8 विज्ञान के विषयों में स्नातकोत्तर स्तर पर स्वीकृत स्थानों की संख्या जहॉ 20 से कम है, वहॉ संस्था द्वारा अनुदान प्राप्त करने के लिए शैक्षणिक कार्यभार नहीं बढ़ने की शर्त पर स्थानों की संख्या 20 तक की जा सकती है लेकिन किसी भी वैकल्पिक प्रश्न पत्र / शाखा में विद्यार्थियों की संख्या 5 से कम नहीं होनी चाहिए।

3.3 वरीयता निर्धारण की प्रकिया

3.3.1 समान संकाय में प्रवेश हेतु :–

प्रत्येक संकाय में स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश की योग्यता का निर्धारण निम्नांकित आधार पर किया जायेगाः–

(i) स्नातक स्तर पर आवेदित विषय होने पर : अभ्यर्थी के द्वारा स्नातक कोर्स के पार्ट प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय के श्रेणी (डिवीजन) निर्धारण हेतु मान्य समस्त विषयों के कुल प्राप्तांकों में आवेदित विषय में उपर्युक्त कक्षाओं के प्राप्तांकों को जोड़ कर कुल प्राप्तांक निकाले जायेंगे तथा दोनों के पूर्णांकों के योग के आधार पर प्राप्तांक प्रतिशत निकाला जायेगा । भले ही ये परीक्षायें भिन्न भिन्न विश्वविद्यालयों से उत्तीर्ण की गई हों।

(ii) स्नातक स्तर पर आवेदित विषय न होने पर सम्बद्धक विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पात्रता पूरी करने की स्थिति में अन्य विषय वाले अभ्यर्थी के प्राप्तांक प्रतिशत में 5 प्रतिशत की कमी करने के बाद शेष प्राप्तांक प्रतिशत के आधार पर प्रवेश वरीयता सूची बनायी जायेगी। दोनों वर्गों की सम्मिलित वरीयता सूची के आधार पर प्रवेश दिया जायेगा।

(iii) उक्त दोनों प्रकार के अभ्यर्थियों के लिए :

(अ) जिन विषयों की प्रायोगिक एवं सैद्धान्तिक दोनों प्रकार की परीक्षा होती है, उनमें दोनों का योग स्वीकार्य होगा।

(ब) यदि प्रवेशार्थी को कोई बोनस प्रतिशत देय है तो उसे जोड़कर कुल योग प्रतिशत से वरीयता का निर्धारण किया जायेगा।

3.3.2 **भिन्न संकाय में प्रवेश हेतु**

(i) भिन्न संकाय से परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए पात्रता प्राप्तांक सम्बद्धक विश्वविद्यालय के नियमों / परिनियमों के अनुसार होंगे।

(ii) भिन्न संकाय के पात्र अभ्यर्थी के प्राप्तांक प्रतिशत में 5 प्रतिशत की कमी करने के बाद शेष प्राप्तांक प्रतिशत के आधार पर समान व भिन्न संकाय के अभ्यर्थियों की सम्मिलित वरीयता सूची के आधार पर प्रवेश देय होगा किन्तु भिन्न संकाय के पात्र अभ्यर्थियों की प्रवेशित सूची में संख्या, प्रत्येक कैटेगरी के लिए निर्धारित स्थानों की अधिकतम 20 प्रतिशत तक ही हो सकती है।

(iii) समान संकाय के अभ्यर्थी कम होने की स्थिति में भिन्न संकाय के पात्र अभ्यर्थी होने पर इनको 20 प्रतिशत से अधिक स्थानों पर प्रवेश आयुक्तालय की अनुमति से देय होगा।

(iv) जिन पाठ्यक्रमों में भिन्न संकाय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी प्रवेश हेतु पात्र है तथा जिनका परीक्षा परिणाम घोषित नहीं हुआ हो ऐसे अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम 20 प्रतिशत सीटें withheld रखते हुये समान संकाय के अभ्यर्थियों की प्रवेश सूची

जारी की जा सकेगी। तीनों संकायों के स्नातक पार्ट तृतीय के परिणाम आने पर बिन्दु (ii) एवं (iii) के अनुसार अन्तिम प्रवेश सूची जारी की जावेंगी।

3.3.3 ऑनर्स स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का प्रवेश

ऑनर्स स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी के प्राप्तांक प्रतिशत में 5 प्रतिशत अंकों की वृद्धि कर योग्यता सूची तैयार की जायेगी। यह लाभ उन अभ्यर्थियों को देय नहीं होगा जिन्हें पास कोर्स में उच्च प्रतिशत के कारण ऑनर्स की उपाधि दी गई हो। सहायक (Subsidiary) विषय में प्रवेश लेने पर भी यह लाभ देय नहीं होगा।

3.3.4 यदि किसी अभ्यर्थी के अंक सुधार की परीक्षा के बाद अंकों में वृद्धि होती है तो उसकी योग्यता के निर्धारण के लिए बढ़े हुए अंक ही विचारणीय होंगे।

3.3.5 दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के अंक समान हो तो वरीयता क्रम में

(i) बोनस व बोनस रहित अभ्यर्थियों में बोनस रहित अभ्यर्थी का क्रम ऊपर होगा ।

(ii) आवेदित विषय में अधिक प्राप्तांक वाले अभ्यर्थी का क्रम ऊपर होगा ।

(iii) अधिक उम्र वाला अभ्यर्थी ऊपर होगा।

3.4 एक विषय से दूसरे विषय में स्थानान्तरण

यदि किसी अभ्यर्थी का नाम एक से अधिक विषयों की प्रवेश सूची में आ जाता है तो वह इनमें से किसी भी विषय में शुल्क जमा करा कर प्रवेश ले सकता है। यदि उसका नाम बाद में जारी की गयी किसी अन्य विषय की प्रवेश सूची में आता है तो उस विषय में 200.00 रूपये स्थानान्तरण शुल्क जमा करवाकर प्रवेश ले सकेगा और उसके द्वारा पूर्व में जमा कराया गया शुल्क समायोजित हो जायेगा।

3.5 एम.फिल.पाठ्यक्रम में प्रवेश

किसी भी संकाय/विषय की एम.फिल. कक्षा में प्रवेश हेतु संबंधित महाविद्यालय यू.जी.सी. द्वारा निर्धारित मानदण्ड एवं सम्बद्धक विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवेश नियमों के आधार पर प्रवेश प्रक्रिया अपनायेगें।

चतुर्थ भाग

विधि संकाय में प्रवेश के नियम

नोट : विधि संकाय में प्रवेश बार कौंसिल ऑफ इण्डिया / सम्बद्धक विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमानुसार होंगे।

4.1 विधि स्नातक पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश के मानदण्ड

4.1.1 वह अभ्यर्थी जिसने किसी भी मान्य विश्वविद्यालय की स्नातक अथवा स्नातकोत्तर उपाधि कला / विज्ञान / वाणिज्य / भेषज(मेडीसन) / अभियांत्रिकी / नर्सिंग / पशुचिकित्सा / कृषि अथवा शास्त्री / आचार्य / आयुर्वेदाचार्य / आयुर्वेद वाचस्पति या इसके समकक्ष उपाधि न्यूनतम 45 प्रतिशत प्राप्तांकों से उत्तीर्ण जिसे विश्वविद्यालय ने उपर्युक्त उपाधि के लिए प्रस्तावित सम्पूर्ण पाठ्यक्रम के लिए मान्यता दी हो, निम्नांकित मानदण्डों के अनुसार विधि स्नातक के पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश का पात्र होगा।

4.1.2 इस पाठयक्रम में प्रवेश हेतु आयु सीमा संबंधित प्रावधान बार कौंसिल आफ इण्डिया के द्वारा प्रवेश के समय प्रभावी नियमों के अनुसार होगें। स्नातक अथवा स्नातकोत्तर परीक्षा में से जिसमें प्राप्तांक अधिक हो वह प्रवेश हेतु मान्य होंगे।

4.1.3 विधि स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए स्नातकोत्तर स्तर की उपाधि के आधार पर पात्रता रखने वाले अभ्यर्थियों की संख्या कुल स्थानों के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

4.1.4 आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को उक्त पाठ्यक्रम में उप वर्णित अर्हकारी परीक्षा में पात्रता अंक प्रतिशत में छूट बार कौंसिल ऑफ इण्डिया के नियमानुसार देय होगी।

4.1.5 अर्हकारी परीक्षा में पूरक परीक्षा के योग्य घोषित अभ्यर्थी प्रवेश के योग्य नहीं होंगे।

4.1.6 अर्हकारी परीक्षा में पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को फोटो स्टेट प्रमाणित अंकतालिका के आधार पर शपथ पत्र प्रस्तुत करने पर प्रवेश के लिए पात्र माना जा सकेगा। यह प्रावधान जिस विश्वविद्यालय में पुनर्मूल्यांकन पद्धति लागू है उनके लिये ही मान्य होगा। अभ्यर्थी से इस आशय का शपथ पत्र लेना होगा कि अर्हकारी परीक्षा में अंक कम हो जाने की स्थिति में वरीयता सूची से बाहर हो जाने पर उसका प्रवेश स्वतः निरस्त माना जायेगा।

4.1.7 विधि प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के एक वर्ग में विद्यार्थियों के प्रवेश की अधिकतम सीमा 60 होगी।

4.1.8 किसी अभ्यर्थी की प्रवेश पात्रता हेतु निर्धारित न्यूनतम प्राप्तांकों से एक अंक कम होने पर भी उसके प्रवेश पर विचार नहीं किया जायेगा।

4.1.9 विधि पाठ्यक्रम में प्रवेश की वरीयता निर्धारण में अध्याय छः में अंकित रियायतें एवं लाभ सम्मिलित नहीं किये जायेंगे।

4.1.10 बार कौंसिल ऑफ इण्डिया के निर्देशानुसार वे समस्त आवेदक जिन्होंने अर्हकारी परीक्षा बुनियादी योग्यता पास करने के उपरान्त दूरस्थ अथवा पत्राचार माध्यम से उत्तीर्ण की हो, तीन वर्षीय एल.एल.बी. पाठ्यक्रम में प्रवेश के पात्र होगे।

4.1.11 विधि संकाय में प्रवेश हेतु उपलब्ध स्थानों में न्यूनतम 1 स्थान कश्मीरी घाटी विस्थापित और कश्मीरी पंडित/कश्मीरी हिन्दू परिवार के बच्चों हेतु आरक्षित रहेगा।

4.1.12 विधि स्नातक की किसी भी कक्षा में कम उपस्थिति होने पर रोके गये विद्यार्थी को तीन वर्षो में प्रवेश का मात्र एक अवसर आगामी सत्र में दिया जा सकेगा। ऐसे विद्यार्थी को विधि प्रथम वर्ष में पुनः प्रवेश हेतु उस सत्र की वरीयता सूची में उसके स्थानानुसार ही प्रवेश दिया जायेगा।

4.2 विधि स्नातकोत्तर (एल.एल.एम.) में प्रवेश की पात्रता

अर्हकारी परीक्षा (विधि स्नातक) में न्यूनतम 55 प्रतिशत प्राप्तांक। इस पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु कोई आयु सीमा लागू नहीं होगी।

4.3 विधि के डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश की पात्रता

इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश सम्बद्धक विश्वविद्यालय के संबंधित नियमों द्वारा शासित होंगे। सम्बद्धक विश्वविद्यालय में कोई प्रावधान नहीं होने की स्थिति में इनमें प्रवेश के लिए राजस्थान विश्वविद्यालय के अध्यादेश (256) का पालन किया जायेगा।

पंचम भाग

प्रवेश के सामान्य नियम

5.1 प्रवेश अस्वीकार/निरस्त करने का अधिकार :

प्राचार्य निम्नांकित कारणों से अभ्यर्थी का प्रवेश अस्वीकार/निरस्त कर सकता है –

5.1.1 जिसने अपूर्ण आवेदन पत्र प्रस्तुत किया हो।

5.1.2 जिसने प्रवेश हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र में कोई तथ्य जान बूझकर छिपाया हो अथवा मिथ्या प्रस्तुत किया हो।

5.1.3 जिसने शुल्क जमा कराने की घोषित तिथि तक महाविद्यालय शुल्क जमा नहीं कराया हो।

5.1.4 जिसका प्रवेश सम्बद्धक विश्वविद्यालयों के नियमों के अन्तर्गत स्वीकार्य न हो।

5.1.5 जो पूर्व वर्षों में किसी दुराचार/दुर्व्यवहार का अपराधी रहा हो।

5.1.6 परीक्षा में अनुचित साधनों के प्रयोग के लिए बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय द्वारा दण्डित किया गया हो।

5.1.7 जिसके विरुद्ध किसी शैक्षणिक अथवा अशैक्षणिक कर्मचारी के साथ परिसर में या परिसर के बाहर हिंसात्मक व्यवहार करने का आपराधिक मामला न्यायालय में विचाराधीन हो।

5.1.8 जो न्यायालय के द्वारा नैतिक कदाचार अथवा किसी प्रकार के अन्य अपराध के कारण दोषी ठहराया गया हो।

5.1.9 जो वर्तमान सत्र में प्रवेश के समय अथवा उसके बाद किसी शैक्षणिक/अशैक्षणिक कर्मचारी के साथ दुराचार/दुर्व्यवहार अथवा गाली–गलौच करने का दोषी पाया गया हो।

5.1.10 जो विद्यार्थी रैगिंग गतिविधि में लिप्त पाया गया हो।

नोट :– अभ्यर्थी के दस्तावेजों में शंका होने पर प्राचार्य विधि–सम्मत कार्यवाही करने को स्वतंत्र होंगे।

5.2 राजस्थान का निवासी वह है :–

5.2.1 जो राजस्थान में जन्मा हो (जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर)।

5.2.2 जिसके माता/पिता पिछले पांच वर्ष से राजस्थान में निरन्तर निवास कर रहे हों। (इस कोटि के आवेदक को इस हेतु संबंधित जिले के कलेक्टर/एस.डी.ओ./सहायक कलेक्टर अथवा तहसीलदार का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।)

5.2.3 जो राजस्थान सरकार अथवा राजस्थान सरकार के किसी उपक्रम अथवा राजस्थान सरकार के किसी अर्द्ध सरकारी संगठन के कर्मचारी का पुत्र/पुत्री हो।

5.2.4 जो केन्द्रीय सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार के किसी उपक्रम अथवा केन्द्रीय सरकार के किसी अर्द्ध सरकारी संगठन के राजस्थान में पदस्थापित कर्मचारी का पुत्र/पुत्री हो।

5.2.5 जो सेना (तीनों अंग) में या केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बल के राजस्थान में पदस्थापित कर्मचारी का पुत्र/पुत्री हो अथवा यदि किसी सैनिक व अधिकारी की नियुक्ति कुटुम्ब विहीन स्थान पर होती है तथा उसके कुटुम्ब को राजस्थान में आवास दिया जाता है तो ऐसे सैनिक/अधिकारी का पुत्र/पुत्री हो।

5.2.6 जो सेना (तीनों अंग) या केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बल में कार्यरत एवं राजस्थान के मूल निवासी का पुत्र/पुत्री हो (इस कोटि के आवेदक को इस हेतु संबंधित जिले के कलेक्टर/एस.डी.ओ./ सहायक कलेक्टर/तहसीलदार का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।)

5.2.7 ऐसी महिला अभ्यर्थी, जो राजस्थान के निवासी से विवाह होने के पश्चात राजस्थान में रह रही है। (शपथ पत्र/विवाह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर)

5.3 स्नातक (पार्ट द्वितीय व तृतीय)/स्नातकोत्तर उत्तरार्द्ध स्तर पर एकीकृत प्रवेश प्रक्रिया

5.3.1 विधि संकाय सहित समस्त स्नातक एवं स्नातकोत्तर के पाठ्यक्रमों में एकीकृत प्रवेश प्रक्रिया लागू है। स्नातक पार्ट द्वितीय/तृतीय व स्नातकोत्तर उत्तरार्द्ध में नियमित विद्यार्थियों को नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। इसके तहत अभ्यर्थी को सम्बन्धित पाठ्यक्रम की प्रथम कक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन करना होता है। यदि गत सत्र का नियमित विद्यार्थी वर्तमान सत्र में निर्धारित तिथि तक सत्र का शुल्क ई–मित्र पर जमा करा देता है तो पात्रता शर्तों की पूर्ति होने की स्थिति में वह प्रवेशित माना जावेगा। यह नियम महाविद्यालय के पूर्व छात्र (एक्स स्टूडेन्ट) पर भी लागू होगा। यह नियम निम्नलिखित स्थितियों में उन विद्यार्थियों पर लागू नहीं होगा जो :–

(i) निर्धारित तिथि तक वर्तमान सत्र का शुल्क जमा नहीं करवाते।

(ii) पूर्व कक्षा की परीक्षा में अनुर्त्तीण घोषित होते हैं।

(iii) स्थानान्तरण प्रमाण पत्र जारी करवा लें।

(iv) स्वयं लिखित में प्रवेश लेने से स्पष्ट इन्कार कर दें।

(v) प्रवेश नीति के पंचम भाग के बिन्दु 5.1 में उल्लेखित शर्तें पूर्ण नहीं करते हों।

(vi) उपस्थिति की न्यूनता के कारण नियमित से स्वयंपाठी घोषित हुए हों।

5.3.2 सभी प्रवेश योग्य विद्यार्थियों को वर्तमान सत्र में फीस निर्धारित अवधि तक ई–मित्र पर जमा करवानी होगी। अर्हकारी परीक्षा में अनुत्तीर्ण ऐसे छात्र, जिन्हें विश्वविद्यालय द्वारा अगली कक्षा में प्रवेश योग्य घोषित नहीं किया जाता, उनका अस्थाई प्रवेश स्वतः ही निरस्त हो जाएगा तथा उनके द्वारा जमा कराई गई राशि आवेदन करने पर वापिस लौटा दी जाएगी।

5.3.3 यदि विद्यार्थी शुल्क में रियायत प्राप्त करना चाहता है तो उसे शुल्क जमा करवाते समय तत्संबंधी (आय/नॉन क्रीमिलेयर प्रमाण पत्र आदि) अद्यतन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होगें। प्रमाण पत्र/पत्रों के अभाव में पूर्ण शुल्क जमा किया जायेगा एवं इसके उपरान्त यदि बाद में रियायत संबंधी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो रियायत पर विचार नहीं किया जायेगा।

5.3.4 स्नातक पार्ट द्वितीय व तृतीय में स्वयंपाठी/अन्तराल के उपरान्त/स्थानान्तरण के कारण महाविद्यालय के नियमित विद्यार्थी के रूप में प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थियों को प्रवेश आवेदन पत्र (CAF) वांछित दस्तावेज सहित प्रस्तुत करना होगा। इन आवेदन पत्रों पर प्राचार्य नियमानुसार विचार कर निर्णय लेने हेतु अधिकृत होगे।

5.4 अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रवेश

5.4.1. अनुत्तीर्ण नियमित/स्वयंपाठी विद्यार्थी को उसी संकाय अथवा भिन्न संकाय की उसी कक्षा में प्रवेश देय नहीं है।

5.4.2 नियमित प्रविष्ट विद्यार्थी निम्न स्थितियों में उसी संकाय अथवा भिन्न संकाय की उसी कक्षा में प्रवेश का पात्र नहीं होगा–

(i) परीक्षा फार्म नहीं भरने के कारण परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुआ हो।

(ii) विश्वविद्यालय परीक्षा में प्रविष्ट नहीं हुआ हो।

(iii) उपस्थिति की न्यूनता के कारण नियमित विद्यार्थी के रूप में परीक्षा देने से वंचित किया गया हो।

(iv) विश्वविद्यालय परीक्षा में अनुत्तीण घोषित किया गया हो।

5.4.3 यदि विद्यार्थी ने पिछले सत्र में महाविद्यालय के नियमित विद्यार्थी के रूप में अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता/राष्ट्रीय प्रतियोगिता/अन्तर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में भाग लिया हो या अन्तर महाविद्यालय प्रतियोगिता में विजेता/उपविजेता टीम का सदस्य या एकल प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त किया हो तो नियम 5.4.2 लागू नहीं होगा तथा उसको उसी कक्षा में केवल एक बार पुनः प्रवेश**/नवीनीकरण किया** जा सकेगा। यदि ऐसे विद्यार्थी ने अगली कक्षा में बिना परीक्षा परिणाम घोषित हुए शुल्क जमा करवा दिया हो तो परीक्षा परिणाम घोषित होने पर उसके शुल्क का समायोजन किया जा सकेगा।

5.5 परीक्षा परिणाम में पूरक घोषित अभ्यर्थियों का प्रवेश

5.5.1 ऐसे अभ्यर्थी अग्रिम कक्षा में निर्धारित तिथि तक अन्तरिम प्रवेश ले सकेंगे। यदि उन्होंने प्रवेश की अन्तिम तिथि तक प्रवेश नहीं लिया है तो उन्हें पूरक परीक्षा के परिणाम में उत्तीर्ण घोषित होने के बाद नियमित विद्यार्थी के रूप में प्रवेश नहीं दिया जा सकेगा।

5.5.2 पूरक परीक्षा योग्य घोषित अभ्यर्थियों को पूरक परीक्षा के विषयों को छोड़कर अन्य विषयों की स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध में पात्रता के अनुसार अन्तरिम प्रवेश दिया जा सकेगा।

5.5.3 अर्हकारी परीक्षा में पूरक परीक्षा के योग्य घोषित अभ्यर्थी की पात्रता एवं वरीयता निर्धारण के लिये पूरक परीक्षा के विषय/पेपर में अभ्यर्थी के प्राप्तांकों के स्थान पर न्यूनतम उत्तीर्णांक जोड़े जायेंगे।

5.5.4 पूरक परीक्षा के परिणाम में अनुत्तीर्ण घोषित किये जाने पर नियमित विद्यार्थी के रूप में अन्तरिम प्रवेश स्वतः निरस्त माना जायेगा तथा उसे कोई शुल्क नहीं लौटाया जायेगा।

5.6 पुनर्मूल्यांकन या विश्वविद्यालय परीक्षा परिणाम विलम्ब से घोषित होने की स्थिति में प्रवेश इन परिस्थितियों में परीक्षा परिणाम में उत्तीर्ण घोषित होने पर विद्यार्थी को सम्बद्धक विश्वविद्यालय के द्वारा निर्धारित तिथि या उसमें प्रदान की गई शिथिलता के आधार पर महाविद्यालय में प्राचार्य के स्तर पर प्रवेश दिया जा सकेगा। ऐसे विद्यार्थियों ने परीक्षा परिणाम घोषित होने से पहले यदि उस सत्र का शुल्क महाविद्यालय में जमा करवा दिया हो तथा इसे वापिस नहीं लिया हो तो पुनर्मूल्यांकन के परिणाम में उत्तीर्ण घोषित होने पर वह कक्षा में प्रवेशित माना जायेगा।

5.7 स्नातक स्तर की पार्ट द्वितीय/तृतीय कक्षाओं में स्वयंपाठी अभ्यर्थियों की प्रवेश पात्रता

तालिका 5.7

प्रवेश कक्षा	आवेदक की पात्रता	प्रवेश हेतु न्यूनतम प्राप्तांक प्रतिशत
स्नातक पार्ट द्वितीय व तृतीय	स्वयंपाठी अभ्यर्थी के रूप में अर्हकारी परीक्षा अनिवार्य विषयों सहित सभी विषयों में उत्तीर्ण ।	अर्हकारी परीक्षा में 50 प्रतिशत प्राप्तांक

5.7.1 आरक्षित वर्ग के अभ्यार्थियों पर नियम 6.1 की शर्ते लागू होगी।

5.7.2 पार्ट प्रथम एवं द्वितीय की परीक्षा स्वयंपाठी के रूप में उत्तीर्ण अभ्यर्थी को पार्ट तृतीय में प्रवेश देय नहीं है। पार्ट प्रथम में नियमित एवं पार्ट द्वितीय में स्वयंपाठी रहे अभ्यर्थी को पार्ट तृतीय में तालिका 5.7 में उल्लेखित पात्रता शर्तें पूरी करने पर पार्ट प्रथम नियमित विद्यार्थी के रूप में उत्तीर्ण करने वाले महाविद्यालय में प्रवेश देय होगा।

5.7.3 महिला महाविद्यालयों में प्रवेश की इच्छुक महिला अभ्यर्थियों पर न्यूनतम 50 प्रतिशत प्राप्तांक होने की अनिवार्यता लागू नहीं होगी तथा स्थान रिक्त होने पर उन्हें न्यूनतम उत्तीर्णांक तक प्रवेश दिया जा सकेगा।

5.7.4 स्वयंपाठी विद्यार्थियों के प्रवेश पर केवल उसी स्थिति में विचार किया जा सकेगा जबकि –

(i) उस कक्षा के नियमित विद्यार्थियों को प्रवेश देने के उपरान्त स्थान रिक्त हों तथा वैकल्पिक विषय समूह महाविद्यालय में उपलब्ध हो।

(ii) महाविद्यालय में शिक्षण के लिए भौतिक एवं मानव संसाधन उपलब्ध हों।

5.7.5 स्वयंपाठी विद्यार्थी के रूप में स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी को उत्तरार्द्ध में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

5.8 स्थानान्तरण के आधार पर प्रवेश

5.8.1 एक महाविद्यालय में प्रविष्ट विद्यार्थी का उसी नगर के दूसरे महाविद्यालय में स्थानान्तरण नहीं होगा।

5.8.2 भिन्न–भिन्न स्थानों पर अवस्थित महाविद्यालयों में भी स्थानान्तरण की अनुमति माता–पिता/संरक्षक के स्थानान्तरण या महिला अभ्यर्थी के विवाह होने जैसी विशेष परिस्थिति में ही दी जायेगी। माता–पिता के जीवित रहते अन्य कोई व्यक्ति संरक्षक नहीं हो सकेगा।

5.8.3 स्थानान्तरित कर्मचारी के पुत्र/पुत्री स्थानान्तरण स्थान व निकटवर्ती स्थान या गृह स्थान पर अवस्थित महाविद्यालय में प्रवेश के पात्र होंगे।

5.8.4 संरक्षक के स्थानान्तरण की स्थिति में अभ्यर्थी का प्रवेश तभी देय होगा जब आवेदक के प्राप्तांक उस कक्षा में प्रविष्ट अंतिम विद्यार्थी के अंकों से कम नहीं हों तथा उस महाविद्यालय में रिक्त स्थान उपलब्ध हो।

5.8.5 स्नातक पार्ट द्वितीय व तृतीय कक्षाओं में स्थानान्तरण प्रवेश पर सम्बद्धक विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार ही विचार किया जायेगा।

5.9 स्थान (सीटें) रिक्त रहने के स्थिति में प्रवेश प्रक्रिया संबंधी निर्देश

समस्त योग्य अभ्यर्थियों के प्रविष्ट हो जाने तथा कोई भी विचाराधीन आवेदन पत्र लम्बित ना होने की स्थिति में किसी कक्षा में स्थान रिक्त रहने पर प्राचार्य, सामान्य श्रेणी सहित श्रेणीवार (कैटेगरीवाईज) रिक्त स्थानों की सूचना का विस्तृत प्रचार–प्रसार कर सात दिवस तक नवीन आवेदन पत्र आमंत्रित कर सकेगें तथा रिक्त स्थानों को भरने की प्रक्रिया अपनायेगे।

5.10 प्रवेश प्रक्रिया के दौरान यदि कोई प्रवेशित अभ्यर्थी मूल प्रमाण–पत्र वापस लेने के लिए आवेदन करता है, तो उसके मूल प्रमाण–पत्र लौटा कर प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा तथा प्रक्रिया शुल्क यदि कोई हो तो जमा रखते हुए शेष शुल्क लौटाया जावे । ऐसे रिक्त स्थानों पर वरीयता अनुसार अन्य अभ्यर्थी को प्रवेश दिया जा सकेगा।

5.11 **अन्य संस्था के पाठ्यक्रम में प्रवेश पश्चात महाविद्यालय में पुनः प्रवेश** :

किसी भी कक्षा में प्रवेश लेने के पश्चात यदि विद्यार्थी अन्य संस्था के पाठ्यक्रम में प्रवेश होने के बाद टी.सी. लेकर महाविद्यालय छोड़कर चला जाता है तथा कतिपय कारणवश यदि वह पुनः उसी सत्र में उसी कक्षा में प्रवेश लेना चाहता है तो रिक्त स्थान होने की स्थिति में उसे प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होने की निर्धारित तिथि के 45 दिनों की अवधि में प्रवेश दिया जा सकेगा ।

5.12 सम्बद्धक विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों की पालना सुनिश्चित की जावेंगी।

5.13 आवेदित कक्षा की अन्तरिम प्रवेश सूची में स्थान प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित तिथि तक मूल प्रमाण–पत्रों की जांच एवं प्रवेश शुल्क जमा नहीं कराने वाले अभ्यर्थियों (डीफाल्टर्स) को किसी भी स्थिति में प्रवेश देय नहीं होगा।

5.14 कक्षा में उत्तीर्ण घोषित किये जाने के बाद विद्यार्थी को पुनः उसी कक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

5.15 किसी कारणवश बोर्ड/ विश्वविद्यालय द्वारा जारी मूल अंकतालिका प्राप्त नहीं होने की स्थिति में अभ्यर्थी इन्टरनेट की अंकतालिका से आवेदन कर सकेगा। मूल प्रमाण–पत्रों के भौतिक सत्यापन के समय मूल अंकतालिका प्राप्त नहीं होने की स्थिति में इन्टरनेट की स्वयं द्वारा सत्यापित प्रति प्रस्तुत कर अभ्यर्थी द्वारा इस आशय का शपथ पत्र सादा कागज पर प्रस्तुत करना होगा कि वह 15 दिवस में मूल प्रमाण पत्रों का सत्यापन करवा कर मूल टी.सी./सी.सी. जमा करवायेगा। पहले प्रस्तुत अंकतालिका एवं मूल अंकतालिका में विसंगति पाये जाने पर अभ्यर्थी के विरूद्व वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी एवं उसका प्रवेश निरस्त माना जायेगा।

5.16 जिन पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु ऑफ लाइन प्रवेश प्रक्रिया अनुमत है वहाँ विभागीय वेबपोर्टल से कॉमन एडमिशन फार्म डाउनलोड कर अभ्यर्थी संबंधित महाविद्यालय में प्रस्तुत कर सकता है।

5.17 भारतीय नागरिकता प्राप्त करने एवं भारत में स्थाईवास (LTV) चाहने के आधार पर राज्य में रह रहे पाक नागरिकों के बच्चों को शिक्षा हेतु प्रवेश के लिये आवेदन करने पर विदेशी नागरिकों हेतु निर्धारित शर्तों /पात्रताओं के अनुसार ही प्रवेश की अनुमति है । इस हेतु राज्य सरकार की पृथक से अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसे प्रवेशों की सूचना शिक्षण संस्थानों द्वारा संबंधित विदेशी पंजीकरण अधिकारी (DCP/FRO/FRRO) को दी जावेगी।

5.18 प्रवेश नीति के नियमों में किसी प्रकार का मार्गदर्शन उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में सम्बद्धक विश्वविद्यालय के नियम/परिनियम/ऑर्डिनेन्स मान्य होंगे। प्रवेश देते समय शैक्षणिक सत्र सारणी में दिये गये निर्देशों की पूर्ण पालना की जाये। उपर्युक्त नियमों की क्रियान्विति में यदि किसी प्रकार की कठिनाई अनुभव हो अथवा नियमों की व्याख्या में अस्पष्टता या भ्रम की स्थिति होने पर आयुक्तालय/निदेशालय से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाये। नियमों के संबंध में आयुक्त/निदेशक, कॉलेज शिक्षा का निर्णय ही अन्तिम एवं मान्य होगा।

5.19 **पाकिस्तान में स्थित किसी भी शैक्षणिक संस्थान से प्राप्त डिग्री/डिप्लोमा/सर्टिफिकेट के आधार पर भारतीय नागरिक/भारतीय मूल के विदेशों में रहने वाले नागरिक उच्च शिक्षा हेतु प्रवेश के पात्र नहीं होंगे, किन्तु बिन्दु संख्या 5.17 में उल्लेखित छात्र प्रवेश के पात्र होंगे (यू.जी.सी. के परिपत्र दिनांक 22.04.2022)।**

5.20 **विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) एवं अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) के पूर्व अनुमोदन के बिना चीनी जनवादी गणराज्य (पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना) से ऑनलाईन माध्यम से संचालित किये गये पाठ्यक्रमों को आयोग एवं परिषद मान्यता नहीं देते है। ऑनलाईन माध्यम से प्राप्त की गयी डिग्री के आधार पर वे प्रवेश के पात्र नहीं होंगे (यूजीसी के परिपत्र दिनांक 25.03.2022)।**

5.21 सह–शैक्षणिक गतिविधियाँ

- प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों से प्रवेश आवेदन पत्र में स्पष्टतः यह अंकित कराना होगा कि सत्र के दौरान एन.सी.सी./एन.एस.एस./स्काउट, रोवर–रेंजर/वाई.डी.सी./महिला प्रकोष्ठ/ मानवाधिकार प्रकोष्ठ आदि सामाजिक विस्तार गतिविधियों में से किन–किन गतिविधियों में वह भाग लेना चाहते है।

- प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होते ही महाविद्यालयों में उपरोक्त गतिविधियों को संचालित करने वाली समितियों/ व्याख्याताओं/ अन्य कोई एजेन्सी द्वारा परामर्श (Counselling) के माध्यम से विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाकर उनकी वर्ष पर्यन्त संचालित होने वाली गतिविधियों में सहभागिता सुनिश्चित की जावेगी ।
- परामर्श के समय संबंधित महाविद्यालय यह सुनिश्चित करें कि इन गतिविधियों के दिशा–निर्देशों के अनुसार ही विद्यार्थी को विकल्प उपलब्ध करवाये जावे।
- गतिविधि वार विद्यार्थियों की सूची आयुक्तालय के संबंधित समन्वयक को प्रवेश समाप्ति के 15 दिवस उपरान्त उपलब्ध करायी जावे।
- विद्यार्थी एक से अधिक गतिविधि में भाग ले सकता है।
- प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को कोई न कोई एक गतिविधि आवंटित करना अनिवार्य होगा।
- स्नातक पार्ट द्वितीय/तृतीय एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत विद्यार्थी यथासंभव उपरोक्त गतिविधियों में भाग लेंगे। जो विद्यार्थी पूर्व में ही इन गतिविधियों से जुड़े हुये हैं, उनकी निरन्तरता सुनिश्चित की जावेगी। इस संबंध में समय–समय विभागीय वेबसाईट www.hte.rajasthan.gov.in पर जारी निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित की जावे।

गतिविधि का नाम	कार्यक्रम सारिणी
1. एन.सी.सी.	एन.सी.सी. मुख्यालय द्वारा जारी निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार
2. एन.एस.एस.	एन.एस.एस. मुख्यालय द्वारा जारी निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार
3. रोवर–रेंजर	स्काउट एवं गाईड मुख्यालय द्वारा जारी निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार
4.वाई.डी.सी./महिला प्रकोष्ठ/ उपभोक्ता क्लब/मानव अधिकार प्रकोष्ठ आदि गतिविधियां	आयुक्तालय/निदेशालय द्वारा जारी दिशा निर्देशानुसार

विशेष निर्देशः–

i राज्य अधिसूचना क्रमांक प.12(22)वित्त/कर/10–98 दिनांक 9–3–10 तथा कार्यालय, महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान, अजमेर के पत्र क्रमांक एफ 7(39)जन/10/5099–5132 दिनांक 10–4–10 के अनुसार जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र अभिप्राप्त करने के प्रायोजन के लिए निष्पादित या शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश या शैक्षणिक छात्रवृत्ति की मंजूरी के लिए अपेक्षित शपथ पत्रों पर संदेय स्टाम्प शुल्क का परिहार (माफ) किया गया है। इसकी पालना सुनिश्चित की जावें।

ii राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक एफ.15(1)एआर/ग्रुप–1/2014 दिनांक 24.11.2014 के द्वारा 01 जनवरी 2015 से शपथ पत्र एवं दस्तावेज अभ्यर्थी के द्वारा स्वप्रमाणित मान्य होंगे।

षष्ठम् भाग

आरक्षण, रियायतें एवं लाभ

6.1 राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग व अति पिछडा वर्ग (MBC) (क्रीमीलेयर को छोड़कर)/आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो (EWS) के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण।

6.1.1 प्रत्येक संकाय की स्नातक, स्नातकोत्तर स्तर एवं एम.फिल. में प्रवेश हेतु अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग व अति पिछडा वर्ग (MBC) (क्रीमीलेयर को छोडकर)/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के अभ्यर्थियों के लिये क्रमशः 16 प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 21 प्रतिशत, 5 प्रतिशत एवं 10 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे।

6.1.2 पिछड़ा वर्ग को प्राप्त 21 प्रतिशत आरक्षण में अति पिछड़ा वर्ग भी सम्मिलित है एवं इसके अतिरिक्त अति पिछड़ा वर्ग के लिए 5 प्रतिशत का अलग से स्थान देय है {संदर्भ कार्मिक (क–2) विभाग के आदेश क्रमांक प.7(1)कार्मिक/क–2/2017 दिनांक 28.02.2019, राजस्थान सरकार शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग के आदेश क्रमांक प.18(2)शिक्षा–4/2014 रिजर्वेशन दिनांक 07.03.2019} /आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो के अभ्यर्थियों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की पालना सुनिश्चित की जावे। {सन्दर्भ कार्मिक (क–2) विभाग के आदेश क्रमांक प.7(1)कार्मिक/क–2/2019 दिनांक 22.02.2019, राजस्थान सरकार शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग के आदेश क्रमांक प.18(2)शिक्षा–4/ 2014 रिजर्वेशन दिनांक 07.03.2019} आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो के लिए Income & Asset Certificate एक बार जारी होने के उपरान्त अगर प्रार्थी आगामी वर्ष में भी आर्थिक कमजोर वर्ग के निर्धारित मापदण्डों के अनुसार पात्र है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थी से सत्यापित शपथ पत्र के आधार पर पूर्व में जारी Income & Asset Certificate को मान लिया जायेगा। ऐसा अधिकतम् तीन वर्ष (प्रथम वर्ष मूल प्रमाण–पत्र व शपथ पत्र के साथ आगामी दो वर्षो तक) तक किया जा सकता है। (राजस्थान सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का आदेश क्रमांक एफ11( ) आ.क.व/डीडीबीसी/सान्याअवि/19/28046 दि. 06.05.2022)

6.1.3 स्नातक, स्नातकोत्तर व एम. फिल कक्षाओं में आरक्षण के संबंध में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित रोस्टर प्रणाली लागू होगी।

6.1.4 आरक्षण संबधी लाभ के लिए अभ्यर्थी को राजस्थान राज्य के सक्षम अधिकारी जिला मजिस्ट्रेट/उपखण्ड अधिकारी/सहायक कलेक्टर/तहसीलदार का राजस्थान राज्य की सेवाओं में आरक्षण का लाभ लेने हेतु जारी जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

6.1.5 ओ.बी.सी./एम.बी.सी. संबंधी प्रमाण–पत्र अधिकृत अधिकारी द्वारा एक बार ही जारी किया जाता है, परन्तु क्रीमीलेयर में नहीं होने संबंधी प्रमाण–पत्र एक वर्ष के लिए मान्य होगा। एक बार क्रीमीलेयर में नहीं होने का प्रमाण–पत्र जारी होने के उपरान्त अगर प्रार्थी आगामी वर्षों में भी क्रीमीलेयर में नहीं है तो ऐसी स्थिति में स्वप्रमाणित शपथ–पत्र लेकर पूर्व में जारी प्रमाण–पत्र को ही मान लिया जावेगा। ऐसा अधिकतम् तीन वर्ष (प्रथम वर्ष मूल

प्रमाण–पत्र व शपथ पत्र के साथ आगामी दो वर्षो तक) तक किया जा सकता है। (राजस्थान सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का आदेश क्रमांक एफ11( )( ) आर एण्ड पी/सा.न्या.अ.वि/12/7376 – 409 दि. 24.01.2013)

6.1.6 सामान्य प्रवेश स्तर तक अंक प्राप्त करके प्रवेश पाने वाले आरक्षित वर्ग के विद्यार्थियों की गणना संबंधित आरक्षित नियतांश (कोटे) के अन्तर्गत नहीं की जायेगी। ये सभी सामान्य योग्यता सूची में सम्मिलित किये हुए माने जायेंगे।

6.1.7 6.1.6 के अनुसार प्रविष्ट विद्यार्थियों के अतिरिक्त आरक्षित वर्ग के शेष अभ्यर्थियों को अर्हकारी परीक्षा के प्रवेश योग्यता प्रतिशत को कम करते हुए वरीयता के निम्नगामी क्रम में आरक्षित नियतांश पूर्ण होने तक प्रवेश दिया जा सकेगा।

6.1.8 आरक्षित वर्ग हेतु आरक्षित स्थान प्रथमतः आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों से ही भरे जायेंगे।

6.1.9 यदि संबंधित आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध न हों तो ऐसे आरक्षित रिक्त स्थानों के लिए समाचार पत्र में विज्ञप्ति दी जाये जिसके लिए प्रवेश शुल्क जमा नहीं करवा सकने वाले उसी वर्ग के अभ्यर्थी भी पुनः आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकेंगे।

6.1.10 यदि विज्ञप्ति के सात दिवस में कोई आवेदन पत्र नहीं आता है या कम आवेदन पत्र आते हैं तो अनुसूचित जाति के आरक्षित स्थानों को अनुसूचित जन जाति के अभ्यर्थियों से तथा अनुसूचित जन जाति के आरक्षित स्थानों को अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों से भरा जा सकेगा।इसके उपरान्त भी यदि किसी आरक्षित वर्ग के स्थान रिक्त रहते हैं तो उन्हें सामान्य वर्ग के प्रतीक्षारत अभ्यर्थियों से भरा जा सकेगा।

6.1.11 बारां जिले के किशनगंज एवं शाहबाद तहसील के सहरिया अभ्यर्थियों के लिए बारां जिले के राजकीय महाविद्यालय, केलवाडा में शासन उप सचिव, कार्मिक (क–2) विभाग राजस्थान सरकार के निर्देश क्रमांक प.13(20)कार्मिक/क–2/91 पार्ट जयपुर दिनांक 12.09.2007 के अनुसार तथा केलवाडा के अतिरिक्त अन्य राजकीय महाविद्यालयों में न्यूनतम उत्तीर्णांक पर प्रवेश दिया जायेगा।

6.1.12 महाविद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ होने के उपरान्त, यदि राज्य सरकार द्वारा सीटों/वर्गों की संख्या में वृद्धि की जाती है, तो उन बढ़ी हुई सीटों/वर्गों के लिए आरक्षण नियमों की पालना करते हुए पृथक प्रवेश सूची जारी की जायेगी।

6.1.13 प्रत्येक संकाय के स्नातक प्रथम भाग की प्रत्येक कक्षा में तथा स्नातकोत्तर स्तर एवं एम. फिल. के प्रत्येक विषय/कक्षा में बिन्दु संख्या 6.1.1 से 6.1.11 के अनुसार स्थानों का आरक्षण किया जायेगा एवं तद्नुसार पूर्ति की जायेगी।

6.2 दिव्यांग अभ्यर्थी (स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर एवं एम.फिल.)

6.2.1 मूक, बधिर एवं दृष्टिबाधित (Blind) विद्यार्थियों को मनोवांछित महाविद्यालय में मनोवांछित संकाय में न्यूनतम उर्त्तीर्णांक पर प्रवेश दिया जायेगा। ऐसे प्रवेशित विद्यार्थियों की सीटें स्वीकृत सीटों के अतिरिक्त मानी जावेगी एवं प्राचार्य अतिरिक्त सीटों पर प्रवेश देने हेतु अधिकृत होंगे।

6.2.2 प्रत्येक संकाय में प्रवेश हेतु उपलब्ध स्थानों में 5 प्रतिशत स्थान दिव्यांग अभ्यर्थियों हेतु क्षैतिजवर्ती (HORIZONTAL) आरक्षण नियमों के अनुसार आरक्षित रहेंगे।

6.2.3 स्नातकोत्तर स्तर एवं एम.फिल. में आरक्षण विषयवार होगा। जहां यह संख्या एक से भी कम हो, वहां भी कम से कम एक स्थान आरक्षित रहेगा। दिव्यांग अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में प्रवेश की प्रथम सूची में इसे सामान्य अभ्यर्थियों से भरा जा सकेगा।

6.2.4 बिन्दु 6.2.2 के अनुसार निर्धारित नियतांश में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी को 3 प्रतिशत अतिरिक्त अंकों का लाभ भी दिया जा सकेगा। परन्तु उक्त लाभ किसी भी अभ्यर्थी को नियतांश (कोटा) भरने की पात्रता प्रदान करने हेतु ही देय होगा, योग्यता सूची में उच्च स्थान प्रदान करने के लिए नहीं।

6.2.5 निःशक्तजन (दिव्यांग) को निःशक्तता के संबंध में राज्य सरकार के नियमों के अनुसार विशिष्टीकृत चिकित्सकीय प्राधिकरण द्वारा निःशक्तता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। (भारत का राजपत्र 19 अप्रेल 2017 एवं राजस्थान राज–पत्र विशेषांक, जुलाई 26, 2011) जिला मुख्य चिकित्साधिकारी/पी.एम.ओ.जिला अस्पताल/मेडिकल कॉलेज द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त निर्धारित प्रारूप में जारी प्रमाण पत्र मान्य होगा

6.3 शिक्षक अभ्यर्थी

प्रत्येक विषय की एम.एससी. पूर्वार्द्ध कक्षा में एक स्थान शिक्षक अभ्यर्थी के लिए आरक्षित रहेगा, जिसका मनोनयन निदेशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान के द्वारा किया जायेगा। अभ्यर्थी को प्रवेश तभी दिया जायेगा जब वह प्रवेश की न्यूनतम पात्रता रखता हो, अन्यथा इस आरक्षित स्थान को सामान्य स्थान मानकर प्रवेश की अन्तिम तिथि को सामान्य अभ्यर्थी से भर दिया जायेगा।

6.4 प्रतिरक्षा सेवाओं/केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल*(CAPF) कर्मियों के आश्रितों को प्रवेश हेतु देय लाभ

S.No.	Eligible Categories	Benefits
(i)	प्रतिरक्षा सेवाओं के सेवा में रहते हुए शहीद कर्मचारियों के पुत्र/पुत्री	न्यूनतम उत्तीर्णांक पर प्रवेश
(ii)	प्रतिरक्षा सेवाओं में सेवारत या सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पुत्र/पुत्री	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु 03 प्रतिशत की वृद्धि
(iii)	प्रतिरक्षा सेवाओं/केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल* (CAPF)/**राजस्थान पुलिस** के कर्मियों के वार्डस के लिये 3 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे, जिन्हें निम्न प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश देय होगा – 1. Wards of personnel killed in action. 2. Wards of personnel disabled in action and boarded out from service/died while in service with death attributable to military service/ disabled in service and boarded out with disability attributable to military service. 3. Wards of personnel awarded Gallantry award. 4. Wards of awarded Ex servicemen.	प्राथमिकता अनुसार Reservation of 03% seats

*CAPF में CRPF, BSF, ITBP, SSB, CISF, RPF, NSG सेवाओं के कर्मी सम्मिलित है।

6.5 कश्मीरीघाटी विस्थापित और कश्मीरी पंडित/कश्मीरी हिन्दू परिवार (Non-Migrants)

6.5.1. प्रत्येक संकाय में प्रवेश हेतु उपलब्ध स्थानों में एक प्रतिशत स्थान कश्मीरीघाटी और कश्मीरी पंडित/कश्मीरी हिन्दू परिवार के बच्चों हेतु आरक्षित रहेंगे। यह आरक्षण सामान्य वर्ग सहित सभी वर्गों में संबंधित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध होगा।

6.5.2 कश्मीरीघाटी और कश्मीरी पंडित/कश्मीरी हिन्दू परिवार के अभ्यर्थी के उपलब्ध न होने की स्थिति में प्रवेश की अन्तिम तिथि को इसे सामान्य अभ्यर्थी से भरा जा सकेगा। कश्मीरीघाटी और कश्मीरी पंडित/कश्मीरी हिन्दू परिवार के अभ्यर्थियों को अन्तिम प्रवेश तिथि के 30 दिन बाद तक प्रवेश दिया जा सकेगा। प्रवेश देने के लिए सभी पाठ्यक्रमों के लिए निर्धारित प्रवेश सीटों को 5 प्रतिशत तक बढाया जा सकेगा।

6.5.3. इस नियतांश (कोटे) में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी को पात्रता प्रदान करने हेतु 3 प्रतिशत अंकों का लाभ देय होगा। यह लाभ वरीयता सूची में स्थान प्रदान करने के लिए नहीं होगा।

6.5.4 कश्मीरीघाटी और कश्मीरी पंडित/कश्मीरी हिन्दू परिवार के अभ्यर्थी को इस नियतांश में प्रवेश पाने हेतु विस्थापित होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

6.5.5. प्रवेश के लिए निर्धारित न्यूनतम प्राप्तांक मानदण्ड की सीमा तक वरीयता सूची के कट ऑफ में 10 प्रतिशत की छूट देय होगी।

6.5.6 प्रवेश के लिए राजस्थान के मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होगा।

6.5.7 तकनीकी/व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के अभ्यर्थियों को प्रवेश तकनीकी/व्यावसायिक पाठ्यक्रमों से प्रवेश देने हेतु 1 प्रतिशत स्थान आरक्षित रखे जायेंगे। इस वर्ग के अभ्यर्थी यदि प्रवेश हेतु आवेदन नहीं करते है तो अन्तिम तिथि के बाद इन स्थानों को सामान्य भर्ती से भरा जा सकेगा।

6.5.8 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पत्र क्रमांक एफ1–1/2012/एसए–3 दिनांक 10.03.15 के अनुक्रम में जम्मू एवं कश्मीर राज्य हेतु उच्च शिक्षा के लिए उपलब्ध विशेष छात्रवृति योजना के तहत आने वाले अभ्यर्थियों के लिए महाविद्यालय की स्वीकृत सीटों के अतिरिक्त कश्मीरीघाटी और कश्मीरी पंडित/कश्मीरी हिन्दू परिवार के लिए स्थान (अधिसंख्यक) उपलब्ध होगे।

6.5.9 एक भारत श्रेष्ठ भारत के कियान्वयन के अन्तर्गत असम राज्य से विद्यार्थियों के प्रवेश आवेदन पत्र प्राप्त होने पर उनके प्रवेश हेतु प्रत्येक संकाय एवं पाठ्यक्रम में स्वीकृत सीटों के अतिरिक्त दो सीटें सृजित की जा सकेगी।

6.6 ट्रांसजेण्डर अभ्यर्थियों का प्रवेश

यदि तृतीय लिंग (थर्ड जेण्डर/ट्रांसजेण्डर) के किसी अभ्यर्थी द्वारा सहशिक्षा के महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन किया जाता है तो उसे निम्नानुसार प्रवेश दिया जावेः–

i विभिन्न पाठ्यक्रमों में निर्धारित सीटों से अतिरिक्त सीटों पर न्यूनतम उत्तीर्णांक पर प्रवेश देय है।

ii इस वर्ग के प्रवेश हेतु अभ्यर्थी की लिंग संबंधी स्वयं की घोषणा आधार रहेगी ।
(आयुक्तालय आदेश कमांक 383 दिनांक 23.6.2015)

6.7 अभ्यर्थी को खेलकूद/सह शैक्षणिक उपलब्धियों का प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु देय लाभ अभ्यर्थी द्वारा विद्यालय/महाविद्यालय स्तर पर विगत तीन सत्रों (एन.सी.सी. जूनियर डिविजन में विगत पांच सत्रों) में खेलकूद/सह शैक्षणिक क्षेत्रों में प्राप्त उपलब्धियों परिलाभ स्नातक पार्ट प्रथम/स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध के प्रवेश के समय ही दिया जावेगा।

6.7.1 अभ्यर्थी द्वारा खेलकूद प्रतियोगिता में उपलब्धि प्राप्त करने पर देय लाभ

क्र. सं.	उपलब्धि	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु देय लाभ
अ	(i) भारत सरकार के शिक्षा एवं समाज कल्याण मंत्रालय द्वारा आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धा में देश का प्रतिनिधित्व (ii) अन्तर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयीय प्रतियोगिता में भारतीय विश्वविद्यालय संघ का प्रतिनिधित्व (iii) भारत सरकार के युवा मामले एवं खेल मंत्रालय तथा भारतीय ओलम्पिक महासंघ से मान्यता प्राप्त खेल महासंघ द्वारा आयोजित राष्ट्रस्तरीय प्रतियोगिता में राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाला विजेता/उपविजेता दल अथवा एकल प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त करने पर (iv) अखिल भारतीय अन्तर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में राजस्थान राज्य के राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने वाले विजेता/उपविजेता दल अथवा एकल प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त करने पर (v) विद्यालय स्तरीय राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता (एस.जी.एफ.आइ) में राजस्थान राज्य का प्रतिनिधित्व करने पर (vi) सी.बी.एस.ई. राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में राजस्थान राज्य में अवस्थित विद्यालय से दलीय खेलो में विजेता/उपविजेता तथा व्यक्तिगत खेलों में प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त करने पर	न्यूनतम उत्तीर्णांक प्रतिशत पर प्रवेश
ब	(i) पश्चिम क्षेत्रीय अन्तर विश्वविद्यालीय प्रतियोगिता में राजस्थान राज्य के राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने वाले विजेता/उपविजेता दल का सदस्य (ii) राजस्थान राज्य शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय विद्यालयीय खेल प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान/पदक प्राप्त करने पर (iii) केन्द्रीय विद्यालय संगठन (के.वी.एस.)/ नवोदय विद्यालय संगठन (एन.वी.एस)/ आई.पी.एस. /सैनिक स्कूल (राजस्थान राज्य में अवस्थित विद्यालय से) की राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में दलीय खेल हेतु विजेता/उपविजेता तथा व्यक्तिगत खेल हेतु प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त करने पर (iv) सी.बी.एस.ई. राष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रतिनिधित्व (राजस्थान राज्य में अवस्थित विद्यालय से)	6 प्रतिशत
स	(i)भारत सरकार के युवा मामले एवं खेल मंत्रालय तथा भारतीय ओलम्पिक महासंघ से मान्यता प्राप्त खेल महासंघ द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में राजस्थान राज्य का प्रतिनिधित्व करने पर (ii)अन्तर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने पर (iii)केन्द्रीय विद्यालय संगठन/नवोदय विद्यालय संगठन/आई.पी.एस. संगठन/सैनिक स्कूल	5 प्रतिशत

	(राजस्थान राज्य में अवस्थित विद्यालय से) संगठन के राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में प्रतिनिधित्व (iv)सी.बी.एस.ई. की क्लस्टर/जोन स्तरीय प्रतियोगिता में पदक प्राप्त करने पर (दलीय खेलों हेतु विजेता/उपविजेता तथा एकल खेलों हेतु प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त करने पर)	
द	(i)राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त राज्य खेलसंघ द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में विजेता/उपविजेता का स्थान प्राप्त करने पर (ii)राजस्थान राज्य शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित राज्यस्तरीय प्रतियोगिता में प्रतिनिधित्व/जिला स्तरीय प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त करने पर (iii)विश्वविद्यालय खेल बोर्ड द्वारा आयोजित अन्तर महाविद्यालय प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त करने पर (iv)अखिल भारतीय संस्कृत विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त करने पर (v)केन्द्रीय विद्यालय संगठन/नवोदय विद्यालय संगठन/आई.पी.एस. संगठन (राजस्थान राज्य में अवस्थित विद्यालय से) के रीजनल/ क्लस्टर स्तरीय प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त करने पर	3 प्रतिशत
य	(i)राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त राज्य खेलसंघ द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में जिले का प्रतिनिधित्व करने पर (ii)विश्वविद्यालय खेल बोर्ड द्वारा आयोजित अन्तर महाविद्यालय प्रतियोगिता में महाविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने पर (iii)राजस्थान राज्य शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित जिला स्तरीय प्रतियोगिता में विद्यालय का प्रतिनिधित्व करने पर (iv)अखिल भारतीय संस्कृत विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में भाग लेने पर (v)सी.बी.एस.ई. केन्द्रीय विद्यालय संगठन/नवोदय विद्यालय संगठन (राजस्थान राज्य में अवस्थित विद्यालय से) की क्लस्टर/ जोन/रीजनल स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने पर	2 प्रतिशत

<u>विशेष टिप्पणी</u> :

(अ) के बिन्दु संख्या **i** व **ii** के अलावा उपरोक्त देय लाभ राजस्थान राज्य में अवस्थित विद्यालय/महाविद्यालय/राज्य विश्वविद्यालय से प्रतिनिधित्व की स्थिति में ही देय होगा।

6.7.2 अंक लाभ प्राप्त करने हेतु अभ्यर्थियों को निम्नानुसार सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र प्रवेश आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा, जिसके अभाव में उचित लाभ देय नहीं होगा

क्र.सं.	स्तर	जिनका प्रमाण–पत्र मान्य होगा
1.	अ (i) से (vi)	भारत सरकार के खेल मंत्रालय, भारतीय खेल प्राधिकरण, अखिल भारतीय विश्वविद्यालय संघ, एस.जी.एफ.आई., सी.बी.एस.ई. संगठन के राष्ट्रीय पदाधिकारी/आयोजन सचिव
2.	ब से स के (i) से (iv)	विश्वविद्यालय क्रीडा परिषद, राजस्थान राज्य शिक्षा विभाग के उपनिदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय संगठन, सी.बी.एस.ई. संगठन, आई.पी.एस. संगठन, सैनिक स्कूल संगठन के राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी/आयोजन सचिव, आयोजक संस्था के प्राचार्य, सम्बन्धित संस्था के प्राचार्य तथा प्रभारी द्वारा प्रमाणित एवं हस्ताक्षरित।
3.	द का (i) से (v) एवं य का (i) से (v)	राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त राज्य खेल संघ के पदाधिकारी, राजस्थान राज्य शिक्षा विभाग के उपनिदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी/उपजिला शिक्षा अधिकारी/आयोजन सचिव/आयोजक संस्था के प्राचार्य, सम्बन्धित संस्था के प्राचार्य तथा प्रभारी द्वारा प्रमाणित एवं हस्ताक्षरित।

उपर्युक्त लाभों के लिए निम्नलिखित खेलकूद ही मान्य होंगेः–

1	एथलेटिक्स (क्रॉस कन्ट्री दौड़ सहित)	18.	जिमनास्टिक
2.	जलीय खेल (स्वीमिंग डाईविंग एवं वाटर पोलो)	19.	जूडो
3.	बैडमिन्टन	20.	मुक्केबाजी
4.	बास्केटबॉल	21.	मिनी गोल्फ
5.	शतरंज	22.	तीरन्दाजी
6.	क्रिकेट	23.	निशानेबाजी, एयर राइफल, एयर पिस्टल
7.	साइकिलिंग	24	सॉफ्टबॉल
8.	फुटबाल	25	अमेरिकन फुटबॉल
9.	हॉकी	26	बॉल बैडमिटंन
10.	कबड्डी	27	नेट बॉल
11.	खो–खो	28	रोलबॉल
12.	टेबिल टेनिस	29	रग्बी
13.	टेनिस	30	स्कवैश रैकिट
14..	वॉलीबॉल	31	ताइक्वांडो
15	हैण्डबाल	32	वुशू
16	कुश्ती	33	योगा
17.	भारोत्तोलन एवं शरीर सौष्ठव	34.	पावर लिफ्टिंग
		35.	ब्रिज

6.7.3 अभ्यर्थी द्वारा विद्यालय/महाविद्यालय स्तर पर एन.सी.सी. में उपलब्धि प्राप्त करने पर देय लाभ

क्र. सं.	सीनियर डिवीजन/विंग (तीन सत्रों में) जूनियर डिविजन/विंग (पॉच सत्रों में)	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु देय लाभ
अ	मानव संसाधन विकास मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय अथवा महानिदेशक एन.सी.सी. द्वारा चयनित होकर देश का प्रतिनिधित्व।	न्यूनतम उत्तीर्णांक प्रतिशत पर प्रवेश
ब	एन.सी.सी. की किसी शाखा में अखिल भारतीय सर्वश्रेष्ठ कैडेट का पुरस्कार।	
स	निम्नांकित गतिविधियों में भाग लेने अथवा निम्नांकित विशिष्टता अर्जित करने पर –	
	गणतंत्र दिवस कैम्प की प्रतियोगिता में प्रथम/द्वितीय स्थान	6 प्रतिशत
	पैरा जम्पिग कोर्स में स्काई डाउविंग कोर्स पूर्ण कर्त्ता कैडेट	
	एडवेन्चर माउन्टेनेयरिंग तथा एडवांस माउण्टेनेयरिंग कोर्स पूर्ण कर्त्ता कैडेट	
	सी प्रमाण पत्र ए ग्रेड प्राप्त कैडेट	
	बी प्रमाण पत्र ए ग्रेड प्राप्त कैडेट	
	ए प्रमाण पत्र ए ग्रेड प्राप्त कैडेट	
द	निम्नांकित में से किसी एक या अधिक के लिए चयनित होकर उस गतिविधि में भाग लेना।	5 प्रतिशत
	गणतंत्र दिवस कैम्प	
	अखिल भारतीय एडवांस लीडरशिप कैम्प	
	पैरा जम्पिंग कोर्स	
	आधारभूत पर्वतारोहण कोर्स या किसी पर्वतारोहण अभियान (20000 फीट या उच्च पर्वत शिखर पर) में भाग लेना।	
	विद्यार्थी विंग में सी प्रमाण पत्र बी ग्रेड के साथ प्राप्ति	
	विद्यार्थी विंग में बी प्रमाण पत्र बी ग्रेड के साथ प्राप्ति	
	जूनियर डिवीजन विद्यार्थी ए प्रमाण पत्र बी ग्रेड के साथ	
	स्नो–स्कीइंगकोर्स	
	सीनियर अण्डर आफिसर/सीनियर कैडिट कैप्टन/कैडिट फ्लाईट सार्जेन्ट रैंक पर नियुक्ति	
य	निम्नांकित गतिविधियों में भाग लेने अथवा निम्नांकित विशिष्टता अर्जित करने पर।	
	सी प्रमाण–पत्र सी ग्रेड के साथ	3 प्रतिशत
	बी प्रमाण पत्र सी ग्रेड के साथ	
	जूनियर डिवीजन ए प्रमाण–पत्र सी ग्रेड के साथ।	
	ऑल इण्डिया समर ट्रेनिंग कैम्प	
	ऑल इण्डिया बेसिक लीडरशिप कोर्स	
	नियमित सुरक्षा सेना के साथ दो सप्ताह का अटैचमेन्ट कोर्स	
	वॉटर स्कीइंग कोर्स	
	अण्डर ऑफीसर/कैडिट कैप्टन/कैडिट सार्जेन्ट रैंक पर नियुक्ति	

6.7.4 अभ्यर्थी द्वारा विद्यालय/महाविद्यालय स्तर पर पर्वतारोहण, शिलारोहण एवं वॉलक्लाइम्बिंग में उपलब्धि प्राप्त करने पर देय लाभ

क्र. सं.	उपलब्धि	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु देय लाभ
अ	मान्यता प्राप्त संस्थाओं द्वारा आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय अभियान में राष्ट्र का प्रतिनिधित्व	न्यूनतम उत्तीर्णांक प्रतिशत पर प्रवेश
ब	शिक्षा मंत्रालय अथवा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित एडवेंचर्स प्रोग्राम तथा 20,000 फीट या अधिक की ऊँचाई पर पहुंच	6 प्रतिशत
स	विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त संस्था द्वारा आयोजित एडवांस कोर्स	5 प्रतिशत
द	सरकार अथवा विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं के पर्वतारोहण में बेसिक कोर्स	3 प्रतिशत

प्रमाण पत्रों की मान्यता के लिए बिन्दु 6.7.2 (3) में दिया गया नियम लागू होगा।

6.7.5 अभ्यर्थी द्वारा विद्यालय/महाविद्यालय स्तर पर राष्ट्रीय सेवा योजना में उपलब्धि प्राप्त करने पर देय लाभ

क्र. सं.	**उपलब्धि**	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु देय लाभ
अ	प्रवेश के पूर्ववर्ती तीन सत्रों में अन्तर्राष्ट्रीय युवा आदान–प्रदान कार्यक्रम दल की सदस्यता/राष्ट्रीय /राज्य स्तर पर पुरस्कृत स्वयं सेवक	न्यूनतम उत्तीर्णांक प्रतिशत पर प्रवेश
ब	प्रवेश के पूर्ववर्ती तीन सत्रों में युवा एवं खेल विभाग द्वारा आयोजित एक बार गणतंत्र दिवस परेड (दिल्ली) राष्ट्रीय प्रेरणा शिविर अथवा राष्ट्रीय एकीकरण शिविर में भाग लिया हो तथा विशेष शिविरों में उपस्थिति एवं 240 घंटों का सेवा कार्य करने का प्रमाण पत्र होने पर	6 प्रतिशत
स	प्रवेश के पूर्ववर्ती तीन सत्रों में राज्य स्तर/विभाग स्तर पर शिविरों में भागीदारी तथा एक विशेष शिविर में उपस्थिति एवं 240 घंटे का सेवा कार्य करने का प्रमाण पत्र होने पर	5 प्रतिशत
द	प्रवेश के पूर्ववर्ती तीन सत्रों में एक विशेष शिविर में उपस्थिति एवं 240 घण्टे का सेवा कार्य करने का प्रमाण पत्र होने पर	3 प्रतिशत

6.7.6 अभ्यर्थी द्वारा विद्यालय/महाविद्यालय स्तर पर रोवर, रेन्जर, स्काउट, गाइड में उपलब्धि प्राप्त करने पर देय लाभ

क्र. सं.	उपलब्धि	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु देय लाभ
अ	विश्व जम्बूरी में भारत का प्रतिनिधित्व अथवा भारत स्काउट/गाइड मुख्यालय द्वारा चयनित होकर किसी अन्तर्राष्ट्रीय गतिविधि में भाग लिया हो अथवा राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति स्काउट/गाइड/रोवर/ रेंजर पुरस्कार प्राप्तकर्ता।	न्यूनतम उत्तीर्णांक पर प्रवेश
ब	राज्य पुरस्कार स्काउट/गाइड/रोवर/रेंजर अथवा राष्ट्रीय गतिविधि में राज्य का प्रतिनिधित्व कर्ता रहा हो अथवा प्रधानमंत्री शील्ड प्रतियोगिता/उप राष्ट्रपति शील्ड प्रतियोगिता में शील्ड प्राप्त किया हो।	5 प्रतिशत
स	तृतीय सोपान स्काउट/गाइड अथवा निपुण रोवर/रेंजर अथवा स्टेट रोवरमूट/रेंजर मीट में भाग लिया हो अथवा राज्य स्तरीय एडवेंचर गतिविधि अथवा डेजर्ट ट्रेकिंग शिविर में भाग लिया हो अथवा पर्वतारोहण का आधारभूत कोर्स कर्ता रहा हो अथवा प्रधानमंत्री शील्ड प्रतियोगिता/उप राष्ट्रपति शील्ड प्रतियोगिता में प्रतिनिधित्वकर्ता को।	3 प्रतिशत

6.7.7 अभ्यर्थी द्वारा विद्यालय/महाविद्यालय स्तर पर सह शैक्षणिक गतिविधियों में उपलब्धि प्राप्त करने पर देय लाभ

क्र. सं.	उपलब्धि	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु देय लाभ
अ	भारत सरकार के मानव संसाधन विकास एवं समाज कल्याण मंत्रालय द्वारा अपने जीवनकाल में राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया हो।	न्यूनतम उत्तीर्णांक पर प्रवेश
ब	भारतीय विश्वविद्यालय संघ अथवा आई.सी.सी.आर. अथवा केन्द्र सरकार के किसी विभाग द्वारा आयोजित अखिल भारतीय प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त।	6 प्रतिशत
स	राज्य शिक्षा विभाग द्वारा अथवा राज्य के किसी विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय अथवा विश्वविद्यालय स्तरीय प्रतियोगिता में विजेता/उप विजेता दल के सदस्य, अथवा एकल प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त अथवा अन्तर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता या केन्द्र सरकार के किसी विभाग द्वारा आयोजित अखिल भारतीय प्रतियोगिता में विश्वविद्यालय/राज्य का प्रतिनिधित्व। टिप्पणीः उपर्युक्त (ब) एवं (स) के अन्तर्गत छूट का लाभ विश्वविद्यालय के किसी संघटक/सम्बद्ध कॉलेज अथवा विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता के लिए देय नहीं होगा।	5 प्रतिशत
द	राज्य शिक्षा विभाग द्वारा अथवा राज्य के किसी विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय/विश्वविद्यालय स्तरीय प्रतियोगिता में अपनी संस्था/संभाग का प्रतिनिधित्व अथवा किसी महाविद्यालय द्वारा जिला अथवा संभाग स्तर पर आयोजित प्रतियोगिता के विजेता/उप विजेता दल के सदस्य अथवा एकल प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त	3 प्रतिशत

6.7.8 अभ्यर्थी द्वारा विद्यालय/महाविद्यालय स्तर पर मानवाधिकार क्लब की गतिविधियों में उपलब्धि प्राप्त करने पर देय लाभ

क.स.	उपलब्धि	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु देय लाभ
अ	विद्यालय/महाविद्यालय स्तर पर मानवाधिकार क्लब में सत्र पर्यन्त सहभागिता एवं एक विस्तार कार्यक्रम में उपस्थिति का प्रमाण–पत्र होने पर।	1 प्रतिशत
ब	राज्य मानवाधिकार आयोग या अधिकृत संस्थाओं द्वारा उल्लेखनीय कार्य का प्रमाण पत्र होने पर।	2 प्रतिशत

6.7.9 समाज सेवा में उल्लेखनीय योगदान पर अभ्यर्थी को स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु देय लाभ

	उपलब्धि	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु देय लाभ	मान्य प्रमाण–पत्र
अ	तीन सत्र तक लगातार राजकीय एवं राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त चिकित्सालयों में स्थित ब्लड बैंकों में स्वैच्छिक रक्तदान करने पर	1 प्रतिशत	अधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी
ब	साक्षरता अभियान में तीन सत्र में तीन व्यक्तियों को अर्थात् प्रति सत्र एक व्यक्ति को साक्षर करने पर	0.5 प्रतिशत	साक्षरता विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी प्रमाण– पत्र
स	अपनी कक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात अपनी कक्षा की सम्पूर्ण पुस्तकें लगातार तीन सत्र तक बुक बैंक में जमा कराने पर	0.5 प्रतिशत	प्राचार्य द्वारा जारी प्रमाण–पत्र

6.7.10 महिला अभ्यर्थियों को देय लाभ

	श्रेणी	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु देय लाभ।
अ	महिला अभ्यर्थी (केवल सहशिक्षा महाविद्यालयों हेतु यदि अभ्यर्थी द्वारा आवेदित संकाय/विषय में अध्ययन की सुविधा स्थानीय राजकीय महिला महाविद्यालय में उपलब्ध न हो)।	3 प्रतिशत (एम.बी.ए., कम्प्यूटर व अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में यह लाभ देय नहीं होगा)।

6.7.11 अन्य विशेष प्रकार के अभ्यर्थियों को देय लाभ

	श्रेणी	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु देय लाभ
अ	मृत राज्य कर्मचारी के पुत्र/पुत्री अथवा कॉलेज शिक्षा सेवाओं में सेवारत या सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पुत्र/पुत्री।	3 प्रतिशत (एम.बी.ए., कम्प्यूटर व अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में यह लाभ देय नहीं होगा)।

6.8 जिन अभ्यर्थियों के माता/पिता अथवा दोनों की तथा जिन महिला अभ्यर्थियों के पति की मृत्यु कोरोना से हो गई है, उन्हें महाविद्यालय में स्नातक प्रथम वर्ष एवं स्नातकोत्तर पूवार्द्ध में न्यूनतम् उत्तीर्णांक पर प्रवेश दिया जायेगा। ऐसे प्रवेशित विद्यार्थियों की सीटें, स्वीकृत सीटों के अतिरिक्त मानी जायेगी। यह लाभ तभी देय होगा, जबकि अभ्यर्थियों द्वारा उपलब्ध कराये गये मृत्यु प्रमाण पत्र**/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/मुख्य ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी/अस्पताल द्वारा जारी डेथ समरी/मुख्यमंत्री सहायक कोष से कोविड–19 महामारी में मृतक के परिवारजन को दी गई आर्थिक सहायता के आदेश में कोविड–19 द्वारा मृत्यु होने का उल्लेख होने पर** माता/पिता अथवा दोनों की एवं महिला अभ्यर्थियों के मामले में उनके पति की मृत्यु कोरोना से होना अंकित हो। **ऐसे अध्ययनरत विद्यार्थियों को राजकीय महाविद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा (सम्पूर्ण शुल्क माफी) प्रदान किये जाने के साथ साथ राजकीय महाविद्यालयों में स्थित छात्रावासों में भी निःशुल्क प्रवेश दिया जावेगा।**

6.9 नियम संख्या 6.7.1 से 6.7.11 के अन्तर्गत न्यूनतम उत्तीर्णांक पर प्रवेश को छोड़कर अन्य देय लाभ प्रवेश की पात्रता प्रदान करने हेतु स्वीकार्य नहीं हैं।

6.10 ऑन लाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय लाभ प्राप्ति हेतु अभ्यर्थी को मूल प्रमाण पत्र दोनों ओर से स्केन कर अपलोड करना होगा। कॉमन एडमिशन फार्म के साथ सम्बन्धित सक्षम अधिकारी/विभाग द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करनी होगी, जिसके अभाव में ऐसे किसी लाभ के लिए कोई अनुरोध स्वीकार्य नहीं होगा। स्वप्रमाणित प्रमाण पत्र की प्रति बाद में स्वीकार नहीं होगी। अन्तरिम प्रवेश सूची में नाम आने पर मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

6.11 उपर्युक्त नियम 6.7.1 से 6.7.10 में वर्णित लाभों में से किसी एक का लाभ (जो अधिकतम हो) अभ्यर्थी को देय होगा

6.12 उपर्युक्त **नियम 6.7.1 से 6.7.10 में वर्णित लाभों में से किसी एक गतिविधि में एक से अधिक** बार प्राप्त होने पर भी उन सबके लिए एक कक्षा में प्रवेश के लिए एक ही लाभ देय होगा।

6.13 प्रवेश शुल्क – छात्रों के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित राजकीय निधि तथा महाविद्यालयों द्वारा स्थानीय निधि मदों की राशि ली जायेगी। छात्रा शिक्षा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राजस्थान सरकार शिक्षा (ग्रुप–3) विभाग के आदेश क्रमांक प.6(3)शिक्षा/ग्रुप–3/2019 दिनांक 05.03.2019 द्वारा प्रदेश की सभी वर्ग की समस्त छात्राओं/महिलाओं के लिए शैक्षणिक सत्र 2019–20 से प्रवेश के समय ली जाने वाली केवल राजकीय निधि मदों की राशि माफ रहेगी।

GOVT. P.G. COLLEGE , HINDAUN CITY TIME TABLE 2022-2023 w.e.f.11.10.2022

CLASS	10.00 -11.00	11.00 - 12.00	12.00 - 1.00	1.00 - 2.00	2.00-3.00	3.00-4.00	4.00-5.00
B.A. I A	HIS 1-6 R-3 Mr.Suresh Meena	GE 1-2 R-3 UM EVS 3-4 R-3 Mr.X	POLS 1-6 R-3 RJ	HLIT 1-6 R-25 Mr. X	GH 1-2 R-3 Mr.X ECA 1-2 R-3 Mr.X		
B.A. I B		HLIT 1-6R-26 Mr.Y	POLS 1-6 R-25 RJ	SOCL 1-6 R-3 DR.MAHESH GARG	GH 1-2 R-25 Mr.X EVS 5-6 R-25 Mr.X	GE 1-2 R-25 XX ECA 3-4 R-25 Mr.X	
B.A. I C	POLS 1-6 R-4 Mr. X	COMP 1-6 R-1 Mr.X ECO 1-6 R-4 BM PHIL 1-6 R-23 PREETI SINGH	HLIT 1-6 R-4 Mr.X	ENG 1-6 R-4 UPMA MEENA SANS1-6 R-26 SM	SOCL 1-6 R-4 MrX GEO-1-6 R-5 Mr.X	GH 1-2 R-4 Mr.X ECA 3=4R-4 Mr.X EVS 5-6 R-4 Mr.X	GE 3- 4 R-4 Mr.X
B.A. I D	POLS 1-6 R-5 Mr.X	COMP 1-6 R-1 Mr.X ECO 1-6 R-4 BM PHIL 1-6 R- 23PREETI SINGH	HLIT 1-6 R-4 Mr.X	ENG 1-6 R-4 UPMA MEENA SANS1-6 R-26 SM	SOCL 1-6 R-4 MrX GEO-1-6 R-5 Mr.X	GE 1-6 R-5 UM ECA 1-4 R-5	GH 1-2 R-5 EVS 3-4 R-5 Mr.X
B.A. II A		POLS 1-6 R-UT RJ	SOCL 1-6 R- 11Dr.MAHESH GARG		HLIT 1-6 R-23 Mr. X		
B.A. II B		POLS 1-6 R-23 RJ	HIST 1-6 R-25 SURESH MEENA		HLIT 1-6 R-22 Mr.Y		
B.A. II C		SOCL 1-6 R-24 Mr.X	PHIL 1-6 R-24 PREETI SINGH COMP 1-6 R-1 Mr.X ECO 1-6 R-22 BM	POLS 1-6 R-24 X	SANS 1-3 R-24 SCM	HLIT 1-6 R-26 Y	
B.A. II D		SOCL 1-6 R-24 Mr.X	PHIL 1-6 R-24 Mr.X COMP 1-6 R-1 Mr.X ECO 1-6 R-22 BM	POLS 1-6 R-24 SS	SANS 1-3 R-24 SCM	HLIT 1-6 R-26 Mr. Y	
B.A. III A		HIS 1-6 R-26 SM		HLIT 1-6 R-5 X	POLS 1-6 R-UT RJ		
B.A. III B		SOCL 1-6 R-22 Dr MG		PHIL 1-6 R-26 PS	SANS 4-6 R-23 SCM COMP 1-6 R-1 Mr.X ECO 1-6 R-22BM	HLIT 1-6 R-26Mr.X SOCL 1-6 R-22 Mr.X	
B.A. III C		POLS 1-6 R-25 X		PHIL 1-6 R-26 PS	SANS 4-6 R-23 SCM COMP 1-6 R-1 Mr.X ECO 1-6 R-22BM	HLIT 1-6 R-26 Mr.X SOCL 1-6 R-22 Mr.X	

11/10/22

प्राचार्य
राजकीय स्नातकोत्तर
हिण्डौन सिटी

Scanned with CamScanner

GOVT. P.G. COLLEGE , HINDAUN CITY TIME TABLE 2022-2023 w.e.f.11.10.2022

CLASS	10.00 -11.00	11.00 - 12.00	12.00 - 1.00	1.00 - 2.00	2.00-3.00	3.00-4.00	4.00-5.00
B.A. I A	HIS 1-6 R-3 Mr.Suresh Meena	GE 1-2 R-3 UM EVS 3-4 R-3 Mr.X	POLS 1-6 R-3 RJ	HLIT 1-6 R-25 Mr. X	GH 1-2 R-3 Mr.X ECA 1-2 R-3 Mr.X		
B.A. I B		HLIT 1-6R-26 Mr.Y	POLS 1-6 R-25 RJ	SOCL 1-6 R-3 DR.MAHESH GARG	GH 1-2 R-25 Mr.X EVS 5-6 R-25 Mr.X	GE 1-2 R-25 XX ECA 3-4 R-25 Mr.X	
B.A. I C	POLS 1-6 R-4 Mr. X	COMP 1-6 R-1 Mr.X ECO 1-6 R-4 BM PHIL 1-6 R-23 PREETI SINGH	HLIT 1-6 R-4 Mr.X	ENG 1-6 R-4 UPMA MEENA SANS1-6 R-26 SM	SOCL 1-6 R-4 MrX GEO-1-6 R-5 Mr.X	GH 1-2 R-4 Mr.X ECA 3-4R-4 Mr.X EVS 5-6 R-4 Mr.X	GE 3-4 R-4 Mr.X
B.A. I D	POLS 1-6 R-5 Mr.X	COMP 1-6 R-1 Mr.X ECO 1-6 R-4 BM PHIL 1-6 R- 23PREETI SINGH	HLIT 1-6 R-4 Mr.X	ENG 1-6 R-4 UPMA MEENA SANS1-6 R-26 SM	SOCL 1-6 R-4 MrX GEO-1-6 R-5 Mr.X	GE 1-6 R-5 UM ECA 1-4 R-5	GH 1-2 R-5 EVS 3-4 R-5 Mr.X
B.A. II A		POLS 1-6 R-UT RJ	SOCL 1-6 R- 11Dr.MAHESH GARG		HLIT 1-6 R-23 Mr. X		
B.A. II B		POLS 1-6 R-23 RJ	HIST 1-6 R-25 SURESH MEENA		HLIT 1-6 R-22 Mr.Y		
B.A. II C		SOCL 1-6 R-24 Mr.X	PHIL 1-6 R-24 PREETI SINGH COMP 1-6 R-1 Mr.X ECO 1-6 R-22 BM	POLS 1-6 R-24 X	SANS 1-3 R-24 SCM	HLIT 1-6 R-26 Y	
B.A. II D		SOCL 1-6 R-24 Mr.X	PHIL 1-6 R-24 Mr.X COMP 1-6 R-1 Mr.X ECO 1-6 R-22 BM	POLS 1-6 R-24 SS	SANS 1-3 R-24 SCM	HLIT 1-6 R-26 Mr. Y	
B.A. III A		HIS 1-6 R-26 SM		HLIT 1-6 R-5 X	POLS 1-6 R-UT RJ		
B.A. III B		SOCL 1-6 R-22 Dr MG		PHIL 1-6 R-26 PS	SANS 4-6 R-23 SCM COMP 1-6 R-1 Mr.X ECO 1-6 R-22BM	HLIT 1-6 R-26Mr.X SOCL 1-6 R-22 Mr.X	
B.A. III C		POLS 1-6 R-25 X		PHIL 1-6 R-26 PS	SANS 4-6 R-23 SCM COMP 1-6 R-1 Mr.X ECO 1-6 R-22BM	HLIT 1-6 R-26 Mr.X SOCL 1-6 R-22 Mr.X	

Scanned with CamScanner

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur-302015, Rajasthan
Website: http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/
e-mail: jdacad1960@gmail.com Ph.: 0141-2706550

क्रमांकः एफ 7(4)प्रवेश नीति/अकाद/आकाशि/2022/ 612 दिनांकः 29 जून,2022

प्राचार्य,
समस्त राजकीय महाविद्यालय,
(विधि, राजस्थान संगीत संस्थान व राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट के अतिरिक्त)
राजस्थान।

विषय :– सत्र 2022–23 में समस्त राजकीय महाविद्यालयों में ऑनलाईन प्रवेश नवीनीकरण प्रक्रिया के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राजकीय महाविद्यालयों में स्नातक पार्ट द्वितीय, तृतीय व स्नातकोत्तर (उत्तरार्द्ध) का ऑनलाईन प्रवेश नवीनीकरण कार्यक्रम निम्न सारणी अनुसार रहेगाः–

क.सं.	कार्य का विवरण	समयावधि
1.	स्नातक पार्ट द्वितीय, तृतीय तथा स्नातकोत्तर (उत्तरार्द्ध) के लिए प्रवेश नवीनीकरण	01.07.2022 से 31.07.2022
2.	स्नातक पार्ट द्वितीय, तृतीय तथा स्नातकोत्तर (उत्तरार्द्ध) के लिए ई–मित्र पर फीस जमा करवाना।	01.07.2022 से 31.07.2022
3.	स्नातक पार्ट द्वितीय, तृतीय तथा स्नातकोत्तर (उत्तरार्द्ध) में ऑफलाइन/ऑनलाइन अध्यापन कार्य।	01.07.2022 से प्रारम्भ

समस्त राजकीय महाविद्यालयों को स्नातक पार्ट द्वितीय, तृतीय तथा स्नातकोत्तर (उत्तरार्द्ध) के लिए पूर्णतः अस्थाई प्रवेश नवीनीकरण प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी। इसके अन्तर्गत समस्त स्नातक पार्ट प्रथम, द्वितीय तथा स्नातकोत्तर (पूर्वार्द्ध) के प्रवेशित विद्यार्थियों को अगली कक्षा में क्रमोन्नत करने की ऑनलाईन प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी एवं इसे महाविद्यालय स्तर से पूर्ण करने के पश्चात विद्यार्थियों का डाटा ई–मित्र पर पोस्ट किया जायेगा। विद्यार्थियों को ई–मित्र के माध्यम से फीस जमा कराने की सुविधा उपलब्ध रहेगी।

समस्त प्राचार्य व्यक्तिगत रूप से यह सुनिश्चित करें कि सभी छात्रों का डेटा आवश्यक ऑनलाईन प्रक्रिया पूर्ण कर ई–मित्र पर पोस्ट हो जाये। ई–मित्र पर फीस जमा कराने से सम्बन्धित सूचनाओं को समाचार पत्र /इलेक्ट्रोनिक मीडिया /दूरभाष/सोशल मीडिया यथा वाट्सएप आदि के माध्यम से विद्यार्थियों को अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें।

विद्यार्थियों का अगली कक्षा में प्रवेश पूर्णतः अस्थाई है एवं राज्य सरकार द्वारा प्रवेश सम्बन्धी लिये गये निर्णयों के अध्याधीन रहेगा।

विद्यार्थियों का दुर्घटना बीमा का प्रीमियम, विद्यार्थी के प्रवेश नवीनीकरण हेतु फीस जमा कराने के तुरन्त बाद आवश्यक कार्यवाही करते हुए जमा करवाना सुनिश्चित करें, जिससे कि प्रवेशित विद्यार्थियों का बीमा कवर अतिशीघ्र प्रारम्भ हो जाये।

ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया के कियान्वयन में होने वाली संभावित शंकाओं के सम्बन्ध में आयुक्तालय के डॉ.संदीप कुमार (नोडल अधिकारी–ऑनलाईन एडमिशन)/श्री बनफूल अग्रवाल से कार्यालय समय में दूरभाष नं0 (0141–2706106) या ई–मेल dce.oap@gmail.com पर सम्पर्क किया जा सकता है। यह अति महत्वपूर्ण व समयबद्व प्रक्रिया है। अतः इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करते हुए, समय सारणी अनुसार प्रक्रिया सम्पन्न करावें।

आयुक्त
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान,

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. निजी सचिव, मंत्री, उच्च शिक्षा राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, आयुक्त सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. अतिरिक्त निजी सचिव, अतिरिक्त आयुक्त, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
6. श्रीमती ज्योति लुहाडिया, अतिरिक्त निदेशक, सूचना एवं प्रौद्योगिक विभाग, जयपुर को भेजकर लेख है कि वे समस्त ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया सम्बन्धित कार्यवाही एवं ई–मित्र पर फीस जमा करवाने की सुविधा प्रदान करने के लिए आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।
7. वेब प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को अपलोड करने हेतु।

29.6.2022
(डॉ.के.एल.सिराधना)
संयुक्त निदेशक (अकादमिक)

आयुक्तालय कालेज शिक्षा, राजस्थान

क्रमांक : एफ.7(4) ऑनलाइन/अकाशि/अकाद/2022–23/ पार्ट-I/1934 दिनांक : 01-06-2022

प्राचार्य,
समस्त राजकीय महाविद्यालय,
(विधि, राजस्थान संगीत संस्थान, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्टर्स के अतिरिक्त)
राजस्थान

विषयः सत्र 2022–23 में समस्त राजकीय महाविद्यालयों में ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया के सम्बन्ध में।

आप सबके सतत सहयोग से राजकीय महाविद्यालयों में ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया सफलता पूर्वक सम्पन्न की जा रही है। सत्र 2022–23 में ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया के संबंध में समस्त प्राचार्यों को निर्देशित किया जाता है कि अपने महाविद्यालय में ऑन लाईन प्रवेश की रूपरेखा तैयार कर इसे सफलता पूर्वक लागू करने की कार्ययोजना बना लें।

महाविद्यालय में ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया के लिए हर सत्र की भांति निम्न कार्यवाही अपेक्षित है:–

1. महाविद्यालय के दो ऐसे संकाय सदस्य को नोडल अधिकारी (ऑनलाइन प्रवेश–स्नातक) एवं नोडल अधिकारी (ऑनलाइन प्रवेश–स्नातकोत्तर) के रूप में नामित करना जो क्रमशः स्नातक एवं स्नातकोत्तर प्रवेश की सम्पूर्ण प्रवेश प्रक्रिया एवं सूचना प्रौद्योगिकी के सामान्य जानकार हो।
2. उक्त नोडल अधिकारी ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया के लिए आयुक्तालय से समन्वयक के रूप में कार्य करेंगे। आयुक्तालय द्वारा समय–समय पर देय प्रशिक्षण प्राप्त कर महाविद्यालय में कार्यरत प्रवेश समितियों को इस प्रक्रिया की अद्यतन जानकारी उपलब्ध करवायेंगे एवं आवश्यकतानुसार उन्हें प्रशिक्षित भी करेंगे। साथ ही आयुक्तालय के लिए सम्पूर्ण प्रवेश प्रक्रिया के दौरान एकल सम्पर्क सूत्र के रूप में कार्य करेंगे।
3. महाविद्यालय के समस्त स्नातक पार्ट प्रथम (कला एवं वाणिज्य संकाय में प्रति वर्ग 80 व विज्ञान संकाय में 70 विद्यार्थियों के आधार पर) एवं स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध पाठयक्रमों में प्रवेश हेतु कुल उपलब्ध सीटों की संख्या प्रवेश नीति के अनुसार आरक्षित सीटों का विवरण, ऐच्छिक व अनिवार्य विषयों का विवरण एवं विषयवार सीटों की संख्या, महाविद्यालय में उपलब्ध विषय समूह, फीस एवं बैंक विवरण आदि की सूचना प्राचार्य व प्रवेश समिति से अनुमोदन उपरांत ऑनलाइन प्रवेश माड्यूल में निर्धारित तिथि तक अपडेट/अपलोड करना।
4. महाविद्यालय में स्नातक एवं स्नातकोत्तर ऑनलाइन प्रवेश हेतु सतत् इंटरनेट कनेक्टिविटी, कम्प्यूटर, प्रिंटर, स्केनर व पावर बैकअप आदि की पर्याप्त व्यवस्था करना।
5. प्राचार्य, नोडल अधिकारी, स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर के सभी संकायों के संयोजकों व सह–संयोजकों के नाम, ई–मेल, मोबाइल नम्बर व एस.एस.ओ. आईडी व महाविद्यालय के दूरभाष नंबर की सूचना आयुक्तालय को संबंधित स्प्रेडशीट में प्रेषित करना।
6. ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया 2022–23 प्रारंभ होने से पूर्व https://hte.rajasthan.gov.in/ पर महाविद्यालय के समस्त वेबपेजेज को अपडेट करना। प्रवेश से संबंधित विवरिणिका, फीस संरचना, ऐच्छिक विषय, विषय संयोजन, उपलब्ध सीटों की संख्या, हेल्प डेस्क, नोडल अधिकारी, प्रवेश प्रभारी आदि के नाम व मोबाइल नंबर आदि महाविद्यालय के एडमिशन पेज पर अपडेट करना।

उपरोक्त वर्णित वांछित सूचनाएं (यथा प्राचार्य की सूचना, नोडल आफिसर UG/PG की सूचना, संकाय संयोजकों की सूचना, कम्प्यूटर संसाधनों एवं इंटरनेट की सूचना, बैंक एकाउन्ट डिटेल की सूचना) आपके महाविद्यालय की gmail पर **"ADMISSIONS 2022-23"** नाम से प्रेषित Spreadsheet में दिनांक 5 जून, 2022 तक भरना सुनिश्चित करें।

सत्र 2022–23 में खोले गये नवीन राजकीय महाविद्यालयों के नोडल महाविद्यालय, **"NEW COLLEGES 2022-2023"** Spreadsheet में नवीन राजकीय महाविद्यालय के लिए Gmail create कर उसका नाम एवं नवीन महाविद्यालय में ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया संपन्न किए जाने हेतु नियुक्त नोडल अधिकारी की दिनांक 5 जून, 2022 तक सूचना अद्यतन करें।

ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया के क्रियान्वयन में होने वाली संभावित शंकाओं के संबंध में आयुक्तालय के ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया के नोडल अधिकारी डां. संदीप कुमार, 9829066259 या श्री बनफूल अग्रवाल 0141–2706106 से कार्यालय समय में दूरभाष या ई–मेल dce.oap@gmail.com पर संपर्क किया जा सकता है।

ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया अति महत्वपूर्ण व समयबद्ध प्रक्रिया है। इसमें किसी प्रकार की कोताही न बरतें।

आयुक्त
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. वेबसाइट प्रभारी, आयुक्तालय कालेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।

1.6.2022

संयुक्त निदेशक (अकादमिक)